खण्ड-393, अंक-3
बृहस्पतिवार, 6 आश्विन, शक संवत् 1911
(28 सितम्बर, 1989 ई0)

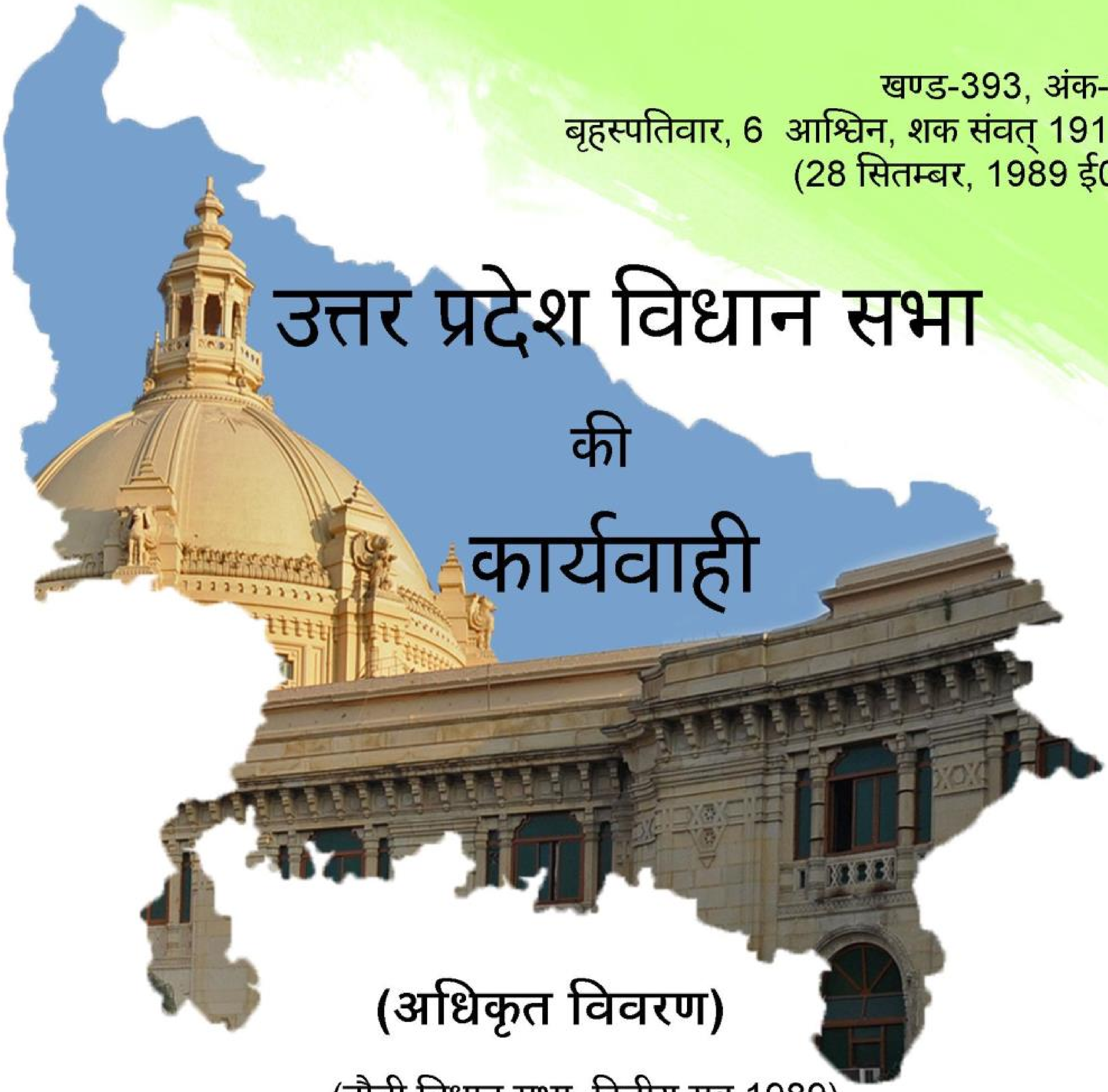

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1989)

खण्ड 393 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञा मांगने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1
जनपद मुरादाबाद व गाजियाबाद की सीमा निर्धारण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
स्वास्थ्य निदेशालय के उपनिदेशक द्वारा अनियमितता किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा में हुए नर संहार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जिला अधिकारी फैजाबाद द्वारा नजूल की भूमि की अवैध नीलामी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
प्रदेश के सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खण्ड 40 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया करारी में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
वर्तमान सत्र के आने वाले दो दिनों में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वीकार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	86
श्री मित्रसेन द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को पहले सुने जाने की मांग ..	88
प्रदेश में सूखा एवं बाढ़ की विषम स्थिति में आवश्यक वस्तुओं के दामों में हुई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जोड़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	89
श्री राम चन्द्र बख्श सिंह आदि सदस्यों द्वारा नियम 311 में दिये हुए प्रस्ताव को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	90
प्रदेश में सखा एवं बाढ़ की विषम स्थिति में आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जोड़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	89
नेता विरोधी दल द्वारा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह को अपनी नियम 311 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलन का अवसर प्रदान करने का अनुरोध	97
श्री राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा प्रदेश में बढ़ते इस साम्प्रदायिक संगठनों से उत्पन्न गम्भीर एवं भयानक स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखने का प्रयास	98
श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के नियम 311 के प्रस्ताव में से आरोपात्मक आक्षेपात्मक व मान-हानिकारक अंशों को कार्यवाही से निकालने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	101

श्री मूल चन्द्र द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में सुने जाने की मांग 102

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा दिनांक 24 सितम्बर' 1989 की केन्द्रीय गृह मंत्री एवं प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच साम्प्रदायिकता के मामले में हुयी वार्तालाप की जानकारी की मांग 104

दिनांक 27 जुलाई, 1989 को दुर्गागंज पुलिस चौकी जिला वाराणसी के अन्तर्गत हो रही जनसभा में पुलिस द्वारा श्री मूलचन्द तथा उनके साथी श्री युसुफ बेंग को चोट पहुंचाये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव .. 106

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में जिला सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से 40 प्रतिशत जमा करके जवाहर योजना एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में व्यय किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 115

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के नियम 311 की सूचना के संदर्भ में शासन का दृष्टिकोण .. 122

श्री मनोहर लाल द्वारा जनता पार्टी के भारत बन्द व जेल भरो अभियान के दौरान उन पर तथा कुछ सभासदों पर विभिन्न आरोप लगाकर मुकदमा चलाये जाने तथा कानपुर नगर महापालिका की बैठक में गृह मंत्री की मौजूदगी में हथकड़ी पहना कर सभासदों को लाये जाने के मामले में दी गयी सूचना पर कार्यवाही की मांग 123

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा स्व0 चौधरी चरण सिंह पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाने संबंधी सिंचाई मंत्री के "आज" समाचार पत्र में छपे बयान के संबंध में औचित्य का प्रश्न 126

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डागार निगम का स्थिति पत्रक और लाभ हानि का लेखा वर्ष 1985-87 (पटल पर रखा गया) 138

वित्त (विक्रीकर) अनुभाग- 2 की अधिसूचना (पटल पर रखी गयी) .. 138

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली (पटल पर रखी गयी) .. 138

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्त लाभ (सातवें संशोधन) नियमावली, 1989 .. (पटल पर रखी गयी) 139

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय करहेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 (पटल पर रखी गयी) 139

उत्तर प्रदेश सरकार का हथकरघा नीति पत्र (पटल पर रखा गया) .. 139

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति की पंचम प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया) 140

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 140

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 140

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
उत्त प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का नवम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की याचिका समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
श्री हृदय नरायन दीक्षित द्वारा मौरांवा मोहन लाल गंज मार्ग पर स्थित जबरेला पुल (सई नदी पर) के पुनः बनवाये जाने विषयक श्री बृज पाल सिंह आदि तथा उन्नाव जनपद के चिरैया नाला पर स्थित ग्राम बेगम खेड़ा के सामने पुल बनवाये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश सिंह आदि की द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .. (प्रस्तुत की गयी)	141
श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा ग्राम अहमदापुर पावन परगना चायल जिला इलाहाबाद की अहमदपुर पावन से मन्दर तक सम्बद्ध सड़क पक्की करने विषयक सर्व श्री अली अहमद सिद्दीकी फैजानुल हक द्वारा हस्ताक्षरित याचिका। (प्रस्तुत की गयी)	141
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन विधि विधेयक 1985 पर निर्दिष्ट प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	141
उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा में अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक 1989 (पुरः स्थापित)	142
उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक 1989 (जारी)	142
उत्तर प्रदेश राज्यभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 के पुरःस्थापन पर आपत्ति	142
उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित)	153
वित्तीय वर्ष 1989-90 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (स्वीकृत)	153
उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 (पारित) ..	158
नत्थियां	180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 28 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
बलदेव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
मोती राम सागुड़ी, श्री	नैनीताल	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
		हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बाद आप उठा लीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो खुद बड़े नेता हैं । मैं समझता हूं कि आज के जो प्रश्न हैं उन्हें ही जाने दीजिए और उसके बाद आप उठा लीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

ठीक है, मान्यवर, उस समय आप अनुमति दे दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कृपया माननीय मुलायम सिंह जी से बात कर लें ।

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 28 सितम्बर, 1989

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी अध्यादेश विषयक शासनादेश जारी करने की मांग

**1–श्री चेतराम (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी अध्यादेश इस वर्ष किस तारीख में जारी किया गया था ? इस संबंध में शासनादेश किस तारीख में जारी किया गया ? यदि शासनादेश नहीं जारी किया गया तो किस तारीख तक निर्गत कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उक्त अध्यादेश के अनुसार जिन विभागों में आरक्षण पूर्ण नहीं है उसे तुरन्त पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की जायगी ? क्या केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विशेष भर्ती अभियान चलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1989 दिनांक 26-6-1989 को प्रख्यापित किया गया ।

शासनादेश दिनांक 4 अगस्त, 1989 को जारी किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा

इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कोटा पूरा करने में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की भांति केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान आदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री चेतराम के अनुपस्थित होने के कारण पहला प्रश्न नहीं लिया गया)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 में हमारी रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसको हम लिए लेते हैं।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह अध्यादेश जो जारी हो गया है आरक्षण के संबंध में, तो क्या इस आरक्षण का लाभ किसी को मिलना शुरू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं यह ध्यान दें, यह कह दिया जाता है कि सहायता मिलेगी, तो यह बहुत ही जनरल सी बात है, इसका नतीजा कुछ नहीं होता है। कोई ठोस कदम आरक्षण के संबंध में नहीं उठाए गये हैं। यदि उठाए गये हैं तो आरक्षण के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा? यह भी मंत्री जी बता दें?

श्री प्रमोद कुमार–

यह अध्यादेश लागू हुआ...

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा। कृपा करके बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवाइये।

(व्यवधान)

श्री शारदानंद अंचल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

इसको कार्यवाही से निकलवाइये।

(व्यवधान)

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से सदन नहीं चल सकेगा । आप प्रश्नों के बाद जो कुछ कहना चाहें कहें नहीं तो मैं हाउस को स्थगित कर दूंगा ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ऐसी बातों को कोई बर्दास्त नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग यह नहीं चाहते कि प्रश्न चलें । बड़े दुख की बात है । प्रश्नों के बाद उठायें जो आपको उठाना है ।

श्री शारदानंद अंचल–

[x x x]

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न को दोहरा दें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं । मेरा कहना है कि जितने अध्यादेश हैं या जितने शासनादेश हैं उनका आज तक पालन नहीं किया गया है, उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है । तो सरकार ने मात्र निर्देश दिया या वास्तव में कोई ठोस कदम उठाये गये हैं कि आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों को मिल जाय । दूसरी बात यह है कि क्या यह लाभ प्रोन्नतियों में भी देने का विचार है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार की मंशा ही नहीं बल्कि ठोस इरादा भी है, राष्ट्र की मुख्य धारा का जो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसको 15 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार वचनबद्ध है और कृतसंकल्प है । इसके लिए जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं और उठाये जायेंगे इसका विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं । जहां तक प्रमोशन का सवाल है उसमें इसका प्राविधान नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि पिछड़ी जातियों को जो मुख्य धारा से अलग हैं उनको सरकार प्रश्रय देगी और आगे बढ़ायेगी तो क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस प्रदेश में लागू किया जायगा जिससे इन वर्गों को समुचित लाभ मिल सके । अगर नहीं, तो क्यों ?

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय रेवती रमण जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने यह प्रश्न पूछा जिससे मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिला । पहले जब उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर आरक्षण को अवैध ठहराया था तो उस पर हमने ब्योरेवार विचार नहीं किया था कि किसको शामिल किया जाय । इस बात के लिए मंत्रि परिषद् की एक उप समिति गठित की गई है जिससे कहा गया है कि वह ब्योरेवार विचार करे और कोई भी व्यक्ति जो इस वर्ग में आता है वह छूटने न पाये । उसके लिए जो आधार बनाया गया है वह मंडल आयोग की और छेदालाल साथी आयोग की रिपोर्ट है जिन्होंने इस संबंध में अध्ययन किया, विचार विमर्श किया था और अध्ययन कर यह रिपोर्ट बनायी थी । मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका आधार मंडल आयोग की रिपोर्ट और छेदालाल साथी की रिपोर्ट है ।

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों को सुविधा देने के लिए क्या संस्तुतियां की थीं और उसके आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने जा रही है ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन् सम्मानित सदस्य को इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि मण्डल आयोग की संरचना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी है और उसके जो मुख्य दायित्व हैं लागू करने का वह केन्द्रीय शासन का है, केन्द्रीय शासन ने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया है, राय भी मांगी है, उस पर विचार भी चल रहा है, समाचार-पत्र में आया है, जहां पर हमारा विचार है 1977 में मुझे विनम्र सेवक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि यह जो आरक्षण है 15 प्रतिशत, उसे प्रथम बार उद्घोषित किया जाय, उसके बाद जो सम्मानित राम नरेश यादव के मुख्य मंत्रित्व काल में इस आशय के आदेश हुए थे, उस पर न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि इसको सुविचारिक रूप से, गहराई से देखा नहीं गया है, जिस तरह की जो संविधान की अभिलाषा है, उसके अनुरूप विचार नहीं किया गया है, इसलिए उसे अवैध सा करार दिया गया और इसीलिए मैंने कैबिनेट की एक उप समिति बनाई, जिसकी नौ बैठकें हुईं, तमाम साक्ष्य लिये गये और मण्डल आयोग की जो पिछड़ी जाति की सूची है, आया वह ठीक बनी है या नहीं, उसको बनाने में माइड लगाया गया है या नहीं, उस पर गहराई से विचार किया गया । उसने जो रिपोर्ट दी, उसको स्वीकार करते हुए हमने अध्यादेश जारी किया और 1977 से हमने उसे लागू किया ताकि इस बीच में जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको वैधानिक आधार मिल जाय और उनकी सीनियारिटी उन्हें मिल जाय । अब सदन में यह सुअवसर मिलेगा कि उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करें । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अनुपालन की जहां तक बात है, इसके अनुपालन को सुनिश्चित किया जायगा । यह आदेश जारी किये जा चुके हैं । इसके रिव्यू के लिए मैं मीटिंग बुला रहा हूं । इसके लिए थोड़ा समय देना होगा । अक्टूबर माह में इसकी मैं स्वयं रिव्यू बैठक बुलाऊंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय तिवारी जी, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह अधिसूचना जारी की गयी है। अंतिम पैरा में पिछड़े वर्ग के बारे में आपकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जब कि मूल प्रश्न में यह प्रश्न किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी अध्यादेश किस तारीख में जारी किया गया था और इस सम्बन्ध में शासनादेश किस तारीख में जारी किया गया ? मान्यवर, माननीय तिवारी जी संसदीय परम्परा के ज्ञाता हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की सरकारों को यह आदेश दे दिया कि जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए यह आरक्षण की नीति लागू कर सकते हैं। मान्यवर, यह आदेश आ चुके हैं। मण्डल आयोग की संस्तुतियों के लिए हमने संकल्प रखा, आपने उसकी संस्तुति नहीं की। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि क्या मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए भारत सरकार से यह सरकार सिफारिश करेगी और अगर आप ज्यादा शुभचिन्तक हैं पिछड़े वर्ग के, तो जो मण्डल आयोग ने और छेदीलाल साथी आयोग ने कहा है, उसके अनुसार आरक्षण के नीति लागू करेंगे ? आखिरी प्रश्न का जो आपने हवाला दिया कि न्यायालय ने ऐसा कहा, माननीय तिवारी जी, आप पत्रावली मंगा कर देख लें, आपके अधिवक्ता ने बहस नहीं किया, बल्कि उसको उन्होंने विड्ड्र कर लिया। इसकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य कृपया उत्तर को देखेंगे तो उसमें शासनादेश शब्द का प्रयोग है आदेश का दूसरी तरफ है अभियान शब्द का, जो उत्तर में उल्लिखित है वह विशेष वर्ग के अभियान के बारे में आदेशित किया गया है। आदेश अभी निकला है अगस्त के महीने में।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है विमुक्त जाति के लिए भी नहीं है। आपने यह कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण पूरा किये जाने के आदेश हैं और विशेष अभियान चलायेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या विमुक्त जाति और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपने कोई अध्यादेश जारी किया है, इसमें नहीं है जबकि यह मूल प्रश्न है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, अगर रिव्यु बैठक में जो होने वाली है, मुझे प्रतीत हुआ कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो मैं विशेष भर्ती अभियान चलाऊंगा लेकिन उसके अगस्त में आदेश हुए हैं। आदेश के अनुसार उसका अनुपालन होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन अनुपालन करेगा। बीच में भर्ती होती रहती है ऐसा नहीं है कि नहीं होती रही है इन भर्तियों को भी हमने रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि इस सुविधा को सुनिश्चित कराने का उन्हें पूरा अधिकार है श्रीमन, आवश्यकता पड़ेगी तो उन क्लासेज को जिनके नाम नहीं हैं, सूची में उनको जोड़ने पर विचार करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सूची मैंने प्रदर्शित की थी और आपने इतनी बड़ी कसरत करवाकर परेशान कर दिया और नाम भी नहीं ले रहे हैं । एक प्रश्न की अनुमति दे दें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सिलसिले में शासनादेश जारी हुआ और उस शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 प्रतिशत का आरक्षण सीधी भर्ती पर किया जायेगा क, ख, ग और घ समूहों में । मान्यवर, क और ख समूह में सीधी भर्ती तो होती नहीं है तो क और ख में जो आरक्षण कोटा है पिछड़े वर्गों के लिए उसको भरने के लिए कौन सा उपाय माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, इस संबंध में आदेश आज के नहीं हैं सन् 1977 से लागू हैं कि किस श्रेणी की भर्ती किस प्रकार होगी जिनको व्यक्त किया गया है । अगर किसी श्रेणी में कोई कमी नजर आ रही है तो माननीय सदस्य उसे लिखकर दे दें, हम विचार कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे जी, मैंने सुन लिया अब आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी 1978 का शासनादेश देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

जिसने प्रश्न किया था, वह तो मौजूद है नहीं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मौजूद हैं ।

श्री चेतराम–

मान्यवर, शासनादेश जारी हो गया कि आरक्षण का कोटा पूरा हो । मान्यवर, हमारे शासन की भी मंशा है कि आरक्षण का कोटा पूरा हो लेकिन मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि चिकित्सा विभाग में एलोपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता के पद पर कोई भी आरक्षित वर्ग का अधिकारी नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

मान्यवर, जब से के0 जी0 मेडिकल कालेज का अधिग्रहण सरकार ने किया है 84 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है, जिसमें कोई आरक्षित वर्ग का अधिकारी नहीं है, ऐसा क्यों ? यह भी कहना चाहता हूं कि चयन समितियों के गठन के समय उसमें इन आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी सदस्य न होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थियों को कम नम्बर देकर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि चयन समितियों में भी आरक्षित वर्ग के अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि वे स्वयं इसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं । जो 55 जातियां इसमें शामिल हुई हैं, उन्हें जो 15 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है, उसका भरपूर लाभ मिले इसको स्पष्ट किया गया है । मान्यवर, सम्मानित सदन में विधेयक के रूप में यह आयेगा उस समय माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे कि यह रास्ता अपनाने से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है, उस पर हम अवश्य विचार करेंगे यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, अनुसूचित जाति के एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 सारी सुविधायें लेकर लाभ उठा लेते हैं और जो छोटे निर्बल लोग हैं उन्हें वंचित कर दिया जाता है । यह प्रतिबन्ध लगायेंगे कि जो इनकमटैक्स पेयी हैं, गजटेड आफिसर्स हैं, एम0 पी0 एम0 एल0 ए0 हैं, उन्हें इस नीति के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करके, यह जो आरक्षण की नीति है वह गरीबों में ही वितरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस संबंध में मौजूदा सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है और बड़ी स्पष्ट मंशा है । मान्यवर, हरिजन सदियों से मुख्य धारा से अलग रहे हैं पिछड़े वर्ग में रहे हैं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, उनके हितों की रक्षा के लिये यह सरकार कृतसंकल्प है । उस आरक्षण नीति को जारी रख रहे हैं और रखेंगे । किसी स्तर पर हरिजनों के हितों के विपरीत समझौता नहीं किया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जो उत्तर है उसमें पदोन्नतियों में आरक्षण की बात नहीं है । उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3789, 13-1-78 के द्वारा यह शासनादेश लागू किया गया था कि जो 15 प्रतिशत का आरक्षण है, उसमें भी, पदोन्नति में भी लागू होगा । लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है । 15 प्रतिशत आरक्षण की बात तो की जा रही है लेकिन पदोन्नति में आरक्षण की बात को समाप्त कर दिया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि जो पहला शासनादेश था उसकी भावनाओं का आदर करते हुए जो पदोन्नतियों में भी आरक्षण की बात आपने समाप्त कर दी है, क्या उसको लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जैसा कि स्पष्ट कहा जा चुका है और बार बार स्पष्ट किया जा चुका है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है । 1977 के पूर्व माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने इस प्रस्ताव को रखा था । लेकिन जब आप आये, हर काम को जल्दबाजी में कुछ करने की आदत थी, जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा दिये, न्याय कानून को ताक पर रख दिया । यह मैं नहीं कह रहा हूं, उच्च न्यायालय के निर्णय कह रहे हैं । जल्दीबाजी में जो आपने गलत काम किये उच्च न्यायालय ने उसके विपरीत अपने निर्णय दिये हैं । जो गल्तियां आपने की थी उनको हमने सुधारा है । उसी की एक यह कड़ी है । बाकी विचार विमर्श करके विधिसम्मत, न्याय के अनुरूप इसको हम ले आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

प्रीमिनेटेड वेजिटेबिल आयल नामक रसायन का प्रयोग शीतल पेयों में न करने विषयक भारत सरकार के आदेश का अनुपालन

**2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शीतल पेयों से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के खतरे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि वेमिनेटेड वेजि-टेबिल आयल नामक रसायन का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने शीतल पेयों में न करने का आदेश 15 अप्रैल, 1988 को जारी किया था फिर भी उत्तर प्रदेश की शीतल पेय निर्माता कम्पनियां इसका प्रयोग कर रही हैं ? क्या सरकार इस रसायन पर लगे प्रतिबंध को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी प्रतिबन्ध का पालन सुनिश्चित करायेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री बिहारी लाल दोहरे)–

इस संबंध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जी हां ।

इस मामले में कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है ।

भारत सरकार की विज्ञप्ति सं0–जी0एस0आर0 454 (ई), दिनांक 15-4-1988 द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के निपत्र 60 व 61 में संशोधन कर प्रीमिनेटेड वेजीटेबिल आयल नामक रसायन के इस्तेमाल पर लगा दी गयी है जो इस प्रदेश में भी लागू है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, प्रीमिनेटेड वेजीटेबिल आयल नामक रसायन के इस्तेमाल से भयानक बीमा-रियां बढ़ने का खतरा है । सरकार ने इस पर अप्रैल, 1988 से रोक लगा दी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मैंने अपना प्रश्न किया तो उसके बाद क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि जो शीतल पेय अपने प्रदेश में बन रहे हैं उनमें इस रसायन का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं और क्या सरकार ने उन शीतल पेयों के नमूनों को भरवाकर किसी प्रयोगशाला में उनकी जांच करवाई है? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि प्रदेश में जो शीतल पेय बन रहे हैं उनमें कौन-कौन से रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है कि इसमें कैंसर के रोग की सम्भावना है कि नहीं ? इसके जानकारी के बारे में कहा है कि कोई जानकारी नहीं है ।

दूसरी बात भारत सरकार ने जो स्वयं इस प्रकार का आदेश जारी किया है वह उत्तर प्रदेश में भी लागू है । लेकिन इसका कोई प्रयोग कर रहा है ऐसी सूचना प्रदेश सरकार को नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में स्पष्ट किया है कि प्रोमिनेटेड आयल नामक रसायन पर उ0 प्र0 सरकार ने भी प्रतिबन्ध लगा दिया है, तो क्या सरकार ने यह भी जानकारी करने की कोशिश किया है कि वह किस तरह हानिकारक है और क्या कमियां हैं ? प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, भारत सरकार के विशेषज्ञों ने इस प्रकार का आदेश निकालने से पहले विचार किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस नियम के अनुपालन के मुताबिक आदेश जारी किये और प्रोमिनेटेड वेजिटेबिल आयल का इस्तेपाल न करें इस तरह के आदेश जारी कर दिये गये हैं । कोई इस्तेमाल कर रहा है इसकी सूचना मिलने पर ही उसकी जांच हो सकती है । और समय-समय पर इंस्पेक्टर जांच करते रहते हैं और उन्होंने कुछ नमूने अन्य जनपदों में लिये हैं लेकिन उनमें इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी स्पष्ट जानकारी दें कि क्या वह जानकारी करायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो शीतल पेय बन रहे हैं क्या उनका परीक्षण कराया है कि नहीं कि वह शुद्ध हैं कि नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, पेय बनाने वाली फैक्टरियों में निरीक्षक नियुक्त हैं और उनकी जांच पड़ताल के बाद ही यह पेयजल बाजार में आते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस संबंध में चिंतित है और इसमें एक उप समिति भी गठित एक सप्ताह पहले किया है कि अपमिश्रण के संबंध में, रोकथाम के संबंध में जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य सचिव और पुलिस विभाग एवं जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्राविधान है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मंत्री जी ने अभी परिस्थिति की गम्भीरता को स्वीकार किया है और समिति भी गठित किया है मान्यवर, प्रोमिनेटेड विजीटेबिल आयल पर 125 देशों में प्रतिबन्ध लगा है और भारत सरकार ने भी प्रतिबंध की घोषणा किया तो उ0 प्र0 सरकार ने भी प्रतिबंध लागू किया । कुछ जिलों में सर्वेक्षण कराया गया और नमूने भरे गये तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन जनपद हैं जहां कोल्ड ड्रिंक का परीक्षण कराया गया और इसमें कौन-कौन रसायन का प्रयोग किया जाता है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, शीतल पेय में कौन-कौन रसायन प्रयोग किये जाते हैं इसकी जानकारी नहीं है । और माननीय सदस्य चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त करके उन्हें बता देंगे ।

जहां तक इस नियम के परिपालन का प्रश्न है तो उसकी बराबर जानकारी की जाती है और कोई सूचना नहीं मिली है । मा0 सदस्य यदि कोई सूचना देंगे कि कोई भी इसका प्रयोग कर रहा है तो इसकी अलग से जानकारी करा ली जायेगी ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने इस आयल पर प्रतिबन्ध लगाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी कर दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से नकली दवायें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसी तरह से इस आयल के प्रयोग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिससे कैंसर रोग जैसी भयानक बीमारियों की सम्भावना है ? तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से नकली दवाओं को बनाने के कारखाने पर इनका कंट्रोल नहीं है, उसी तरह से शीतल पेय जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं और वोमिनटेड बेजिटेबिल आयल का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिस आयल के संबंध में प्रश्न है उसमें जांच प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि आयल का प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रोमिनेटेड वेजिटेबिल आयल का शीतल पेय में उसी तरह से मिश्रण है जिस तरह से मनोहर लाल जी और मंत्री जी के बीच का मिश्रण है । (हंसी) मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15-4-88 को प्रतिबन्ध लगाकर किन लोगों के खिलाफ इस प्रतिबन्ध को जिन्होंने नहीं माना, कार्यवाही की थी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

किसी ने इस आयल का प्रयोग किया ही नहीं, तो कार्यवाही किसके खिलाफ करते ?

श्री विजय सिंह राणा—

जब शिकायत किसी ने नहीं की तो प्रतिबन्ध की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

यह भारत सरकार का लगाया हुआ प्रतिबंध था । उत्तर प्रदेश को इस प्रकार के आदेश मिले, हर प्रदेश को आदेश मिले, तो उसका पालन किया गया । कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसका प्रयोग करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 में हमारी रुचि है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है उसको हम लिये लेते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कतिपय वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय की गयी धनराशि का व्यौरा जन्म दर न घटने का कारण तथा किसी अन्य कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पर वर्ष 1989-90 में अगस्त 1989 तक कितनी धनराशि खर्च हुई । इस मद में भारी व्यय प्रति वर्ष होने के बावजूद जन्म दर न घटने के कारण क्या सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की जगह किसी अन्य कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे—

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर वर्ष 1989-90 में माह अप्रैल से 30 जून, 89 तक कुल 19,48,51,369/- रुपये का व्यय हुआ है । माह जुलाई तथा अगस्त, 89 का व्यय विवरण अभी तक कतिपय जनपदों से प्राप्त नहीं हुआ है । यह कहना सही नहीं है कि जन्म दर में कमी नहीं हुई है । प्रदेश की जन्म दर 1970 में 45.4 प्रति हजार थी जो 1987 में घटकर 38.0 प्रति हजार हो गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पर चालू वर्ष में सिर्फ तीन माह में अप्रैल से जून, 89 तक कुल 19 करोड़ रुपया व्यय हुआ है । इस खर्च से कितनी महिलाओं की नसबन्दी की गयी और कितनी उपलब्धि हुई, परिवार कल्याण कार्यक्रम की और जो इतनी धनराशि के खर्च के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है तो इस कार्यक्रम पर फिर से विचार करेंगे इसको देखते हुए कि पूरे देश में जबकि जन्म दर घटी है, उत्तर प्रदेश का उसमें कौन सा स्थान है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, परिवार कल्याण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसको सफल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई है । इसका ही परिणाम है कि सारे देश में 3 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश को परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है । यह बात सही नहीं है कि जन्म दर घटी नहीं है । मैं मा0

सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सन् 70 में प्रति हजार 45.4 की जन्म दर थी, जबकि भारत सरकार की 36.84 थी लेकिन 1987 में उत्तर प्रदेश की जन्म दर 38.0 प्रति हजार हो गयी और भारत सरकार की 32.4 हो गयी। इस तरह से प्रतिशत देखें तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर 7.4 घटी है, जबकि भारतवर्ष में केवल 4.4 घटी है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89, इन दो वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी और इसमें प्रेरकों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह तो प्रत्येक जनपद से सूचना मंगानी पड़ेगी। इस समय तो इसकी विस्तृत सूचना नहीं है।

श्री मनोहर लाल—

अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गयी है, क्या मा0 मंत्रीजी को इसकी जानकारी है कि जो परिवार कल्याण में धनराशि खर्च की गयी है, उसमें उन्नाव जनपद में, जहां से मंत्री जी आते हैं, क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि बांझ महिलाओं और विधवा महिलाओं की नसबन्दी की गयी है और उनकी शिकायत पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या यह सच है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, उन्नाव के लोगों से कोई सूचना नहीं मिली है। मा0 सदस्य मनोहर लाल जी सूचना देंगे तो जांच की जायेगी।

श्री मनोहर लाल—

आपके क्षेत्र की बात कही गयी है।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में और सिद्धार्थनगर में कितनी शिकायतें फर्जी नसबन्दी की आयी हैं, मा0 मंत्रीजी स्वयं जानते हैं ? मंत्री जी सदन को गुमराह करके झूठी रिपोर्ट दिए हैं, माननीय अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। मैं ज्यादा न कहकर इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले का फिजिकल वेरीफिकेशन कराकर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग में फर्जी पैसा हड़पकर उसका बटवारा कर रहे हैं, जिससे मंत्री जी भी भलीभांति परिचित हैं। आप इसे सदन में स्वीकार करें या न करें, लेकिन अलग बैठकर तो स्वीकार करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सदन में भी स्वीकार कर लें और क्या इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, फर्जी नसबन्दी की शिकायत जब कभी और जब कहीं से मिली है, उसकी जांच के आदेश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त तीन प्रकार की और व्यवस्थायें भी चल रही हैं, एक तो ब्लाक स्तर पर, दूसरे जिला स्तर पर और भारत सरकार की भी टीम आकस्मिक निरीक्षण इसके लिए करती है । प्रदेश सरकार की टीम भी अचानक जाकर निरीक्षण करती है । इसके अतिरिक्त इस चीज को देखने के लिए, इस सदन के सम्मानित नेता श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की अध्यक्षता में एक कमेटी इसीलिए गठित कर दी गयी है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वह अपने मन के सदस्य इस कमेटी में मनोनीत कर लें और जिस ब्लाक में, जिस गांव में फर्जी नसबन्दी का केस पायें और उसकी जैसी वह रिपोर्ट देंगे, उस पर हम कार्यवाही अवश्य करेंगे ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर ,माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी नेतृत्व में कोई समिति गठित की गयी है । जब लोकपति त्रिपाठी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय यह समिति गठित की गयी थी और तब से आज तक उनके पास केवल पत्र ही गया है । इसके संबंध में यह भी जानकारी मिली है कि रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने समिति से इसीलिए इस्तीफा दे दिया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो फर्जी नसबन्दी से संबंधित हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं । क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित तिवारी जी से अनुरोध किया गया है कि वह अपना इस्तीफा वापस ले लें और इसके अलावा सभी जगह के सी0 एम0 ओ0 को लिख दिया गया है कि यह समिति जिस जनपद में भी जाये, उसको पूरी सुविधा प्रदान की जाय ताकि उसको अपने जांच कार्य में कोई कठिनाई न हो ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनता शासन में कृषि मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव की व्यवस्था

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता शासन में कृषि मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)–

मण्डी समिति के पास रख-रखाव की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है।

मण्डी समिति की क्षेत्रान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त होने पर मण्डी समिति के पास धन की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दी जाती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 1977 में जनता शासन के दौरान और कुछ उसके बाद तक मण्डी समितियों द्वारा कुछ योजनाओं के अंतर्गत और स्वयं मण्डी की धनराशियों से भी पूरे प्रदेश में सम्पर्क मार्गों का जाल बिछाया गया था और 1977-78 तथा 79-80 में जिन सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ था, वह आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं । माननीय मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि मण्डी समिति के पास रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसके नियमित रख-रखाव के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं या जो जनता की गाढ़ी कमाई से इन सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है, वह यूं ही बरबाद हो जाने दिया जायेगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी बता ही रहे हैं तो वह यह भी बता दें कि सरकार ने जाल बिछा दिया था, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने वह जाल कहां देखा । मेरे पास जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । उस समय केवल 607 कि0मी0 का खड़न्जा व 96 कि0मी0 का लेपन हुआ था ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी बता ही रहे हैं तो वह यह भी बता दें कि उस समय अर्थ वर्क कितना हुआ था । खड़ंजा कितना हुआ था और लेपन का काम कितने पर हुआ था ? जिस जाल की बात मैंने कही वह तो माननीय मंत्री जी ने रखा ही नहीं तो दिखाई कहां से देगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से सुन लें, फिर दूसरा प्रश्न करें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जिस मिट्टी के काम की बात माननीय श्री वर्मा जी ने कही है, वहां न सड़क है और न मिट्टी ही है । हां, यह हो सकता है उस समय पेमेन्ट हो गया हो । यदि इसको वह उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं । मान्यवर, प्रश्न यह है कि हम जो मण्डी शुल्क के रुपये 1/- रुपए प्रति सैकड़ा लेते हैं, वह हम किसानों की भलाई के लिए खर्च कर देते हैं । हमारे पास जिस मण्डी समिति में धन उपलब्ध है, हमारी शीर्षस्थ प्राथमिकतायें हैं–नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना, दूसरा उप मण्डी स्थलों का निर्माण करना और तीसरी प्राथमिकता है सम्पर्क मार्गों का निर्माण करना । जैसा कि हमारा

तजुर्बा है कि मिट्टी के काम में बहुत धांधलेबाजी होती थी, इसलिए मण्डी परिषद् ने निर्णय लिया कि वह मिट्टी का कार्य अपने हाथ में नहीं लेगी । यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी एजेन्सी चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 ने बनाई हो, चाहे श्रम दान से बनी हो, चाहे आर0 ई0 एस0 से बनी हो या ब्लाक से बनी हो या जिला परिषद् की हो, अगर मिट्टी की सड़क बनी है और खड़न्जे का काम हो चुका है तो हम उन सड़कों को लेंगे और उसमें लेपना का काम करेंगे, खड़न्जे का काम करेंगे, उसमें पुलिया भी बनायेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास 1989-90 में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से जो प्रस्ताव आये हैं, वे 1815 कि0 मी0 के हैं । उनमें से हमने 850 कि0 मी0 से ज्यादा सड़कों की सैंक्शन दे दी है । शेष जो प्रस्ताव हमारे पास हैं, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं, अगर उन मण्डी समितियों के पास धन उपलब्ध होगा और उनकी उपयोगिता होगी तो निश्चित रूप से उन मार्गों का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी भी हैं । मेरे क्षेत्र के सरोजनी नगर ब्लाक में 1977 से 1980 में मण्डी परिषद् द्वारा दिए गए धन से ये 4 सम्पर्क मार्ग–बन्थरा-उम्मेदखेड़ा खेड़ा बन्थरा–चन्द्रावल मार्ग से सरांया, जिसे पी0 डब्लू0 डी0 ने बनाया था और उसमें सोलिंग तक कर दी गई थी, तीसरा बन्थरा-रामचौरा-गढ़चनौठी मार्ग, जिसे आर0 ई0 एस0 ने बनाया था, जिसके नगवा नाला पर पुलिया भी बनाई गई है, चौथा लखनऊ-कानपुर मार्ग से मीरानपुर-पिनाँट, जिसे ब्लाक द्वारा बनाया गया था, अभी विगत दिनों 20 सूत्रीय बैठक में माननीय मंत्री जी के समक्ष यह रखा भी गया था, तो क्या माननीय मंत्री जी इन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य इस वर्ष मण्डी परिषद् द्वारा धन उपलब्ध कराकर, कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री शुक्ल जी ने खुद ही कहा है कि इसमें बड़ी हीज-पीज है । कभी इसमें आर0 ई0 एस0 की साझेदारी रही है तो कभी खाद्यान्न योजना की रही है तो कभी मण्डी परिषद् की साझेदारी रही है, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसे मण्डी परिषद् ने बनाया हो । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव भिजवा दें, अगर मण्डी समिति के पास धन उपलब्ध होगा तो हम शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जाल-जंजाल में फंस गये, उसकी बात तो नहीं कहता हूं लेकिन जो भी मानक उन्होंने बनाया है, यह बात तो सही है कि वे सड़कें टूटेंगी, उनके रख-रखाव की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धन्नाक से गौरिया तक सड़क बनी थी, वह टूट गयी है । क्या माननीय मंत्री जी अपने मानकों पर पुनर्विचार करके उसे बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? अगर मण्डी परिषद् के पास पैसा है तो वह रख-रखाव पर भी कुछ अंश खर्च करें, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही उत्तर दिया था कि मण्डी समिति के क्षेत्रान्तर्गत निर्गित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त होने पर मण्डी समिति के पास धन की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दी जाती है और दी जायगी । आप अवगत हैं कि मण्डी समिति के पास जो किसान से मण्डी शुल्क के रूप में धन लिया जाता है उसी से निर्माण कार्य होता है, शासन से धन नहीं मिलता है । रख-रखाव की क्या व्यवस्था हो, इस पर विचार की आवश्यकता है, वह हम करेंगे ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मेरठ मण्डी समिति में धन का अभाव है । मेरठ बागपत रोड से कलन्जरी बाफरका बम्बा सड़कें धनाभाव के कारण नहीं बनायी जा रही हैं । क्या माननीय मंत्री जी, उस मण्डी परिषद् को धन दिलवाकर इस सड़क को पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं माननीय सदस्य से यह अपेक्षा करूंगा कि वह हमारा सहयोग करें । धन का अभाव है, अगर वह मण्डी परिषद् की आमदनी बढ़वा दें तो निश्चित रूप से जो धन उपलब्ध होगा उससे सड़क का निर्माण करायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पहले मण्डी समिति की व्यवस्था यह थी कि अपना धन आर0 ई0 एस0 या पी0 डब्लू0 डी0 को दे देते थे अपने नाम से और वे सड़कें बनाते थे । उन पर रख-रखाव के लिये अलग से व्यवस्था थी । अब स्वयं अपना स्टाफ भर्ती कर लिया है । अब काम स्वयं करने लगे हैं । उस समय तो यह व्यवस्था सम्भव थी कि पी0 डब्लू0 डी0 और आर0 ई0 एस0 अपने बजट से कर लेते थे । आपके पास रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है तो अपने धन को पी0 डब्लू0 डी0 या आर0 ई0 एस0 के नाम आवंटित कर दें ताकि वह रख-रखाव करते रहें या जो स्टाफ भर्ती कर लिया है, उससे कार्य करायें । इन दोनों में से कोई एक व्यवस्था लागू करें । अगर स्वयं करना चाहते हैं तो कर लें । एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या आपने आगणन कराया है कि स्वयं का नियमित स्टाफ रखने से कितना व्यय भार आप पर पड़ेगा ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय राणा जी ने कुछ सुझाव दिये हैं पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा और अन्य एजेन्सियों के द्वारा काम कराये जाने के सम्बन्ध में । हमारा अनुभव यह है कि इन विभागों के पास पहले ही बहुत काम है, छोटे काम ये विभाग बाद में लेते हैं और उनकी प्राथमिकता बाद में देते हैं । वर्तमान व्यवस्था से हम पूर्ण सन्तुष्ट हैं और इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो विभिन्न जिलों से प्रस्ताव आये हैं उसमें जनपद हरदोई के ब्लाक माधवगंज के अंतर्गत सहिजना-कुरसठ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आया है ? क्या आपने उस पर स्वीकृति दे दी है ? दूसरी बात मान्यवर कि उस मण्डी के अन्तर्गत जो खंड़जा के मार्ग बने हुए थे उनकी मरम्मत के सिलसिले में क्या कोई व्यवस्था करा देंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी अगर यह प्रश्न सबसे पहले ही ले आते तो इतना समय बच जाता । जिस सम्पर्क मार्ग को बनाने की बात मा0 वर्मा जी ने कही है कि प्रस्ताव भेजा है, अगर प्रस्ताव भेजा है तो निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता के आधार पर हम बनाने का प्रयास करेंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को विस्तार की नीति

2—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं की विस्तार की क्या नीति है ? क्या यह सच है कि औसतन 100 ग्राम सभाओं के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 में प्रति व्यक्ति रोगोपचार और रोगों की रोकथाम पर अलग-अलग कितना खर्च सरकार औसतन कर रही है ?

श्री बिहारी लाल दोहरे—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पांच हजार ग्रामीण जनसंख्या पर तथा पर्वतीय एवं जनजाति क्षेत्रों में तीन हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र तथा मैदानी क्षेत्रों में 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर और पर्वतीय तथा जनजाति क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की नीति है । इसके साथ ही लगभग एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या अथवा प्रति विकास खण्ड पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की नीति है । यह सत्य है कि औसतन 100 ग्राम सभाओं के बीच एक अथवा एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । उत्तर प्रदेश में रोगोपचार पर रुपये बीस तथा रोगों की रोकथामपर रुपये ग्यारह प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है ।

(श्री राम शरण दास के हरी पगड़ी पहन कर आने पर सदन में हंसी)

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मैदानी क्षेत्रों में 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर और पर्वतीय तथा जनजाति क्षेत्रों में 20 हजार ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की नीति है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन की नीति के अनुसार 30 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्या स्थापना हो गयी है और क्या शासन अपनी नीति के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर चुके हैं ? तीसरा प्रश्न यह है कि 20 रु0 प्रति व्यक्ति रोगोपचार के लिए जो खर्च हो रहा है प्रदेश में तो सरकार उसे बढ़ाने और कितना तक पहुंचाने को सुनिश्चित कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सम्मानित सदस्य के प्रश्न (क) के उत्तर में यह बतलाना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 के अन्त तक हमारे प्रदेश में 21653 उप केन्द्र, 2779 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हो गयी है। वर्तमान में 1989-90 में 559 उप केन्द्र, 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य है। यह लक्ष्य 1990 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सन् 2000 तक सबको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो नीति रखी है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अपनी नीति दस वर्ष पूर्व ही पूरी कर लेगा और 1990 तक हम 2000 वाली नीति को पूरा कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आजकल वर्तमान में जनता आयुर्वेद चिकित्सा में जिस तरह से रूचि ले रही है, इस विशेष रूचि को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी उस पर उतना व्यय कर रहे हैं या नहीं और वर्तमान में आयुर्वेद में प्रति व्यक्ति जो खर्च कर रहे हैं क्या उस खर्च को बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस समय एलोपैथ पर 159 करोड़ रु0, आयुर्वेद पर 124 करोड़ रु0, होम्योपैथ पर 16 करोड़ रु0 तथा 81 करोड़ रु0 चिकित्सा शिक्षा पर जिसमें मैडिकल कालेज वगैरह सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से 270 करोड़ रु0 रोगोपचार पर खर्च किये जा रहे हैं। परन्तु वर्तमान में संसाधनों को देखते हुए इस समय वृद्धि करना संभव नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर मंत्री जी द्वारा दिए गये आकड़ों को तो सुनकर ऐसा लगता है कि अब पूरा प्रदेश बिल्कुल स्वस्थ हो जायेगा। लेकिन जितने स्वास्थ्य केन्द्र आपके खुले हैं क्या सभी में आज डाक्टर्स मौजूद हैं ? दूसरी बात जो दवायें आपके यहां वित्तीय वर्ष के अंत में खरीदी जाती हैं, समय पर नहीं खरीदी जाती हैं, इस व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करेंगे और तीसरी बात यह दोनों व्यवस्थायें आप कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आज सभी अस्पतालों में डाक्टरों की पूर्ति नहीं हो सकी है। हमारे प्रदेश में आज 7,000 डाक्टरों की कमी है, इस कमी को देखते हुए एलोपैथ, होम्योपैथ तथा आयुर्वेद डाक्टरों के चयन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण यह निर्णय लिए जा रहे हैं कि तब तक एडहाक नियुक्तियां कर ली जायें और यह व्यवस्था कर हम शीघ्र ही सभी अस्पतालों में डाक्टरों की पूर्ति करने जा रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

दवाओं के बारे में भी बता दीजिए कि क्या करने जा रहे हैं जो कभी भी वित्तीय वर्ष के शुरू में नहीं खरीदी जाती हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि देहात में कार्यरत जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें से आधे से ज्यादा में उसमें नियुक्त चिकित्साधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके स्थान पर कम्पाउडर काम कर रहे हैं, तो जो एडहाक भर्ती आप करने जा रहे हैं, तो इन डाक्टरों की नियुक्ति के समय क्या उनसे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो समय इन ग्रामीणांचलों या पर्वतीय क्षेत्र में उन्हें सेवा का दिया जायेगा, वह उन्हें वहां रह कर करना अनिवार्य होगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सम्मानित सदस्य, श्री आभा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, यदि आप सब का सहयोग रहा तो वर्तमान समय में जो डाक्टर्स नियुक्त होंगे जब तक 10 वर्ष की सेवा वे इन ग्रामीणांचलों/पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पूरी करेंगे तो उन्हें प्रमोशन्स नहीं दिए जायेंगे । दूसरी बात यह है कि जो नये छात्र भर्ती हो रहे हैं उनसे भी पांच सालों का बाण्ड भराया जा रहा है कि वह शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत 5 वर्ष की सेवा उन्हें इन स्थानों पर अनिवार्य रूप से करनी होगी और यदि उनमें से कोई यह सेवा नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को सरकारी खजाने में तुरन्त 2 लाख रुपये जमा करने होंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी यह प्रश्न किया गया था कि हर स्थान पर सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही ग्रामीण क्षेत्रों व पर्वतीय क्षेत्रों में प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के स्थापना विस्तृत रूप में की गयी है और इस हेतु सभी प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में तीन-तीन चिकित्साधिकारी 1 एलोपैथ, 2 होम्योपैथ तथा 3 आयुर्वेद व यूनानी के स्नातक होंगे । तो मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके नियुक्ति के प्राविधान क्या होंगे ? तो .....क्या यह पद समाप्त किये जाने की शासन की नीति है ? यदि हां, तो जो यूनानी छात्र हैं, उन्हें समायोजित करने की कौन सी नीति अपनाई जा रही है ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह जो तृतीय एम0 ओज0 हैं, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था भारत सरकार की नीति के अनुसार की गयी है । भारत सरकार ने जून, 1989 से यह व्यवस्था समाप्त करने के लिए आदेश दिये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वर्तमान आर्थिक वर्ष मार्च, 1990 तक यह व्यवस्था भारत सरकार इसी प्रकार से चालू रखे और मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धान्त रूप में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार जो तृतीय एम0 ओज हैं, उनको रखने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है और इनको पृथक करने का सवाल नहीं उठेगा और हमारे जो नये अस्पताल खुलेंगे उनमें इनको समायोजित किया जायेगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि डाक्टरों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो अंशकालिक डाक्टर हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें समायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

तदर्थ नियुक्तियों के बारे में जो चयन समिति बनेगी , वह इस बात पर भी विचार करेगी कि जो अंशकालीन डाक्टर काम कर रहे हैं और अनुभव प्राप्त कर चुके हैं उनके अनुभव को आधार मानकर जरूर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब काफी हो चुका है ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मान्यवर, मेरा बड़ा ही अहम सवाल है , मुझे एक प्रश्न करने का मौका दें . . .

श्री हरदेव–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर सवाल है . . .

श्री अध्यक्ष–

अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा ।

श्री हरदेव–

मैं चाहूंगा कि माइनास मार्किंग है, उसे समाप्त किया जाये । इससे छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

इस समय 12 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

(12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र मनकापुर में कार्य प्रारम्भ करने की मांग

*4–श्री राम विशुन आजाद (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व ही हो चुका है, परन्तु अभी तक स्वास्थ्य केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो कब तक कार्य करना आरम्भ करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[गुरुवार दिनांक 28 सितम्बर, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तहसील बिसौली, जनपद बदायूं में शीतगृह की संख्या तथा उनके बिजली काटने के आदेश

*1—श्री योगेन्द्र कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जनपद की बिसौली तहसील में कितने शीतगृह हैं ? उनमें से कितने को बिजली मिल रही है और कितने शीतगृहों की बिजली काटने का आदेश मार्च, 89 में दिया गया है तथा क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

बदायूं जनपद की बिसौली तहसील में सात शीतगृह हैं ।

इन सभी सातों शीतगृहों को बिजली मिल रही है । किसी भी शीतगृह को मार्च, 89 में विद्युत काटने का आदेश नहीं दिया गया ।

जनपद हरदोई में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि हरदोई के जिला मुख्यालय पर 25 शैया युक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1974 से स्थापित है ? यदि हां, तो चिकित्सालय भवन के लिए नगरपालिका हरदोई से नजूल भूमि प्राप्त करने की कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस चिकित्सालय का शहर से हटाकर किसी ग्राम सभा में ले जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

जी हां । जिलाधिकारी, हरदोई से नजूल की भूमि प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

अधिसूचित नगर क्षेत्रान्तर्गत प्रयास करने के बावजूद समुचित भूखण्ड अनुपलब्ध होने के फलस्वरूप नगर से मिली हुई उपयुक्त भूमि पर चिकित्सालय का निर्माण कराना उचित पाया गया है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय में कतिपय कान्सट्रक्शन कार्यों के अनुबंधित दरों के मानक की जानकारी

*3—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती कार्यालय में माइनर रिपेयर, ह्वाइट वाशिंग जे0 वर्क एवं न्यू कान्सट्रक्शन कार्यों की अनुबंधित दरें हैं ? यदि हां, तो वर्ष 87-88 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो कार्य हुए वे क्या अनुबंधित दरों पर कार्य कराये गये या अधिकतम दरों पर ? यदि अधिकतम दरों पर कार्य कराए गए तो वे अनुबंधित दरें पी0 डब्लू0 डी0 मानक से कितनी अधिक हैं ? इससे कितना वित्तीय अधिभार बढ़ा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि रक्षा विभाग द्वारा मेसर्स केयरवेल इण्टर प्राइजेज नई दिल्ली से घटिया स्तर का रसायन खरीदने के आरोप की जांच

*4—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि कृषि रक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में मेसर्स केयरवेल इण्टर प्राइजेज नई दिल्ली से टू0 फोर डी0 नामक रसायन करोड़ों रुपये का खरीदा गया जो घटिया स्तर का था ? यदि हां, तो उक्त रसायन खरीदने के आदेश किसने और कब दिए थे ? उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या खरीद के पूर्व उसके स्तर की जांच कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 में मैसर्स केयरवेल इण्टर प्राइजेज, नई दिल्ली से 2, 4—डी नामक रसायन रुपया 25, 98, 204.50 का खरीदा गया जिसमें रु0 11, 08, 240-40 का स्टाक अधोमानक घोषित हुआ था जो पुनः क्रय प्रक्रिया में निर्धारित पद्धति के अन्तर्गत रेफरी केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, भारत सरकार, फरीदाबाद (हरियाणा) से विशलेषण कराने पर मानक घोषित हुआ ।

उक्त रसायन के क्रय आदेश नियमानुसार प्रदेश के 34 जनपदों के कृषि रक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया था । प्रकरण में पूर्ण जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महानगरों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के उपाय

*5—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों की सुनने की क्षमता में ह्रास होने की आशंका स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्त की है ? यदि हां, तो सरकार ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगार पशुचिकित्सक स्नातकों को सेवा में लिए जाने की मांग

*6—श्री हरिश्चन्द, हरीश जी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जिन पर पशु चिकित्सक नहीं हैं ? क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को सेवा कार्य में लेने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

269 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सक नहीं हैं ।

बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को सेवा कार्य में लेने की कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है । पशु चिकित्सक के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है ।

प्रदेश में टी0 एण्ड वी0 योजना से लाभान्वित जनपदों का विवरण

*7–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में टी0 एण्ड वी0 योजना लागू है ? क्या निकट भविष्य में इस योजना को मेरठ, आगरा तथा मुरादाबाद मंडल में लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना वर्तमान में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गाजीपुर एवं बलिया जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह एक विश्व बैंक पोषित योजना है इसलिये इसके अन्य क्षेत्रों में विस्तार के पूर्व भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है ।

फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज की 1984 की आडिट आपत्तियां

*8–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि महालेखाकार तथा निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से प्राप्त आडिट रिपोर्ट (आपत्तियों) के विरुद्ध पुनः आडिट आपत्तियों के विशलेषण के बाद विशेष आडिट एवं विभागीय तकनीकी समिति से जांच कराने की आवश्यकता एवं औचित्य क्या है ? विशेष आडिट एवं विभागीय तकनीकी समिति की जांच रिपोर्ट में अब तक कौन से लोग दोषी पाए गये तथा क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए ? इस संदर्भ में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

आडिट आपत्तियों के आधार पर विशेष आडिट एवं विभागीय तकनीकी समिति से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

विशेष आडिट एवं विभागीय तकनीकी समिति की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में व्याप्त दुर्व्यवस्था की जांच की मांग

*9–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में मरीजों की उपेक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार की बड़े पैमाने पर गम्भीर शिकायतें हैं और नर्सों

द्वारा मरीजों की दवाइयां और इन्जेक्शन तक बेच लिए जाते हैं ? क्या यह सही है कि विधायक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की लड़की श्रीमती अर्चना मेडिकल कालेज के न्यू प्राइवेट वार्ड नं0–5 में इलाज के लिए भर्ती थी उसका इन्जेक्शन 4-2-89 को स्नेहलता नामक नर्स ने दूसरे मरीज को लगा दिया था जिसकी लिखित शिकायत श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री से की है ? यदि हां, तो श्री तिवारी की मुख्य शिकायतें और उन पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और मेडिकल कालेज की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में मरीजों के उपचार में दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का पत्र दिनांक 15-2-89 को प्राप्त हुआ जिस पर शासन द्वारा जांच के आदेश मण्डलीय अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिए गए । जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

जनपद गोरखपुर के घुघली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

*10–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गोरखपुर जिले की घुघली कस्बा में करीब 5 लाख रुपए की भूमि निःशुल्क राजकीय अस्पताल बनाने के लिए दान स्वरूप दी थी जिस पर भवन बनवाने के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने आदेश भी कर दिया था ? यदि हां, तो उस भूमि पर अब तक अस्पताल न बनाए जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि भूमि के चयन के लिए प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर जिला अधिकारी गोरखपुर को लिखा है लेकिन अब तक चयन की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली, जनपद गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा एक एकड़ भूमि दान स्वरूप इस शर्त के साथ देने का प्रस्ताव किया कि उस भवन पर उनके स्व0 पिता श्री ज्वाला प्रसाद ओझा का नाम लिखा जाए । उपरोक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन ने ग्राम सभा जोगिया द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भवन बनाने का निर्णय लिया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा को शासन द्वारा मान्यता दिए जाने की नीति

*11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या जनस्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में के0 एन0 ई0 एच0 मेडिकल कालेज लखनऊ सहित अनेक ऐसी संस्थायें हैं जो कि इटली में विकसित तथा जर्मनी में भी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रो-होम्योपैथी नाम से एक नई चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण दे रही हैं ? यदि हां, तो इस पैथी के बारे में शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तथा यूनानी के अलावा एक पांचवीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे मान्यता दिए जाने पर विचार कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में शीतगृहों में आलू रखने की दर के निर्धारण की जानकारी

*12—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आने वाले वर्ष में शीतगृह में आलू रखने का किराया सरकार द्वारा क्या निश्चित किया गया है ? क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शीतगृह मालिक निर्धारित किराए से अधिक किराया लेकर किसानों को परेशान करते हैं कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसानों से निर्धारित किराया ही लिया जाय ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

आने वाले वर्ष के लिए शीतगृहों में आलू रखने का किराया शासन द्वारा अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था पहले से ही उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन बनाई गयी उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 में विद्यमान है ।

प्रदेश में आलू प्राधिकरण द्वारा किसानों को आलू क्षति पूर्ति हेतु लम्बित वादों की जानकारी

*13—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों के हित के लिये गठित आलू प्राधिकरण में इस समय किसानों की आलू क्षतिपूर्ति की कितनी अपीलें शीतगृह मालिकों के विरुद्ध लम्बित हैं ? इन अपीलों में दो साल से भी अधिक समय से भी अधिक समय से लम्बित अपीलें कितनी हैं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

शीतगृह मालिकों के विरुद्ध 11 अपीलें लम्बित हैं ।

इनमें से 9 अपीलें दो साल या उससे अधिक समय से लम्बित हैं ।

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा0 वी0 के0 सक्सेना बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में तैनाती का औचित्य

*14—श्री चन्द्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डा0 वी0 के0 सक्सेना मेडिको लीगल एक्सपर्ट हैं ? यदि हां, तो उन्हें बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

डा0 वी0 के0 सक्सेना ने फोरेन्सिक मेडिसिन्स में स्नातकोत्तर योग्यता (एम0 डी0 फोरेन्सिक मेडिसिन) प्राप्त की है । अतः डा0 सक्सेना मेडिकोलीगल पद की अर्हता रखते हैं । बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक का पद प्रशासनिक पद है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वेतनक्रम 2050-2500 के किसी भी उपयुक्त अधिकारी को इस पद पर तैनात किया जा सकता है ।

पी0 सी0 डी0 एफ0 लि0 लखनऊ में प्रबन्धकीय वर्ग में आरक्षण

*15–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 डी0 एफ0 लि0 लखनऊ में प्रबन्धकीय वर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूर्ण करने हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है और इस प्रबन्धकीय वर्ग का आरक्षित कोटा कितना है और यह कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

पी0 सी0 डी0 एफ0 एवं दुग्ध संघों में कार्यरत केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में अनुसूचित जातियों के संबंध में आरक्षण कोटा वही है, जो राज्य कर्मचारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित है । तदनुसार विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत 540 व्यक्तियों के समक्ष 18 प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 97 होनी चाहिए किन्तु वर्तमान में अनुसूचित जाति के केवल 8 व्यक्ति कार्यरत हैं । कोटे को पूरा करने के लिए वर्ष 1984-85 एवं 1986 में विशेष विज्ञापन द्वारा आरक्षित विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, तथा सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों तथा चयन हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की न्यूनतम सीमा में छूट भी प्रदान की गयी थी, इसके बाद भी समुचित संख्या में अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो सके । अतः कोटा पूरा करने हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से विशेष विज्ञापन के माध्यम से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं ।

जनपद लखनऊ, भाटिया बिल्डिंग (समीपस्थ बलरामपुर अस्पताल) असुरक्षित घोषित

*16–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के सामने स्थित भाटिया बिल्डिंग कुछ वर्ष पूर्व असुरक्षित घोषित कर दी गई थी ? यदि हां, तो उसमें नर्सों को रहने की अनुमति किस अधिकारी ने दी है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी, हां ।

उक्त अनुमति किसी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य निदेशालय में श्रेणी I के चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

*17–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय में कितने श्रेणी एक के चिकित्सा अधिकारी निदेशालय के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त सम्बद्ध किए गए हैं? इन अधिकारियों को निदेशालय से सम्बद्ध किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

शासनादेश संख्या–176 सेक-3/पांच-7(18)/84, दिनांक 12-6-85 के अंतर्गत सीनियर स्केल तथा उच्चतर वेतनमान में जो अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं उनमें से सहायक निदेशक (श्रेणी प्रथम) वेतनमान रु0–1250-2050 के 50 पद पूल में भी सृजित किये गये हैं । इन अधिकारियों को विभाग में आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर जनहित में तैनात किया जा सकता है । वर्तमान में निदेशालय में 16 प्रथम श्रेणी के अधिकारी सहायक निदेशक पदों पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तैनात हैं । इसके अतिरिक्त 2 सहायक निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय में परिवार कल्याण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से तैनात किये गये हैं ।

मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति की नीति

*18–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित करने के संबंध में शासन की क्या नीति है ? क्या इस संबंध में अर्ह अधिकारियों से विकल्प मांगा जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करेगी कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी पांच वर्ष से अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो प्रशासनिक पद है, पर न रहें जिससे कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी की व्यावसायिक प्रतिभा का ह्रास न हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मुख्य चिकित्साधिकारी के पदों पर तैनाती पी0 एम0 एच0 एस0 सम्वर्ग में से संयुक्त निदेशक ग्रेड के अधिकारियों से की जाती है । संयुक्त निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति के मानक कार्यालय ज्ञाप सं0–7124 सेक-3/पांच-1(65)/83 दिनांक 10-11-83 तथा संख्या–4308 सेक-3/पांच-दिनांक 28-7-86 में निर्धारित किये गये हैं । इस ग्रेड में संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, सीनियर कन्सल्टेन्ट तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि पद आते हैं इन पदों पर परस्पर स्थानान्तरण उपलब्ध अधिकारियों में से किया जाता है । स्थानान्तरण नीति के सामान्य निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद विशेष पर सामान्यत: 3 वर्ष तक कार्य के उपरान्त स्थानान्तरण किये जाते हैं । स्थानान्तरण के समय विकल्प देने का अधिकार सभी अधिकारियों को है । जहां तक प्रक्रिया निर्धारित करने का सम्बन्ध है इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभागीय प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों के व्यावसायिक ज्ञान का लाभ उनके प्रशासनिक पदों पर स्थानान्तरित होने पर भी शासन को प्राप्त होता है क्योंकि इन्हीं अधिकारियों को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है । इसके अतिरिक्त इस ग्रेड में रहते हुए अधिकारीगण प्रशासनिक पद के अतिरिक्त विशेषज्ञता वाले पदों पर पर भी सामान्यत: स्थानान्तरित होते हैं ।

प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर के कन्सलटेन्ट के पद का सृजन

*19–श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के कन्सलटेन्ट के पद के सृजन के क्या मानक एवं आधार हैं ? प्रदेश

में इस समय कुल कितने पद किन-किन जिलों में सृजित हैं ? क्या सरकार उक्त पदों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रत्येक जिले में कन्सलटेन्ट का पद सृजित करेगी तथा उक्त पद के कर्तव्य एवं अधिकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मुख्य-चिकित्साधिकारी स्तर के कन्सलटेन्ट के पदों का सृजन रोगियों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया गया है । प्रथमत: स्पेशल ग्रेड वेतनमान रु0 1840–2400 में पुरुष संवर्ग में कन्सलटेन्ट के 26 पद पूल में सृजित किये गये जिन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न जनपदों में प्रयोग में लाया जा रहा है । तत्पश्चात संयुक्त निदेशक वेतनमान रु0–2050-2500 में कन्सल्टेन्ट के पुरुष संवर्ग में 10 पद विभिन्न जनपदों के जिला चिकित्सालयों के लिये सृजित किये गये । शासनादेश दिनांक 13-7-89 द्वारा इन समस्त पदों का समान वेतनमान रु0–2050-2500 हो गया है । उक्त पद के कर्तव्य अधिकार शासनादेश सं0–4362 सेक-3/पांच 7 (40)/80 दिनांक 26-8-86 द्वारा निर्धारित किये गये हैं । इस स्तर के 150 अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है जिसमें कन्सल्टेन्ट के पद भी आवश्यकतानुसार सृजित किये जायेंगे ।

जिला कृषि कार्यलय, उन्नाव में श्रमिकों तथा कन्टीजेन्सी के भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही

*20–श्री सुन्दर लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से दैनिक श्रमिकों का भुगतान किस प्रक्षेत्र का जुलाई, अगस्त एवं नवम्बर, 1988 माह से नहीं किया गया है तथा इसका क्या कारण है ? क्या सरकार श्रमिकों का भुगतान समय में न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के किन प्रक्षेत्रों की कन्टीजेन्सी का भुगतान वर्ष जून, 1988 से 1989 तक न किए जाने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

उन्नाव जनपद के ऊगू प्रक्षेत्र के दैनिक चिट्ठे जुलाई, अगस्त एवं नवम्बर, 1988 के बकाये थे लेकिन अब 22-9-89 तक का भुगतान हो चुका है । जांच में पटल सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी, चिट्ठा के भुगतान में विलम्ब के लिये प्रथम दृष्टा दोषी पाये गये । आहरण वितरण अधिकारी एवं पटल सहायक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई । तत्कालिक कार्यवाही के अन्तर्गत पटल सहायक का पटल बदल दिया गया है ।

उन्नाव जनपद के कृषि प्रक्षेत्र ऊगू, उत्मानपुर एवं कुसैला के कन्टीजेंसी बिलों के भुगतान में भी पटल सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी प्रथम दृष्टा दोषी पाये गये हैं, एवं इस संबंध में इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । संबंधित बिलों का भुगतान कर दिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

गोण्डा जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा का उच्चीकरण एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र नन्दनगर का भवन निर्माण

1–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा के उच्चीकरण हेतु तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्द नगर के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी और कितनी धनराशि व्यय हुई और कितना कार्य अब भी अवशेष है ? कब तक कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

कार्य पूर्ण करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी । सामु0 स्वा0 केन्द्र, पचपेड़वा के भवन निर्माण पर अब तक 35.14 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है । मुख्य भवन का कुछ कार्य तथा टाइप–4 के 4 भवनों का कार्य शेष है । प्र0 स्वा0 केन्द्र नन्दनगर के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी को भूमि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । उसके पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ।

संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के प्रांगण में ब्लीचिंग पाउडर एवं सचल खाद्य वाहन के जल जाने की जांच रिपोर्ट

2–श्री मित्रसेन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 82 में संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यालय प्रांगण में 800 बोरी ब्लीचिंग पाउडर व सचल खाद्य दल के वाहन के जलाए जाने की जांच शासन ने कराई है ? यदि हां, तो उसमें पाए गए दोषी कर्मचारियों को स्थानान्तरित व दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को इसकी जानकारी है कि उक्त ब्लीचिंग पाउडर मु0 चि0 अ0, मिर्जापुर की थी जो अनधिकृत रूप से संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी के कार्यालय प्रांगण में स्टोर क्लर्क की मिलीभगत से रखी गई थी और उसे अग्निकाण्ड में जला दिया गया ? क्या शासन ने उक्त स्टोर क्लर्क को वहां से स्थानान्तरित व दण्डित किया है जब कि वह 16 वर्ष से एक ही कार्यालय में तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट में किसी कर्मचारी को आग लगाने के लिए दोषी नहीं पाया गया लेकिन लापरवाही के लिए 3 कर्मचारियों (डा0 ए0 के0 यादव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर, श्री रामरूप सिंह, तत्कालीन भण्डार लिपिक, कार्यालय सहायक निदेशक मलेरिया, वाराणसी मण्डल तथा श्री लालजी सिंह, फाइलेरिया कर्मचारी) को

दण्ड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि करने हेतु कारण बताओ नोटिस दी गई है । श्री राम रूप सिंह भण्डार लिपिक को मंडलीय अपर निदेशक, मलेरिया, वाराणसी के कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

जी हां, उक्त ब्लीचिंग पाउडर जनपद मिर्जापुर की थी । जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति आग लगाने के लिए दोषी नहीं पाया गया ।

संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अनधिकृत रूप से कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति

3–श्री मित्रसेन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने का अधिकार स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को है ? यदि हां, तो वर्ष 1983 में तत्कालीन संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अपने ही कार्यालय में एक कनिष्ठ लिपिक (श्री राम रूप सिंह) की पदोन्नति स्वयं ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर किस अधिकार के तहत अपने ही कार्यालय में कर ली गई जबकि श्री राम रूप सिंह से वरिष्ठ अनेक कनिष्ठ लिपिक मण्डल के अन्य कार्यालयों में तैनात थे जिनकी पदोन्नति कई वर्षों बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा की गई ? क्या शासन से इनको पदोन्नति करने का अधिकार प्रदत्त था ? यदि नहीं, तो शासन इसमें क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्रशासनिक अधिकारी के विकेन्द्रीकरण से संबंधित शासनादेश संख्या–6356-सेक-5/7-(59), दिनांक 5-11-82 में निहित अधिकारों के अधीन तत्कालीन संयुक्त निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय के सबसे वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक श्री राम रूप सिंह की पदोन्नति अपने आदेश दिनांक 13-6-83 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी थी जबकि उक्त शासनादेश में अपर निदेशकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने का अधिकार नहीं दिया गया था ।

तत्कालीन संयुक्त निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी डा0 तारा चन्द्र सेवा निवृत्त हो गये हैं अतः इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर भरत सिंह, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, बस्ती द्वारा सम्पादित नसबंदी केसेज की जानकारी

4–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी, डा0 भरत सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, जनपद बस्ती द्वारा वर्ष 1988-89 में कितने पुरुष एवं महिला नसबन्दी केसेज सम्पादित किये गये ? उन सभी सम्पादित महिला पुरुष नसबन्दी केसेज के नाम पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन-कौन हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

डा0 भरत सिंह, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, जनपद बस्ती द्वारा वर्ष 1988-89 में कुल 652 नसबन्दी केसेज सम्पादित किये गये । इनमें से 238 पुरुष व 414 महिला नसबन्दी केसेज हैं । सभी सम्पादित महिला व पुरुष नसबन्दी केसेज के नाम, पते व प्रेरक के नाम की सूची संलग्न हैं ।†

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, बस्ती के कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत नसबन्दी की उपलब्धि, पुरस्कृत कर्मचारियों की संख्या तथा भौतिक सत्यापन

5–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, बस्ती के कर्मचारियों की व्यक्तिगत नसबन्दी उपलब्धि वर्ष 1987-88 की क्या-क्या है और किन-किन कर्मचारियों को नसबन्दी उपलब्धि हेतु पुरस्कृत किया गया है ? उन पुरस्कृत कर्मचारियों के नसबन्दी केसेज का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत कर्मचारियों की व्यक्तिगत नसबन्दी उपलब्धि की सूची "क" संलग्न है ।

पुरस्कृत कर्मचारियों की सूची "ब" संलग्न है ।

नियमत: 5 प्रतिशत केसेज का भौतिक सत्यापन सम्पन्न हो चुका है ।

(देखिए नत्थी क का 'अ' व 'ब' आगे पष्ठ 170 पर)

प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार छपिया, गोरखपुर पर मिलावट युक्त उर्वरक बेचने के आरोप में दण्डात्मक कार्यवाही

6–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार, छपिया, जनपद गोरखपुर (श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव) द्वारा वर्ष 1984-85 में 4 टन 5 कुन्तल मिलावट युक्त एवं अवमानक उर्वरक डी0 ए0 पी0 विकास खण्ड परतावल के कृषकों को बेच कर कृषकों, कृषि तथा राष्ट्र की पैदावार पर कुठाराघात किया तथा उक्त अवमानक पर धोखाधडी करके शासन से अनुदान भी लिया ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नगत मामले में परियोजना अधिकारी, कृषि, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 3057 दिनांक 29-9-88 द्वारा उक्त विषय पर स्पष्टीकरण उक्त प्रभारी से 3 वर्ष बाद मांगा है ? यदि हां, तो इतने विलम्ब से स्पष्टीकरण मांगे जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है या की जा रही है ? क्या उक्त पत्र द्वारा प्रभारी से मांगा गया स्पष्टीकरण परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर एवं कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्पष्टीकरण क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

---

†छापी नहीं गयी ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां । व्यापक छानबीन के बाद यह ज्ञात हुआ कि श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की गैर जिम्मेदार कार्यवाही के फलस्वरूप प्रश्नगत उर्वरक दूसरे बीज भण्डारों के माध्यम से कृषकों को वितरित किया गया । अभिलेखों में स्पष्ट जानकारी नहीं हो रही है कि यह अमानक उर्वरक शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान के विरुद्ध कृषकों को वितरित हुआ ।

जी हां, यह सत्य है कि प्रश्नगत मामले में परियोजना अधिकारी ने दिनांक 29-9-88 को संबंधित प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा । विलम्ब से स्पष्टीकरण मांगे जाने के संबंध में तत्कालीन परियोजना अधिकारी की भर्त्सना की गई है ।

जी हां ।

जी हां, स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया । श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्राथिक स्वास्थ्य केन्द्र मथुरा बाजार, गोण्डा का भवन निर्माण एवं मरम्मत

7–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड हरैया सतघरवा में ग्राम सभा मथुरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के नव निर्माण का कार्य वर्ष 1986-87 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नवनिर्मित भवन की छतें, दीवारें, फर्श व प्लास्टर सब खराब हो चुके हैं ? क्या पुनः भवन को सक्षम स्तर तक निर्माण के लिए तत्कालीन व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मथुरा बाजार का भवन निर्माण वर्ष 1986-87 में हुआ था । चिकित्सालय भवन की छतें कुछ जगह लीक कर रही थीं तथा फर्श कहीं-कहीं टूट गया था जिसकी मरम्मत वर्ष 1988-89 में करा दी गयी है ।

गोण्डा जनपद सदर के स्व0 डा0 कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम माकलपुर के आश्रितों को पेंशन बीमा आदि का भुगतान

8–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम माकलपुर, पोस्ट परगना व तहसील-सदर, जिला गोण्डा निवासी डाक्टर कृष्ण मुरारी चौबे खमरीहया, लखीमपुर खीरी स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा सेन्टर में कार्यरत थे, का स्वर्गवास वर्ष 1987 में सेवा काल में हो गया था ? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को पेंशन, बीमा तथा अन्य वांछित धनराशि भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक कर दिए जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

डाक्टर चौबे की फैमली पेंशन के प्रकरण को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को संदर्भित कर दिया गया है । ग्रुप इन्श्योरेंस की धनराशि का भी भुगतान चेक के माध्यम से आश्रितों को 20-7-89 को किया जा चुका है । उक्त के अतिरिक्त अन्य जो भी देय थे उनका भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को किया जा चुका है ।

निर्माण एजेन्सी हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 द्वारा मो0 झांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0—1043/16-11-86-9 (39)/85, दिनांक 29-3-86 द्वारा जनपद झांसी के समथर नामक स्थान पर पी0 पी0 सेन्टर की स्थापना तथा उसके लिए एक आपरेशन थिएटर व वार्ड भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सच है कि निर्माण एजेन्सी हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 द्वारा स्वीकृत इस भवन का निर्माण बिना शासकीय स्वीकृति प्राप्त किए समथर के बजाय मोठ में कर रही है ? यदि हां, तो सरकार निर्माण एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी और क्या मोठ में निर्मित भवन को अधिग्रहीत करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । निर्माण एजेन्सी हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 द्वारा इस भवन का निर्माण समथर में समुचित भूमि के अभाव में मोठ, जनपद झांसी में किया जा रहा है । निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण निर्माण इकाई के विरुद्ध किसी कार्यवाही अथवा भवन के अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, आयुर्वेद एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में तदर्थ नियुक्ति

10—श्री रमाकांत—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा रोक लगा दिये जाने के बावजूद भी आयुर्वेद विभाग में शासनादेशों की अवहेलना करते हुए विगत कुछ महीनों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई चयन समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो इस चयन समिति के सदस्य कौन-कौन थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । मृतक कर्मचारियों के आश्रितों एवं संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा मांग किये जाने पर नियमित चयन होने तक निदेशक, आयुर्वेद एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा चयन समिति गठित किए बिना सीमित अवधि के लिए तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ।

कृषि विभाग, उ0 प्र0 में तकनीकी योग्यता धारक चालकों के पदोन्नति की मांग

11—श्री जगवीर सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में कार्यरत तकनीकी योग्यता रखने वाले वाहन चालकों की पदोन्नति हेतु कुछ पद उपलब्ध हैं? यदि हां, तो उक्त पदों पर तकनीकी योग्यता वाले चालकों को पदोन्नत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर, बहराइच द्वारा मरीजों के दवा, भोजन, परिवार नियोजन पर व्यय धन एवं इलाज की जानकारी

12—श्री राम सागर राव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर जनपद बहराइच को वर्ष 1988-89 में फरवरी, 1989 तक मरीजों की दवाओं, भोजन, परिवार नियोजन आदि पर अलग-अलग कितना धन उपलब्ध कराया गया और इस वर्ष कितने मरीजों को भर्ती करके इलाज किया गया?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम अवध ग्राम मठिया, चौधरीपुर फैजाबाद को कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में नौकरी में स्थायी करने की मांग

13—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार विशेष सचिव, कृषि के अ0 शा0 पत्र सं0-85-बी/12-8-88-400(3)/88, उ0 प्र0 शासन कृषि अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 8 मई, 1988 के आदेश के संदर्भ में कुलपति कृषि वि0 वि0 कुमारगंज फैजाबाद ने क्या कार्यवाही की है? क्या अधिग्रहीत भूमि प्रभावित कृषक श्री राम अवध पुत्र श्री मघई ग्राम मठिया—चौधरीपुर, फैजाबाद की भूमि चार बीघा बारह विस्वा अर्जित करने के बाद उसे वि0 वि0 की सेवा में पात्रता के आधार पर नौकरी में अभी तक स्थायी नहीं किया गया है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्री राम अवध पुत्र कन्धई, ग्राम-मठिया, चौधरीपुर फैजाबाद को दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं।

श्री शम्भू, ग्राम-गौखिया, थाना अतर्रा, जनपद बांदा का जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन के सम्बन्ध में शिकायत

14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0—ए/39/गृह/87 तथा पत्रांक-ए/38 गृह 87 दिनांक 9-10-87 गृह सचिव को बांदा जनपद थाना अतर्रा ग्राम गौखिया के श्री चिरौंजी लाल के पिता श्री शम्भू की जबरिया नसबन्दी करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नकर्ता का केवल पत्र संख्या-ए-39/गृह/87, दिनांक 9-10-87 ही शासन के गृह विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत होता है।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री शम्भू, ग्राम गौखिया, थाना अतर्रा जनपद बांदा ने अपनी नसबंदी आपरेशन दिनांक 17-8-87 को स्वेच्छा से कराया था।

डा0 महेन्द्र सिंह (सर्जन) चिकित्साधिकारी का उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानी का स्थानान्तरण

15—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा अपने पत्र सं0-स0 अ0 नि0/स्थाना0/87-88/748 दिनांक 3-8-1987 द्वारा डा0 महेन्द्र सिंह (सर्जन) चिकित्सा अधिकारी मऊरानीपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एरच को किया गया स्थानान्तरण आदेश एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त चिकित्साधिकारी आज भी उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में किसके आदेशों से तैनात हैं ? क्या सरकार इन्हें मऊरानीपुर से तुरन्त हटाने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । डा0 महेन्द्र सिंह (सर्जन) चिकित्साधिकारी को उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एरच स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निदेशालय द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं । डा0 महेन्द्र सिंह का अगस्त 1988 के पश्चात मऊरानीपुर में बने रहने के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

डा0 एच0 के0 साहू चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी झांसी ने उसके निजी सचिव को सम्बोधित अपने पत्र सं0-मु0 चि0 अ0/चि0 अ0-अधिकारी/87-160/1 5, दिनांक 18-6-87 के द्वारा डा0 एच0 के0 साहू चिकित्साधिकारी द्वारा की गई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में आख्या भेजी थी ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गई संस्तुति पर कार्यवाही कराकर सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । उक्त पत्र दिनांक 18-6-87 में डा0 एल0 के0 साहू के विरुद्ध निम्न वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं का उल्लेख है :—

(1) उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर की तैनाती में सरकारी नि: शुल्क आवास का उपयोग करने के साथ-साथ मकान किराया भत्ता भी लिया जाना ।

(2) जनपद पौड़ी गढ़वाल से जनपद बांदा के लिए लिए स्थानान्तरित होने पर अपने पूर्व तैनाती के स्थान पौड़ी गढ़वाल में अग्रिम यात्रा भत्ता के रूप में 1300 रुपये की धनराशि प्राप्त कर लेने पर उसका समायोजन नयी तैनाती के स्थान पर न करके पूर्ण धनराशि दुबारा प्राप्त कर लिया जाना ।

(3) सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया जाना ।

(4) प्रशिक्षणोपरान्त वापस आने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर भी रेल से यात्रा करने का किराया भत्ता प्राप्त किया जाना ।

उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में डा0 एल0 के0 साहू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ की महिला चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

17—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ के डफरिन अस्पताल में कौन-कौन महिला चिकित्साधिकारी हैं तथा वे कब-कब से इस चिकित्सा में तैनात हैं ? क्या मंत्री जी उक्त चिकित्साधिकारियों, जिन्हें लखनऊ जनपद में 3 वर्ष से अधिक हो गया है, स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत लखनऊ से बाहर आगामी सत्र में स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारियों के विवरण संलग्न हैं ।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ के महत्व एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी सत्र में लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

(देखिए नत्थी ख आगे पृष्ठ 172 पर)

डा0 अतीकुर्रहमान की आर0 डी0 एम0 ओ0 (अर्थो सर्जन) के पद पर नियुक्ति

18—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 वर्ष ग्रामीण सेवा पूरी कर लेने वाले चिकित्सक को जिला अस्पताल में नियुक्त किया जायेगा ऐसा शासनादेश निर्गत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोरखपुर के जिला अस्पताल में मात्र 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करने वाले चिकित्सक को आर0 डी0 एम0 ओ0 (आर्थो सर्जन) के रूप में जून, 1988 से नियुक्ति कर दी गई जब कि अनेक ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 8-10 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव प्राप्त किये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं ? क्या सरकार इन वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञों में से किसी एक को आर0 डी0 एम0 ओ0 (आर्थो सर्जन) पर नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं । 7 वर्ष की ग्रामीण सेवा के उपरांत जिला अस्पताल में नियुक्ति के आदेश हैं ।

जी हां । डा0 अतीकुर्रहमान की दो वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करने के उपरान्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण आर0 डी0 एम0 ओ0 (आर्थो सर्जन) के पद पर तैनाती की गयी है ।

आगामी सत्र में स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

फैजाबाद के डा0 राम प्रताप सिंह प्रसार निदेशक, कृ0 वि0 वि0, कुमार गंज के प्रति कुलपति के रूप में निर्धारित अवधि से अधिक कार्यरत होने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

19—श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि प्रसार निदेशक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद डा0 राम प्रताप सिंह द्वारा प्रति कुलपति के पद पर अतिरिक्त वेतन और मानदेय आहरित करके अपने पद का दुरुपयोग और वित्तीय अनुशासनहीनता की गयी है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अतिरिक्त मानदेय की आहरित धनराशि को विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दिया गया है ।

लखनऊ जनपद के मलिहाबाद तहसील के ग्राम मलहा के किसानों के खेत मेड़ बन्दी एवं समतलीकरण के कार्यों के व्यय भार को माफ करने की मांग

20–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम-मलहा पोस्ट-काकोरी जिला लखनऊ के ग्रामीणों के खेतों में मेड़बन्दी एवं जमीन समतलीकरण में आये हुए व्यय भार के सम्बन्ध में ग्रामीणों के हस्ताक्षर सहित माननीय विधायिका कुमारी कृष्णा रावत का पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 10-1-89 को प्राप्त हुआ है जिसे कृषि सचिव को 12-1-89 को भेजा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार व्यय भार माफ करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय विधायिका कु0 कृष्णा रावत का संदर्भित पत्र तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इसकी प्रति उनसे मांगी गयी है ।

वैसे भूमि संरक्षण अधिनियम, 1963 के अधीन नियमावली के अंतर्गत सामान्य कृषकों के खेतों पर कराए गए कार्यों के व्यय भार को माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण

21–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 86-87 से 88-89 तक वर्ष वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कम्युनिस्टी हेल्थ सेन्टर किस-किस विधान सभा क्षेत्र में खोले गये? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1986-87 से 88-89 तक खोले प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	वि0सभा क्षे0	प्रा0 स्वा0 के0	सा0 स्वा0 के0
1986–87	खतौली	3	×
	कांधला	1	×
	थानाभवन	1	×
	मोरना	2	×
	कैराना	×	1
1987–88	खतौली	1	×
	चरथावल	1	×
	कैराना	2	×
	कांधला	3	×

	मोरना	2	×
	जानसठ	1	×
	थानाभवन	1	×
1988–89	खतौली	3	×
	चरथावल	2	×
	कैराना	4	×
	काधला	2	×
	बुढ़ाना	1	×
	मु0 नगर	1	×
	मोरना	2	×
	थानाभवन	1	×
	जानसठ	×	1
		33	4

जनपद मुजफ्फरनगर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

22–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक विधान सभा क्षेत्रवार किस-किस कार्य में कितना-कितना कार्य किया गया? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में विधान सभा क्षेत्रवार तथा वर्षवार कराये गये कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रुपये में)		
		86–87	87–88	88–89
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरनगर	3.63	1.88	0.59
2	भोसा	3.98	13.20	3.16
3	जानसठ	7.39	8.63	3.61
4	खतौली	13.31	15.84	8.44
5	काधला	10.26	6.56	2.75
6	कैराना	3.13	6.02	2.05
7	थानाभवन	5.87	11.60	4.54
8	बुढ़ाना	3.65	1.57	1.78
9	चरथावल	6.00	7.84	8.51
	योग ..	57.25	73.14	32.43

जनपद इलाहाबाद के कतिपय चिकित्सालयों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु दिया गया धन

23—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के स्वरूपरानी चिकित्सालय, तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय तथा टी0 बी0 चिकित्सालय तेलियरगंज को वर्ष 1986-87, 87-88 तथा 89 अप्रैल, तक कितना-कितना धन दवा, भोजन, भवनों तथा सामानों की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु दिया गया? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अस्पतालों में उपरोक्त वर्ष में स्थानीय खरीद के माध्यम से कितने-कितने रुपयों की दवाइयां खरीदी गयीं तथा वर्ष 1988-89 में भोजन हेतु स्वीकृत टेंडरों में रोटी, चावल, दाल तथा सब्जी की दरें क्या थीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम महावड़ जनपद गाजियाबाद में जल भराव की समस्या के निराकरण की मांग

24—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महावड़ जनपद गाजियाबाद में जल भराव से पिछले वर्ष लगभग 500 बीघा में खड़ी खरीफ की फसल समाप्त हो गयी थी तथा रबी की फसल बोयी नहीं जा सकी? यदि हां, तो क्या शासन पानी के निकास के लिए कोई योजना बनाने का कष्ट करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक हाथरस के ग्राम जलालपुर की महिलाओं को नसबन्दी प्रमाण तथा धन उपलब्ध कराया जाना

25—डाक्टर बंगाली सिंह—

प्रथम सत्र वर्ष 1989 के चौथे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाभार्थियों के परिचय पत्र एवं निर्धारित धनराशि कब अवमुक्त की गयी तथा किसके द्वारा दिलायी गयी है? क्या सभी लाभार्थियों को परिचय पत्र एवं धनराशि वितरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के फाइलेरिया अधिकारी का स्थानान्तरण

26—श्री राज किशोर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17 वर्ष से लगातार एक ही जनपद में कार्यरत जनपद बाराबंकी के फाइलेरिया अधिकारी का स्थानान्तरण बार-बार निरस्त करने के पीछे क्या कारण है? क्या उक्त अधिकरी का तत्काल स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया ।

मामला अभी विचाराधीन है ।

भारत सेवक समाज उ0 प्र0 दारुलशफा, लखनऊ के नाम से विभागीय अधिकारियों द्वारा कथित षडयंत्र की जांच एवं कार्यवाही की मांग

27–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सेवक समाज उ0प्र0 दारुलशफा लखनऊ के नाम से विभागीय अधिकारियों द्वारा कथित षडयंत्र के बारे में शासन निदेशक परिवार कल्याण एवं महानिदेशक को विधायिका श्रीमती शकुन्तला देवी के पत्र दि0 13-3-89 विधायक श्री बंगाली सिंह के पत्र दिनांक 28-3-89 संलग्नकों सहित तथा विधायक श्री सुखपाल पाण्डे के पत्र 8-4-89 के प्राप्त हुए? क्या इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री ने 23-3-89 को स्वास्थ्य सचिव को कार्यवाही हेतु कोई आदेश दिये थे? यदि हां, तो पत्रों एवं उक्त आदेशों के मुख्य बिन्दु क्या हैं? इस विषय में किस अधिकारी द्वारा कब से जांच की जा रही है तथा जांच में क्या तथ्य पाये गये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त जांच कब तक पूरी करा ली जायगी? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवहन सम्बन्धी हेल्थ डायरेक्ट्रेट मुख्यालय, लखनऊ एवं निदेशालय की कैम्प वर्कशाप में सहायक, फोरमैन एवं शिल्पी प्रथम पदों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

28–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि परिवहन सम्बन्धी हेल्थ डायरेक्ट्रेट मुख्यालय लखनऊ एवं निदेशालय की कैम्प वर्कशाप में सहायक अभियंताओं, फोरमैन एवं शिल्पी प्रथम पदों पर कितने एवं कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से तैनात हैं? क्या तैनाती संख्या उक्त अधिष्ठानों/वर्कशाप हेतु शासन द्वारा स्वीकृति के अनुसार है? यदि नहीं, तो शासन से कितने-कितने पदों की स्वीकृति किन शासनादेशों के अन्तर्गत प्राप्त है तथा अधिक तैनाती किये जाने का क्या आधार है? स्वीकृति से ज्यादा तैनाती के लिए कौन दोषी है? क्या मंत्री जी दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? अधिक तैनातियां कब तक समाप्त की जायेंगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा डाक्टर बंगाली सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मेडिकल कालेज गोरखपुर में नेत्र विभाग द्वारा चलाये जा रहे दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सचल इकाई द्वारा किए गए आपरेशन का विवरण

30–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग

द्वारा चलाये जा रहे दृष्टि विहीनता निवारण कार्यक्रम की सचल इकाई के द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने कैम्प लगाये गये तथा उनमें कितने आपरेशन किये गये ? क्या जिन लोगों की दृष्टि वापस नहीं आई, उनके कारणों की जांच की गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नेत्र विभाग द्वारा चलाये जा रहे दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सचल इकाई द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगाये गये कैम्पों तथा उनमें किये गये आपरेशनों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कैम्पों की संख्या	आपरेशनों की संख्या
1986–87	43	2062
1987–88	56	2005
1988–89	15	1110

उक्त कैम्पों में किए गए सभी आपरेशन सफल रहे तथा किसी व्यक्ति के नेत्रों की दृष्टि नष्ट नहीं हुई ।

31–श्री मित्रसेन–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बरेली जनपद में 500 बिस्तर के अस्पताल निर्माण सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा

32–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्य मंत्री ने 2-4-89 को बरेली में 500 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

वित्तीय संसाधन की स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव पर सक्रिय विचार हो रहा है। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

33–डाक्टर बंगाली सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में कार्यरत लैब अटेन्डेण्टों की संख्या दिया जाने वाले वेतनमान की जानकारी

34–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज में कुल कितने लैब अटेन्डेण्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में किस-किस विभाग में कार्यरत हैं ? इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा इन्हें कौन सा वेतनमान देय है ? क्या मंत्री जी इसकी पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

के0 जी0 मेडिकल कालेज के विभिन्न विभाग (कालेज के दन्त संकाय सहित) कुल 92 लैब अटेन्डेंट कार्यरत हैं, जिनमें 78 पद वेतनमान रुपया 315-440 में, तथा 14 पद वेतनमान रुपया 305-390 में, कार्यरत हैं । उक्त कालेज से सम्बद्ध गांधी स्मारक एवं चिकित्सालय, लखनऊ में कुल लैब अटेंडेंट के 13 पद, वेतनमान 315-440 में कार्यरत हैं । लैब अटेन्डेंट की शैक्षिक योग्यता पूर्व में निर्धारित नहीं थी, परन्तु 25 अक्टूबर, 1986 से उक्त पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित है । विभागवार सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 174 पर)

बलिया जनपद के विकास खण्ड नवानगर अन्तर्गत कोथ ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग

35–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड नवानगर के 5 हजार की आबादी वाले ग्राम कोथ में कोई एलोपैथिक अस्पताल नहीं है जिससे वहां के निवासियों को अत्यन्त कठिनाई होती है? यदि हां, तो वहां एक एलोपैथिक पी0 एच0 सी0 कब तक स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1989 में जनपद बलिया विकास खण्ड नवानगर के ग्राम कोथ में एक आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना की जा चुकी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला योजना का अंग है । जिला योजना द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही ग्राम कोथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना संभव है ।

जनपद बहराइच के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर के अधीक्षक पर दवाओं के खरीद में धांधली के आरोप की जांच की मांग

36–श्री राम सागर राव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर जनपद बहराइच के अधीक्षक श्री राम उजागर पाण्डेय ने वर्ष 1987-88 व 1988-89 में जनपद बस्ती से कितने रुपये की दवायें खरीदी हैं ? जनपद बहराइच से दवायें न खरीदने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इस मामले की जांच प्रदेश स्तर के किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के नावाबगंज तहसील में ग्राम मित्तई हेतु मत्स्य पालन योजना

37–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मत्स्य पालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के ग्राम-मित्तई तहसील नवाबगंज हेतु कोई मत्स्य पालन योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब तक पूर्ण योजना क्या है ? क्या इसके लिए 10–15 वर्षों पूर्व के हरिजनों के भूमि के

पट्टे निरस्त करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त ने जिलाधिकारी बाराबंकी को मौखिक निदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा माह फरवरी, 1989 में 1 मत्स्य आस्थान निर्माण की योजना है ।

जी नहीं ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कर्मचारी संघ, लखनऊ द्वारा दिये गये ज्ञापन के संबंध में जानकारी

38–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कर्मचारी संघ, लखनऊ की मांगों के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1989 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में सहजनवां ब्लाक के हरपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

39–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहजनवां विकास खण्ड गोरखपुर में हरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

40–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा राजकीय कृषि बीज भण्डार, सहजनवां, गोरखपुर का आकस्मिक निरीक्षण

41–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशक, लखनऊ ने संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के साथ माह फरवरी/मार्च, 89 में सहजनवां कस्बे का दौरा किया था तथा 10 बजकर 10 मिनट पर कृषि बीज भण्डार, सहजनवां तथा कृषि रक्षा इकाई सहजनवां, जिला–गोरखपुर का पूर्ण स्टाफ अनुपस्थित मिला जिसके कारण संयुक्त कृषि निदेशक प्रसार, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा बीज भण्डार प्रभारी सहजनवां को निलम्बित कर दिया गया परन्तु कृषि रक्षा केन्द्र के प्रभारी को निलम्बित नहीं किया गया जबकि दोनों अनुपस्थित थे तथा दोनों पर आरोप एक ही है?

यदि हां, तो एक ही तरह के मामले में दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त कर्मचारी का भी निलम्बन वापस लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ ने संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के साथ दिनांक 25-2-89 को केवल राजकीय कृषि बीज भण्डार, सहजनवां का आकस्मिक निरीक्षण प्रातः 10 बजकर 10 मिनट पर किया था तथा वहां अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था । उक्त तिथि को कृषि रक्षा इकाई का निरीक्षण नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 15-5-89 को कठोर चेतावनी देते हुए बहाल कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के रिक्त पद पर तैनाती

42–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 3114/12-188-2139/1988, दिनांक 5-7-88 द्वारा डा0 रघुवीर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को कृषि निदेशालय से सम्बद्ध करने के आदेश के फलस्वरूप संयुक्त कृषि निदेशक प्रसार गोरखपुर का पद रिक्त चल रहा है तथा उक्त पद का कार्य कार्यवाहक रूप में प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर सम्भाले हुए हैं और वे कृषि विद्यालय गोरखपुर, गोरखपुर मण्डल के सामान्य कृषि शाखा तथा गोरखपुर मण्डल के प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना का कार्य एक साथ देख रहे हैं और कार्यों में पूर्ण समय न देने के कारण गोरखपुर मण्डल में कर्मचारियों विशेषकर लिपिक श्रेणी के नियुक्ति स्थानान्तरण पद स्थापना आदि के मामले में अनेक विवाद उत्पन्न हो गये हैं तथा अनेक कर्मचारी शासनादेशों के विरुद्ध एक योजना से दूसरे योजना में सम्बद्ध होकर वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवधि निर्धारित करके सर्वश्री फुरहत अली, कमला मौर्या, साधु शरण तिवारी, संतोष कुमार, भृगुनाथ यादव, रमाकान्त सिंह विद्यासागर तिवारी, गौड़ तथा रवि प्रताप मिश्र आदि लिपिकों की पोस्टिंग नियुक्ति तथा पद स्थापन संबंधी विसंगतियों को दूर करायेंगे तथा उनके द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करायेंगे तथा मण्डल का कार्य देखने हेतु किसी उप कृषि निदेशक अथवा संयुक्त कृषि निदेशक की तैनाती करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

शासनादेश सं0–4468/12-1-89 दिनांक 19-7-89 द्वारा श्री बी0 एल0 दोहरे की संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की जा चुकी है तथा उन्होंने गोरखपुर में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है ।

43–श्री राम सागर राव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर जनपद में कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

44—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में ग्राम चौमुखा, लक्ष्मीपुर दोवरवा, पटखौली, धर्मपुर, मंगलपुर, हरपुर तिवारी, सोहरौना तिवारी और कोटा मुकुन्दपुर में अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता एवं प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खुल जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । प्रश्नकर्ता द्वारा संदर्भवत गांवों में अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने हेतु एक पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को दिया गया था प्रभारी अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र घुघली द्वारा केवल चौमुखा, लक्ष्मीपुर दोवरवा का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी को प्राप्त हुआ था । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा परिव्यय उपलब्ध कराने एवं अनुमोदन प्रदान किए जाने पर ही अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव होगा ।

हरिजन उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री रतन स्वरूप राही स0 वि0 स0 का कथित शिकायती पत्र

45—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रतन स्वरूप राही विधायक का एक शिकायती पत्र सं0—710 दिनांक 23-6-88 जो हरिजन उत्पीड़न के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सन्दर्भित शिकायती पत्र दिनांक 23-6-88 प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद आगरा में कृषि उपनिदेशक के कार्यालय के अन्यत्र स्थापित किए जाने का कारण तथा पूर्व भवन का बकाया किराया एवं वर्तमान भवन का किराया

46—श्री विजय सिंह राणा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कृषि उप-निदेशक के स्वदेशी बीमा नगर (राम नगर कालोनी) स्थित कार्यालय को हटाकर कहीं अन्यत्र स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कहां और कब ? पुराने भवन का किराया क्या है और नए भवन का कितना किराया लिया जा रहा है ? प्रश्नगत भवन के बहुत जीर्ण-शीर्ण पुराना होने की रिपोर्ट किस तकनीकी अधिकारी ने की और कब ? क्या तकनीकी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां ।

दिनांक 18 अक्टूबर, 1986 को डी—526 एवं 528, कमला नगर, आगरा में कार्यालय स्थापित किया गया ।

पुराने भवन का किराया 350 रु0 प्रतिमाह था एवं नए भवन का किराया रु0 6000 प्रतिमाह है ।

दिनांक 25-7-86 को विभागीय सीनियर ओवरसियर/फोरमैन की रिपोर्ट ली गई ।

रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 175 पर)

जनपद उन्नाव के पुरवा कस्बे में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

47–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा कस्बा में महिला चिकित्सालय है ? यदि हां, तो इस चिकित्सालय में कब से महिला चिकित्सक नहीं है और महिला चिकित्सक न नियुक्त होने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, महिला अस्पताल पुरवा जनपद उन्नाव में दिनांक 11-9-1984 से महिला चिकित्सक कार्यरत नहीं है । पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में महिला चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण पद रिक्त है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर गोण्डा के अन्तर्गत पूरे तिवारी की स्वास्थ्य निरीक्षिका के विरुद्ध कतिपय शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

48–श्री चेतराम–

प्रथम सत्र 1989 के 7वें गुरुवार के अता0 प्र0 सं0–18 पर श्री धनराज यादव, सदस्य, विधान सभा के प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र पूरे तिवारी जनपद गोण्डा की स्वा0 निरीक्षिका श्रीमती सुशीला देवी के विरुद्ध शिकायतों की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । जांच के आधार पर श्रीमती सुशीला देवी स्वास्थ्य निरीक्षिका का दिनांक 10-8-88 से 19-8-88 तक अनुपस्थित रहना पाया गया । प्रसंगत अवधि में उपस्थिति पंजिका में उसके बनावटी हस्ताक्षर थे । यद्यपि श्रीमती सुशीला देवी ने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की है तथापि श्रीमती सुशीला देवी की चरित्र पंजी में इस सम्बन्ध में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित किए जाने के निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों की वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में नियुक्ति

49–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नागरिक जो अन्य प्रदेशों से आयुर्वेद स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और उ0 प्र0 में चिकित्सक के रूप में पंजीकृत हैं, उ0 प्र0 में चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद एवं यूनानी) जैसी सरकारी सेवाओं हेतु अर्ह माने जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से आयुर्वेद एवं यूनानी की पंचवर्षीय उपाधि आवश्यक अर्हता निर्धारित है ।

श्री फुरहत अली, कनिष्ठ लिपिक का प्रत्यावेदन कार्यालय संयुक्त निदेशक (प्रसार) गोरखपुर द्वारा निरस्त किया जाना

50–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री फुरहत अली कनिष्ठ लिपिक कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर में अपनी गलत भारमुक्ति आदेश संख्या 552 दिनांक 30-4-88 के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिनांक 30-4-88 व 29-6-88 तथा उसके बाद 8 अनुबोधक संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर तथा कृषि निदेशालय एच0 ए0 अनुभाग को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रत्यावेदन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सच है कि उक्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारी ने अपने प्रत्यावेदन में स्पष्ट आरोप लगाया है कि उक्त कर्मचारी के स्थान पर एक अन्य कर्मचारी (श्री रमाकान्त) को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 2010 दिनांक 11-4-88 में निहित निदेशों के विपरीत उन्हें रोका गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि उक्त कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर के भारमुक्त आदेश संख्या-552, दिनांक 30-4-88 के विरुद्ध श्री फुरहत अली का प्रत्यावेदन दिनांक 30-4-88 तथा 6 अनुबोधक उन्हें प्राप्त हुए थे । कृषि निदेशालय में उनके प्रत्यावेदन दिनांक 29-6-88 तथा 2 अनुबोधक की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई थीं । श्री फुरहत अली का प्रत्यावेदन निदेशालय के पत्रांक मु0प्र0-2120-ए, दिनांक 30-8-89 द्वारा निरस्त कर दिया गया । जी हां, परन्तु जांचोपरान्त आरोप सिद्ध नहीं पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम-मई परगना बरसठी में स्थित कृषि फार्म के आराजी नं0 1 रकबा 32 डि0 राम सागर के नाम तबादला करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

51–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद की तहसील मड़ियाहूं के ग्राम मई, परगना-बरसठी में कृषि विभाग का फार्म है ? उक्त फार्म में कितने खसरा नम्बर हैं एवं उनका रकबा क्या है ? इसी फार्म की आराजी नं0-1 रकबा 32 डि0 राम सागर आदि के नाम परगनाधिकारी द्वारा तबादला बाद सं0-11 दफा-161 के तहत किया

गया है ? क्या इस तबादले के लिए कृषि विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां ।

इस फार्म का खसरा नम्बर-1 है एवं इसका क्षेत्रफल 28.74 एकड़ है।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच की जा रही है, दोषी पाये जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

सी0 एम0 ओ0 गोरखपुर द्वारा वार्ड ब्वाय (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाना

52–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एम0 ओ0 सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 15/16 फरवरी, 89 को वार्ड ब्वाय (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नियुक्ति आदेश दिया गया था ? यदि नहीं, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, समस्त वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ही नियुक्तियां की गयी हैं । हैं ।

बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ अधीक्षक डा0 वी0 के0 सक्सेना द्वारा एक साथ दो पदों पर कार्य करने हेतु विभाग की अनुमति न लिया जाना

53–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा0 वी0 के0 सक्सेना मेडिको लीगल एक्सपर्ट रिवर बैंक, कालोनी लखनऊ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अस्पताल में मेडिकल आफिसर के पद पर भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो एक साथ दो पदों पर कार्य करने हेतु उन्होंने विभाग से अनुमति प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मार्गों को पक्का कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

54–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मार्गों का लेपन और डामर करा कर

पक्का कराने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-5-89 को मंत्री जी को प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किया और यह अनुरोध किया था कि इन मार्गों के लेपन करने पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति की आय में वृद्धि होगी और उसके दायित्व निर्वहन में गतिशीलता आवेगी ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के सन्दर्भित पत्र पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? पत्र में सन्दर्भित मार्गों को कब तक पक्का कराने की योजना है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है । धनाभाव के कारण प्रश्नगत मार्गों का पक्का कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद रामपुर में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशक आइसो प्रोटूरौन पर छूट देने की मांग

55–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 की गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों को खरपतवार नाशक रासायन आइसो प्रोटूरौन पर छूट दी तथा जिलानुसार कितने-कितने रसायन का वितरण किया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद रामपुर हेतु कितनी आइसो प्रोटूरौन, तथा उस पर कितनी छूट जिला रामपुर को उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1988-89 में गेहूं की फसल पर खरपतवार नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम से आच्छादित 43 जनपदों में खरपतवार नाशक रसायन आइसो प्रोटूरौन 25 प्रतिशत छूट पर उपलब्ध कराया गया ।

जनपदवार रसायन वितरण की सूची "अ" तथा "ब" संलग्न है ।

जनपद रामपुर में 6.429 मै0 टन आइसो प्रोटूरौन 50 प्रतिशत क्षमता का रसायन कृषकों को पूरे मूल्य पर उपलब्ध कराया गया । भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष खादयान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं) के अन्तर्गत जनपद रामपुर आच्छादित न होने के कारण कोई छूट नहीं दी जा सकी ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 176 पर)

कृषि निदेशक द्वारा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित श्री आशीष कुमार अग्रवाल की नियुक्ति

56–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यरत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित की नियुक्ति के बारे में आयुक्त लखनऊ मण्डल की ओर से कोई पत्र दिनांक 4 मार्च, 1989 (5389-97) सा0 अ0/88-89 कृषि निदेशक को मिला ? यदि हां, तो पत्र में संदर्भित श्री आशीष कुमार अग्रवाल को क्या नौकरी दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दी जायेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां ।

श्री आशीष कुमार अग्रवाल की नियुक्ति कृषि निदेशक के आदेश संख्या-मु0प्र0-3004, दिनांक 11-9-89 द्वारा कर दी गई है ।

जनपद बस्ती महिला अस्पताल हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा

57–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, बस्ती ने मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को ग्राम-रामगढ़ तप्पा, कुदारन बासी पूरब तहसील बांसी को महिला अस्पताल हेतु आवंटित बचत भूमि जिसे दिनांक 10 जनवरी, 1988 को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया था, की स्थायी सुरक्षा का प्रबन्ध किये जाने के संबंध में पत्र भेजकर निर्देशित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और स्थायी सुरक्षा के क्या प्रबन्ध किये गये ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में उक्त भूमि पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब्जा हटवाने हेतु प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला योजना वर्ष 89-90 में धन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था ताकि चाहारदीवारी बनवाकर स्थायी सुरक्षा की जा सके किन्तु धन उपलब्ध नहीं हो सका । वर्तमान समय में प्रश्नगत भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य महा निदेशालय में आशुलिपिकों को स्थाई करने की मांग

58–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य महा निदेशालय में 20 वर्ष की निरन्तर सेवा करने के उपरान्त भी कुछ आशुलिपिक अस्थाई हैं ? यदि हां, तो राजाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कौन दोषी है ? दोषी अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी और सम्बन्धित आशुलिपिकों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । महानिदेशालय में आशुलिपिक के कुल 42 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 36 आशुलिपिक कार्यरत हैं जिनमें से 7 आशुलिपिक स्थायी हैं । शेष आशुलिपिकों के संबंध में पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित नहीं हुई है जिसके फलस्वरूप उनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है । ज्येष्ठता निर्धारित होते ही तथा स्थायी पद उपलब्ध होने पर यथासमय उन्हें भी स्थायी कर दिया जायेगा ।

राजकीय अस्पताल बांसगांव, जनपद गोरखपुर के अधीक्षक डा0 शुक्ला के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं स्थानान्तरण का निरस्त किया जाना

59–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र पर अनु-

भाग अधिकारी स्वा0 एवं परि0 कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 3-2-89 को स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 सरकार को डा0 शुक्ला, अधीक्षक, राजकीय अस्पताल बांसगांव (गोरखपुर) के विरुद्ध जांच का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं व उसकी जांच कब एवं किस अधिकारी से कराई गई ? क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी आरोपों के आधार पर इनका स्थानान्तरण दो बार हो चुका था ? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने के क्या कारण थे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, जन प्रतिनिधियों के शिकायती पत्र में डा0 एन0 एस0 शुक्ला के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :—

1–भ्रष्टाचार एवं दुष्चरित्र का आरोप
2–फर्जी नसबन्दी का आरोप
3–अस्पताल के सफाई आदि का बजट का दुरुपयोग
4–दवा बेचने का आरोप
5–अस्पताल में मरीजों से पैसा लेने का आरोप एवं अस्पताल में महिलाओं से छेड़खानी का आरोप
6–माफिया गिरोह से संबंध होने का आरोप
7–कापरटी में अनियमितता का आरोप
8–डाक्टरों का निजी प्रैक्टिस का आरोप
9–मरम्मत के लिए आये धन को हड़पने का आरोप ।

डा0 शुक्ला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा की जा रही है ।

डा0 शुक्ला का स्थानान्तरण पूर्व में दो बार किया गया था जिसे विचारोपरान्त स्थगित/निरस्त किया गया ।

राज्य मंत्री श्री सीताराम निषाद एवं निदेशक, मत्स्य पर भ्रष्टाचार का आरोप

60–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री ने आदेश सं0 सी0/एम सेकेण्ड दिनांक 25-8-88 के द्वारा राज्य मंत्री, श्री सीताराम निषाद एवं निदेशक, मत्स्य श्री वी0 के0 जौहरी एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में विजीलेंस जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अधिकारी, बस्ती द्वारा तत्कालीन परियोजना अधिकारी (कृषि) क आहरण वितरण एवं प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगाया जाना

61—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी (कृषि) बस्ती के आहरण वितरण एवं प्रशासनिक कार्यों पर जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद उन्होंने अपने आदेश संख्या 2046/4-कृषि/स्था0-2, दिनांक 23-11-88 द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर श्री अवधेश कुमार की नियुक्ति क0 लि0 पद पर कर दी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु 15 प्रतिशत आवंटित कोटा सम्बन्धित शासनादेश एवं निर्देशों की अवहेलना कर श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव को कामदार पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ? क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु आरक्षित कोटे को पूर्ण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां । यह सही है कि जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने आदेश 516/22-9-87 से तत्कालीन परियोजना अधिकारी, श्री श्रीकान्त उपाध्याय को कार्य करने से रोका था । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-8-87 के आदेश के बाद उक्त प्रतिबन्ध समाप्त हो गया । यह भी सही है कि भर्ती पर प्रतिबंध रहने के बावजूद भी श्री उपाध्याय ने श्री अवधेश कुमार की प्रोन्नति कामदार के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कर ली ।

जी नहीं ।

चूंकि परियोजना अधिकारी (कृषि), बस्ती के कार्यक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के लिये आरक्षण कोटा पूर्ण है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

62—डाक्टर बंगाली सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

63—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में यूनानी चिकित्सालयों को स्थापित करने की मांग

64—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 से अब तक कितने 25 शैय्या युक्त यूनानी चिकित्सालय स्थापित किए गए ? यदि नहीं किए गए, तो क्या भविष्य में 25 शैय्या युक्त यूनानी चिकित्सालय स्थापित करने का विचार सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

कोई नहीं ।

प्रदेश में 25 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की योजना जिला सेक्टर के अंतर्गत है । अतः ऐसे चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना में

धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा संस्तुति दिये जाने पर ही सम्भव है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंडेरा में स्वीकृत पी0 एच0 सी0 के भवन निर्माण की मांग

65—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंड़ेरा में नया पी0 एच0 सी0 खोलने की स्वीकृति कब दी गई थी ? क्या पी0 एच0 सी0 के लिए उक्त गांव की भू-प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि सन् 1987 में अस्पताल निर्माण के लिए दी गयी थी ? इस पी0 एच0 सी0 का भवन निर्माण कराने का कार्य किस एजेंसी को दिया गया है ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

ग्राम मुंडेरा में स्थापित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय को नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने की स्वीकृति दिनांक 31-10-1986 को दी गयी थी । गांव सभा मुडेरा की भू-प्रबन्धक समिति ने भवन निर्माण हेतु भूमि दी है । भवन निर्माण का कार्य हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम को दिया गया है। निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

वर्षवार खोले गये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का विवरण

66—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 मार्च, 1983 को विधायक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री ने जो घोषणा की उसके अनुपालन में अब तक कितने 25 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में यूनानी कक्ष स्थापित किये गये? क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले चिकित्सालयों में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत यूनानी चिकत्सालय स्थापित किये जाने का भी निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये गये? क्या मंत्री जी 1983 से अब तक प्रतिवर्ष खोले गये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का सम्पूर्ण वर्षवार विवरण एवं प्रतिशत सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

एक भी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । वर्ष 1983 से अब तक वर्षवार खोले गये आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय का विवरण प्रतिशत सहित निम्न है:–

वर्ष	आयु0 चिकित्सालय	यूनानी चिकित्सालय	प्रतिशत
1	2	3	4
1983	166	19	11·44
1984–85	133	6	4·51
1985–86	106	6	5·66
1986–87	141	7	4·96
1987–88	109	4	3·66

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र हेतु आवंटित धन एवं बिलों का भुगतान

67–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती द्वारा वर्ष 87-88 में माइनर रिपेयर, ह्वाइट वाशिंग जे0 वर्क एवन्यू कान्स्ट्रक्शन कार्यों हेतु कितना-कितना धन किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों एवं उप केन्द्रों को आवंटित किया? क्या उक्त कार्यों का इस्टीमेट विभागीय अवर अभियंता द्वारा तैयार करवाया गया और बिलों का भुगतान नियमानुसार विभागीय अवर अभियन्ता के सत्यापन के बाद ही किया गया? यदि नहीं, तो इस अनियमितता का उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

वर्ष 87-88 में जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भवन मरम्मत एवं सफेदी का कार्य हेतु आवंटित धनराशि के विवरण स्पलग्न है । मरम्मत एवं सफेदी का कार्य सम्बन्धित केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया गया और बिलों का भुगतान विभागीय अवर अभियन्ता के सत्यापन के बाद ही किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 179 पर)

68–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम द्वारा कुफरी ज्योति प्रजाति के प्रमाणित आलू बीज की आपूर्ति की मांग

69–श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम का किस मात्रा में कुफरी ज्योति प्रजाति के आलू बीज प्रमाणित श्रेणी के पैदा करने का प्रोड्यूसर प्रोग्राम निर्धारित है और क्या इस प्रोग्राम की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम के पास पर्याप्त मात्रा में कुफरी ज्योति प्रजाति का आधारीय द्वितीय श्रेणी का बीज उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम इस कमी की पूर्ति किस प्रकार करेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

12,000 कुन्तल ।

जी हां ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुन्डेरा में स्थित वेटनरी अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति की मांग

70–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंडेरा में वेटनरी अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति कब से नहीं की गई है? डाक्टर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अरुण कुमार सिंह–

पशुचिकित्सालय, मुंडेरा जनपद बलिया पर पशु चिकित्साधिकारी की नियुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंडेरा में वेटनरी अस्पताल के भवन निर्माण की मांग

71–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुंडेरा में वेटनरी अस्पताल की स्वीकृति कब की गयी थी? उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

अरुण कुमार सिंह–

इस पशु चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1985-86 में दी गयी थी और मार्च 1986 से चिकित्सालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । इसके भवन का निर्माण जिला नियोजन एवं समन्वय समिति द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद कराया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में पानी के टंकी की व्यवस्था की मांग

72–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में पीने के पानी की टंकी की व्यवस्था अलग से की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वह सुचारु रूप से नहीं चल रही है? इसके लिये कौन-कौन से अभियंता और अधिकारी दोषी हैं? क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी एवं पानी की टंकी कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी हां ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरदह द्वारा अधिशासी अभियंता मेकेंनिकल डिवीजन, वाराणसी से पम्प के कार्य न करने तथा उसे ठीक कराने हेतु दिनांक

23-4-87 को लिखा गया । चूंकि प्रभारी चिकित्सक ने मामले का ठीक से अनुसरण नहीं किया, अतः उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है । पुनः दिनांक 4-9-89 को पानी की टंकी के सुचारु रूप से चालू करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को लिखा गया है । पानी की टंकी को शीघ्र ही ठीक कराकर उसे चालू कराया जाना अभीष्ट है।

जनपद बस्ती की मण्डी समिति सहियापुर की आय का विवरण

73—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहियापुर जनपद बस्ती की विगत तीन वर्षों की वर्षवार आमदनी व आय कितनी है? सहियापुर के पास कितना धन उपलब्ध है? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मण्डी समिति सहियापुर जनपद बस्ती की गत तीन वर्षों (कृषि वर्ष) में आय लगभग क्रमशः 8·54, 8·52 और 11·75 लाख रुपया रही है ।

प्राप्त विवरण के अनुसार मण्डी समिति सहियापुर के पास 30-6-89 को लगभग 39 लाख रुपया अवशेष है ।

जनपद बस्ती की कृषि मण्डी समिति सहियापुर द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना

74—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहियापुर जनपद बस्ती द्वारा वर्ष 1989-90 से वर्ष 1987-88 तक कौन-कौन से ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया? उनकी लम्बाई क्या है तथा उन पर कितना धन व्यय किया गया? वर्ष 1988-89 में समिति द्वारा कौन-कौन से मार्ग निर्माणार्थ लिये जाने प्रस्तावित थे?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0 सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मा0	व्यय (रु0)
1—चौखड़ा से गौरा	2·5	4,07,841—00
2—पिरैला से आदमपुर	3·00	
3—सेमरी से जिरानाधाम	1·5	
4—भानपुर इण्टर कालेज से भानपुर अवशेष	1·2	
5—सोहना से विजौरा	1·7	
6—खारया रघुवीर सिंह से भग्गोभार	1·8	

वर्ष 1988—89 में "मन्जीत चौराहा से फतेहपुर" सम्पर्क मार्ग निर्माणार्थ प्रस्तावित था ।

प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट पद पर कार्यरत व्यक्तियों को स्थाई करने की मांग

75–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट पद पर कितने ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जिनको तीन वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत रहने के बावजूद भी स्थायी नहीं किया गया है ? इनको कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत 1178 आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों को स्थायी नहीं किया गया है जिनका स्थायी पद उपलब्ध होने एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर स्थायीकरण किया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर में रति रोग नियंत्रण की व्यवस्था की मांग

76–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रति रोग नियंत्रण के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में जनपद बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोण्डा तथा सुल्तानपुर में रतिरोग रुजालय की स्थापना जिला चिकित्सालय में की गयी है और यह कार्य वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या जनपद सुल्तानपुर में भी यही व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

केवल सुल्तानपुर में रति रोग रुजालय का कार्य जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा-अधिकारी के अधीन किया जा रहा है क्योंकि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा0 के0एल0 पिल्लई उनका प्रशासनिक नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं । उन्हें पुनः आदेशित किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर एवं बस्ती के चिकित्साधिकारियों को आहरण एवं वितरण अधिकार से मुक्त कराने की मांग

77–श्री विष्णु देव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय शासनादेश के अनुसार चिकित्साधिकारियों को 5 वर्ष की सेवा काल के पूर्व आहरण-वितरण का अधिकार नहीं दिया जा सकता ? यदि हां, तो जनपद-गोरखपुर व बस्ती में कौन-कौन चिकित्साधिकारी हैं जिन्हें कथित अधिकार दिया गया है? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार से मुक्त करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां। शासनादेश संख्या-ए-2-1701-दस-14(4)-1973 दिनांक 28 जुलाई, 1973 के अनुसार ऐसे अधिकारियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया जा सकता है जिनको कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो ।

जनपद गोरखपुर एवं बस्ती में किसी भी चिकित्साधिकारी को कथित अधिकार नहीं दिया गया है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्रों में रिक्त पदों पर पदोन्नति करने की मांग

78—श्री अकबर हुसैन बादर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत चल रहे खाद्य विज्ञान केन्द्रों में विगत वर्षों से बेकरी, कुकरी प्रशिक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं जबकि 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के कोटे में आते हैं? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा इनको भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां। पद रिक्त हैं किन्तु पदोन्नति का कोई कोटा नहीं है।

जी नहीं। यह पद केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया से भरे जाते हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में वरिष्ठ मुख्य अधीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग

79—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में वरिष्ठ मुख्य अधीक्षक जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर का पद किस तिथि से रिक्त चल रहा है? प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त पद को भरे जाने हेतु कार्यवाही किस तिथि को आरम्भ की गयी? क्या उक्त पद को भरे जाने हेतु वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक अथवा उनके समकक्ष स्तर के चिकित्सक उपलब्ध थे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में वरिष्ठ मुख्य अधीक्षक की रिक्त की अवधि में समकक्ष स्तर के कितने चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गयी? उक्त जिला अस्पताल में वरिष्ठ मुख्य अधीक्षक का पद लगभग 6 माह तक की अवधि तक रिक्त रखने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्ष 1989 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर का पद डा0 ललित मोहन की मृत्यु के फलस्वरूप दिनांक 28-12-88 से 14-7-89 तक रिक्त रहा। रिक्ति की अवधि में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के समकक्ष कोई भी अधिकारी जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में तैनात नहीं था। रिक्त पद को भरने के लिये समकक्ष स्तर के अधिकारी अन्यत्र उपलब्ध थे लेकिन मध्य सत्र में स्थानान्तरण से उक्त पद को भरने में सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता एवं पारिणामिक प्रभाव अन्य जनपद के चिकित्सालय पर पड़ता। संवर्ग में इस ग्रेड के अधिकारियों के काफी पद रिक्त हैं चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नतियों के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किये गये हैं अधिकारियों की कमी होने के कारण कुल उपलब्ध पदों के विरुद्ध उतने अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। अतः विभाग द्वारा रिक्त पद को भरने की कार्यवाही 27-4-89 से प्रारम्भ की गई, जब महानिदेशालय से प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ और दिनांक 4-7-1989 द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार डा0 जानकी प्रसाद की तैनाती कर दी गई। फलस्वरूप पद को रिक्त रखने के लिये कोई दोषी नहीं है।

उ0 प्र0 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों का चयन

80—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में कार्यरत जिला प्रशासनिक अधिकारियों का चयन 1975 से 1989 तक पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कितनी बार और कब तथा कितने लोगों को कराया गया है? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से निम्नांकित वर्षों में उनके सम्मुख उल्लिखित संख्या के प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन कराया गया है:

वर्ष 1975—54 पदों पर

वर्ष 1982—9 पदों पर ।

विभिन्न कारणों से रिक्त हुये 12 प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर चयन कराये जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है ।

स्वास्थ्य विभाग जनपद में वाहनों की एवं चालकों की नियुक्ति की जानकारी

81—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने वाहन हैं और उनमें कितनी निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके हैं और कितने खराब हालत में खड़े हैं और कितने चालू हालत में हैं? जनपद में कुल कितने वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं, कितने वाहन चालक कार्यरत हैं, कितने वाहन चालक के पद रिक्त हैं? और कितने दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं? दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से 30 अप्रैल, 1989 तक की अवधि में नियुक्त वाहन चालकों का नाम नियमानुसार जिला सेवा योजन कार्यालय से मांगा गया था तथा क्या उनकी नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती शारदा कुमारी स्वास्थ्य निरीक्षिका का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहबपुर आजमगढ़ में स्थानान्तरण

82—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में श्रीमती शारदा कुमारी स्वा0 निरीक्षिका का स्थानान्तरण प्रा0 स्वा0 केन्द्र सठियांव जनपद आजमगढ़ उपकेन्द्र महुआ से जून, 1987 में मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश संख्या 151/87 जून के द्वारा प्रसवोत्तर केन्द्र मऊनाथ भंजन जनपद आजमगढ़ में करके पुनः एक ही माह के अन्दर 7-8-87 को मऊनाथ भंजन से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र तहबपुर जनपद आजमगढ़ कर दिया गया ? क्या एक माह के अन्दर ही स्थानान्तरण के प्रकरण की जांच करायी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्रीमती शारदा कुमारी स्वास्थ्य निरीक्षिका का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सठियांव से प्रसवोत्तर केन्द्र मऊ में किया गया था। किन्तु जिसके स्थान पर यह स्थानान्तरण किया गया था उसका स्थानान्तरण अपर निदेशक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के आदेश दिनांक 22-7-87 के दौरान निरस्त कर दिया गया था। इसी अवधि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सठियांव में श्रीमती शारदा कुमारी के स्थान पर जिस स्वास्थ्य निरीक्षिका को स्थानान्तरित किया गया था, उसने कार्यभार ग्रहण कर लिया था इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सठियांव में रिक्ति के अभाव में श्रीमती शारदा कुमारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहबरपुर में उपलब्ध रिक्त स्थान पर जनहित में स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कम्पोस्ट इंस्पेक्टरों को स्थायी करने की मांग

83–श्री कनक सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या ए0 बी0-501 ए0 बी0-एम0 एम0-1 ग्रुप 2 दिनांक 27-7-62 (निदेशक कृषि) द्वारा जिन 48 ग्रुप-2 के कम्पोस्ट इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गयी थी, में से कितने स्थायी किये गये तथा कितने अस्थायी हैं ? शेष का 27 वर्ष में स्थायी न करने के क्या कारण रहे तथा इनको स्थायी कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

16 सदस्य स्थायी हैं, शेष अस्थायी। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 का पद आयोग की परिधि में है। जब सदस्य आयोग से अनुमोदित हो जाता है तभी वह वरिष्ठता सूची में स्थान पाता है और वह स्थायी पद की उपलब्धता में ही क्रमानुसार यथा नियम स्थायी किया जाता है। इन 32 सदस्यों में मात्र 14 आयोग से अनुमोदित हैं जिसमें से एक सदस्य का देहान्त हो गया है और एक कृषि विपणन में चला गया है। विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अधीन 5 सदस्य विनियमित किए गए हैं। इन्हें यथाक्रम नियमानुकूल स्थायी किया जायेगा। शेष 13 सदस्यों में से 4 ने योगदान नहीं किया। 9 सदस्यों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है जिसकी छान-बीन की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के श्री मो0 लतीफ कम्पाउण्डर (फार्मासिस्ट) रा0 यू0 चिकित्सालय रोजा रामापुर बरकतपुर के अवशेष पुनरीक्षित वेतन एवं बोनस आदि के भुगतान की मांग

84–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद लतीफ कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट) रा0 यू0 चिकित्सालय रोजा रामापुर बरकतपुर जनपद शाहजहांपुर का 1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष धन तथा वर्ष 1984-85 का बोनस जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय से देय है, का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भुगतान में विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं । बकाया भुगतान के लिये संबंधित अधिकारी को दिनांक 23-9-89 को आदेश दिये जा चुके हैं और विलम्ब के लिये उसे सचेत भी कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के विकास खण्ड अहरौला के कतिपय ग्रामों में गेहूं की फसल नष्ट हो जाने तथा उसके निराकरण की मांग

85–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के विकास खण्ड अहरौला के ग्राम गोपाली पट्टी हरदिया कमालपुर, कबीरपुर, अभयपुर, गौरी, खजुरी में एक विशेष प्रकार की घास-गेहूं की मामा से इस वर्ष 50 से 80 प्रतिशत गेहूं की फसल की क्षति हो गई ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए शासन द्वारा क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

संदर्भित ग्रामों में गेहूं का मामा का प्रकोप अति न्यून रहा तथापि इन ग्रामों में गेहूं का मामा (गेहूंसा) नियंत्रण हेतु समय से रसायन की समुचित व्यवस्था की गई थी तथा शासन द्वारा कृषकों को रसायन के मूल्य पर 25 प्रतिशत अनुदान का भी प्राविधान किया गया था ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में स्वीकृत अस्पताल के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

86–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर 40 शैय्याओं का बड़ा अस्पताल जो स्वीकृत है को तत्काल चालू करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-2-88 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य मेडिकोलीगल सेल लखनऊ में रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग

87–श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री मयंकर सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री रमेश चन्द्र उर्फ श्री रमेश यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य मेडिको लीगल सेल लखनऊ में वर्तमान समय में डा0 सिंघल के अतिरिक्त कोई एम0 डी0 जूरिस्ट तैनात नहीं है जबकि स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में ही उक्त योग्यता का स्पेशल ग्रेड का अधिकारी उपलब्ध है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को वहां तैनात न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी वांछित योग्यता धारक चिकित्सक की उक्त सेल में तुरन्त तैनाती के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

राज्य मेडिकोलीगल सेल लखनऊ में स्टेट मेडिकोलीगल एक्सपर्ट के कार्यालय में संयुक्त निदेशक वेतनमान का एक पद रिक्त है । रिक्त पद पर शीघ्र तैनाती कर दी जायेगी ।

कृषि विभाग में व्यापक कतिपय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री विष्णु देव, विधायक के दि0 5 जनवरी, 1988 के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

88–श्री विष्णु देव–

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 10-3-88 के अतारांकित प्रश्न संख्या–52 जो कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित है, के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में कृषि निदेशक द्वारा जांच आख्या प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आख्या सहित कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेंगे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां । मामले में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

89–श्री विष्णु देव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने की मांग

90–श्री बलराम यादव–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कार्यरत किन-किन संवर्ग के कर्मचारियों का स्थायीकरण 20-25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर भी नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91–श्री राजित प्रसाद यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फैजाबाद एवं वाराणसी मंडल में श्री रवीन्द्र नाथ सिंह उपनिदेशक (उद्यान) द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों के संबंध में कृत कार्यवाही

92–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ सिंह उप निदेशक (उद्यान) वाराणसी द्वारा वर्ष 1983-84 से अब तक फैजाबाद एवं वाराणसी मंडल में माली, प्रधान चौधरी, लिपिक एवं वर्ग-3 इत्यादि पदों के विरुद्ध कुल कितनी नियुक्तियां व पदोन्नतियां की गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि नियुक्तियां विभागीय नियमों को नजरन्दाज कर जिलों की चयन समितियां तथा रोजगार कार्यालयों का बिना सहारा लिए की गयी हैं ? यदि हां, तो उप निदेशक उद्यान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्री रवीन्द्र नाथ सिंह वर्तमान उप निदेशक उद्यान, इलाहाबाद द्वारा अपने उप निदेशक उद्यान, वाराणसी एवं फैजाबाद के कार्यकाल में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1983-84 से दिनांक 20-8-88 के मध्य परिचर/कामदार/चौकीदार/चपरासी/प्रधान चौधरी/माली/अधीनस्थ सेवा वर्ग-3 (उद्यान)/पर्यवेक्षक, वर्ग-3 के 42 पदों पर नियुक्तियां, एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग-3 (उद्यान) पर्यवेक्षक, वर्ग-3/कनिष्ठ लिपिक एवं प्रधान चौधरी के 22 पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं ।

जी हां ।

इन अनियमित नियुक्तियों के लिये श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, तत्कलीन उप निदेशक, के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच के आदेश कर दिये हैं ।

जनपद बलिया में कार्यरत खण्डवार चिकित्सकों के स्थानान्तरण की मांग

93–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में 7 साल से अधिक अवधि से कार्यरत खण्डवार कितने-कितने चिकित्सक हैं ? क्या सरकार 7 वर्ष से अधिक अवधि से बलिया जनपद में कार्यरत चिकित्सकों को स्थानान्तरित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

खण्ड विकास क्षेत्र नगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरा बलिया में एक एवं खण्ड विकास क्षेत्र सीयर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर में एक चिकित्सक 7 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे । उक्त दोनों चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

कृषि निदेशालय के प्रशासन अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अग्रिम कन्वेन्स एलाउन्स आदि देने का औचित्य

94–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय के मुख्यालय प्रशासन अनुभाग के कर्मचारियों को कार्यालय के समय से पहले आने व कार्यालय के समय के बाद आने का कन्वेन्स एलाउन्स भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 88-89 व 89-90 में अब तक किन-किन कर्मचारियों को कितना कन्वेन्स भत्ता दिया गया? उक्त भुगतान का क्या औचित्य है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां । सूची संलग्न है । भुगतान के औचित्य की छानबीन की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 181 पर)

95–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय मुख्य प्रशासन अनुभाग के अनेक कर्मचारियों को वर्ष 87-88 व 88-89 में एडवांस यात्रा भत्ता के रूप में लम्बी-लम्बी

धनराशियां स्वीकृत की गई जबकि संबंधित कर्मचारियों की डियूटी टूरिंग ड्यूटी नहीं थी ? यदि हां, तो ये कर्मचारियों जिनको धनराशि एडवांस के रूप में दी गई कहां-कहां की यात्रा की ? उक्त यात्रा के फलस्वरूप कौन सा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि निदेशालय के मुख्यालय प्रशासन अनुभाग के 16 कर्मचारियों को वर्ष 87-88 में रु0 500 से 2000 तक कुल रु0 16,300 तथा वर्ष 88-89 में 18 कर्मचारियों को रुपया 1600 से 2000 तक कुल रु0 20,000 का अग्रिम यात्रा भत्ता दिया गया। इनमें कुछ कर्मचारियों की नियमित भ्रमण ड्यूटी थी तथा कुछ को अत्यन्त आवश्यक कार्यों पर भ्रमण पर भेजा गया था । जिन कर्मचारियों को एडवांस धनराशि दी गई है उन्होंने दिल्ली तथा प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों तथा मण्डलों की यात्रायें की । इन यात्राओं द्वारा सम्प्रेक्षण भविष्य निर्वाह निधि का सत्यापन, अधिष्ठान संबंधी सूचना एकत्रित करना एवं आवश्यक पत्र तथा अभिलेख भेजने का कार्य सम्पादित किया गया ।

प्रदेश में बेसिक हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर महिला में सेनिटोरियम के रिक्त पदों को भरने की मांग

96–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पूरे प्रदेश में बेसिक हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर महिला में सेनिटोरियम के 47 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । वस्तुतः सेनीटोरियन (न कि सेनीटोरियम) के रिक्त पद विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नत करके भरे जाने की व्यवस्था है, जिन्हें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु चयन समिति गठित की जा चुकी है ।

जनपद खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहजा में सर्वश्री श्याम मनोहर मिश्र, गजराज मौर्य एवं राजा राम हाउस विजटर को स्थाई करने की मांग

97–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहजा में सर्वश्री श्याम मनोहर मिश्र, गजराज मौर्य एवं राजा राम हाउस विजटर का स्थाई करण नहीं किया गया है जबकि उनसे कनिष्ठ श्री शत्रुहन लाल गुप्त का स्थाईकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सर्वश्री श्याम मनोहर मिश्र, गजराज मौर्य तथा राजा राम हाउस विजटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहजा का स्थाईकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी द्वारा किया जा चुका है । श्री शत्रुहन लाल गुप्त श्री राजा राम से वरिष्ठ हैं, परन्तु श्री गजराज मौर्य, श्री श्याम मनोहर मिश्र से कनिष्ठ हैं ।

श्री गजराज मौर्य, श्री श्याम मनोहर मिश्र के शत्रुहन लाल गुप्त से वरिष्ठ होते हुये भी बाद में स्थाई करण किये जाने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

सी0एम0आ0 लखनऊ के अधीनस्थ स्वास्थ्य निरीक्षक श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव एवं श्री रवीन्द्र कुमार दुबे की सेवा पुस्तिका गायब होने की जांच एवं प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी

98—श्री बलराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के अधीनस्थ श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव एवं श्री रवीन्द्र कुमार दुबे स्वास्थ्य निरीक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं विगत 4 वर्षों से गायब हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि सेलेक्शन ग्रेड तथा अवकाश नकदीकरण की सुविधा किस प्रकार दी जा रही है ? सेवा पुस्तिकाएं गायब होने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव, स्वास्थ्य निरीक्षक की पूर्व तैनाती के स्थान, जनपद बाराबंकी से एक बिल के साथ उनकी पुस्तिका महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजी गयी थी, जो वापस प्राप्त नहीं हुई । अब लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट पर दिनांक 17-2-1983 को तैनाती की तिथि से उनकी सेवा पुस्तिका तैयार कर ली गयी है उसी के आधार पर उन्हें नकदीकरण, वेतनवृद्धि दी जाती है । सेलेक्शन ग्रेड इनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण नहीं दिया गया है । पूर्व तैनाती के स्थानों से सेवा पुस्तिका पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी चिनहट द्वारा की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र कुमार दूबे स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवा पुस्तिका उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र सरोजनीनगर, लखनऊ से बनायी जा चुकी है । केवल जुलाई, 1985 से 29-9-1986 तक प्रमाणित नहीं है जिसका सत्यापन चिनहट के तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) से कराया जा रहा है । सेवा पुस्तिका गायब होने की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

मत्स्य निदेशक के पद पर वर्तमान पद धारक को उप निदेशक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित करके तथा निदेशक के पद पर नियमित चयन कराये जाने की मांग

99—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले गुरूवार के लिए अतारांकित प्र0 सं0-42 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उक्त पद का चयन न कराये जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए चयन की प्रक्रिया आरम्भ कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

निदेशक मत्स्य के पद पर चयन की कार्यवाही की जा रही है । चयन सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद यथाशीघ्र चयन कर दिया जायेगा ।

चयन समिति का गठन

100—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान निदेशक मत्स्य पालन विभाग की नियुक्ति शासनादेश सं0:765/वी0 स0 प0/85, दिनांक 25 जून, 1985 के अन्तर्गत अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी थी? यदि हां, तो उक्त अल्पकालिक व्यवस्था कब तक के लिए निर्धारित की गयी है तथा लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा अब तक विधिवत चयन न कराये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार वर्तमान कार्यवाहक निदेशक को तत्काल हटाकर नये सिरे से तत्काल चयन कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह (मुन्ना)—

जी हां ।

अल्पकालिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिये विभागीय चयन समिति का गठन हो गया है और विधिवत नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही है । अतएव कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

चयन की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिद्धार्थ नगर जनपद के प्रतापपुर ग्राम के हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का वैकल्पिक भूमि देने की व्यवस्था

101—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-2-89 उन्हें मिला है जिसमें कृषि मण्डी समिति बांसी जिला सिद्धार्थ नगर (बस्ती) द्वारा ग्राम प्रतापपुर के गरीब हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के लोगों की भूमि अधिगृहीत न करने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां । जिलाधिकारी बस्ती/सिद्धार्थनगर से अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जाति के लोगों को वैकल्पिक भूमि देने के संबंध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करें ।

102—श्री राम आसरे—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद, लखीमपुर में हुई हानि तथा गम्भीर आडिट आपत्तियां

103—श्री राम सागर राव—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम गुरूवार के अतारांकित प्रश्न सं0-64 में उत्तरित विवरण के अनुसार श्री रमेश चन्द्र महेश्वरी तत्कालीन उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) मुख्यालय के सम्प्रेक्षण लेखों में 33 लाख 71 हजार, 5 सौ 64 रुपये की गम्भीर आडिट अपत्तियां थीं ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं, प्रश्नगत आडिट आपत्तियों का संबंध सीधे श्री आर0 सी0 महेश्वरी, तत्कालीन उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) मुख्यालय से नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षकों के पदों पर नियुक्त अयोग्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण

104–श्री राम सागर राव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रक्षेत्र अधीक्षकों के जो गलत अनियमित स्थानान्तरण आदेश शासन नीति के विपरीत तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि एवं प्रक्षेत्र) द्वारा जारी कराये गये थे, उसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रहा है ? स्थानान्तरित प्रक्षेत्र अधीक्षक कौन-कौन थे और उस समय कौन संयुक्त कृषि निदेशक (सीड एवं कार्य) थे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जुलाई, 1985 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के 22 कर्मचारी और अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के 29 कर्मचारियों की तैनाती प्रक्षेत्र अधीक्षकों के पद पर की गई। बाद में 6 कर्मचारी सर्वश्री बी0 डी0 यादव, वर्ग-2, श्री दशरथ सिंह, वर्ग-2 श्री श्रीचन्द्र शर्मा, वर्ग-3, श्री यशपाल सिंह, वर्ग-3 श्री बलबीर सिंह, वर्ग-3 एवं श्री देवराज सिंह वर्ग-3 के विरुद्ध दुर्विनियोग एवं अनियमितताओं तथा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यकुशलता का प्रदर्शन न किये जाने के संबंध में मामले प्रकाश में आये। अतः उन्हें प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद से हटा दिया गया। इसमें किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। श्री बी0 एस0 चौधरी उस समय संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) थे।

हरिजन कर्मचारियों के उत्पीड़न करने वाले कृषि अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कौन से जिला कृषि अधिकारी हैं जिनके **ऊपर हरिजन कर्मचारियों के उत्पीडन व मार-पीट का मुकदमा वर्ष 1989 में गाजियाबाद** की अदालत में चलाया गया है और भारत सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त के कई बार लिखने के उपरान्त भी उक्त अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया है? क्या मामले की सम्पूर्ण जानकारी मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।

भारत सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त ने प्रकरण में छानबीन कराकर दोषी पाये जाने पर ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा की थी जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा भेजी गयी आख्या में श्री तारा सिंह को निर्दोष पाया गया है। अतः निलम्बन का औचित्य नहीं बनता है।

जी हां, विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 183 पर)

डा0 मोहम्मद शकील, उपनिदेशक (कृषि रक्षा) का स्थानान्तरण

106–श्री राम आसरे–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा0 मोहम्मद शकील, उप निदेशक (कृषि रक्षा) मेरठ मंडल, मेरठ को मेरठ से स्थानान्तरित करने के बाद मात्र एक वर्ष के भीतर ही पुनः मेरठ में उसी पद पर तैनात किया गया था और वर्ष 1988-89 में जब उन्हें फिर मेरठ से स्थानान्तरित किया गया तो वे अवकाश पर चले गये और तभी लौटे जब उनका यह स्थानान्तरण निरस्त हो गया? क्या यह सही है कि डा0 शकील का गृह जनपद–गाजियाबाद है जो मेरठ मंडल में ही आता है? यदि हां, तो डा0 शकील के अन्यत्र स्थानान्तरित न किए जाने का क्या कारण है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

जी हां।

शासनादेश सं0-4466/12-1-89, दिनांक 18-7-89 द्वारा इनका स्थानान्तरण मेरठ मंडल से बरेली मंडल कर दिया गया है। जिसके अनुपालन में उन्होंने दिनांक 1-8-89 को बरेली में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

जनपद लखनऊ में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग के सदस्य एवं राजपत्रित सेवा के विभिन्न कैडर अधिकारियों के स्थानान्तरण की जानकारी

107–श्री राम आसरे–

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ में ऐसे कौन-कौन से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग के सदस्य व राजपत्रित सेवा के विभिन्न कैडर अधिकारी इस समय तैनात हैं जो अपनी सम्पूर्ण सेवा के 50 प्रतिशत अवधि से अधिक समय से लगातार लखनऊ में ही बने हुए हैं? क्या यह सही है कि इनकी तैनाती में स्थान की बदली न करके केवल कार्यालयों की बदली की गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा जनपद के फिरोजाबाद में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का कराया जाना

108–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता ने अप्रैल, मई, 1989 में जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में मंडी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग तथा अन्य उपयोगी सम्पर्क मार्गों को लेपन-डामर स्तर तक पक्का कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे? यदि हां, तो इन मार्गों को पक्का कराने की अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

धनाभाव के कारण प्रश्नगत मार्गों का पक्का कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

109—श्री राम आसरे—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

110—श्री मूल चन्द्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा के ग्राम बिचपुरी में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग

111—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के ग्राम बिचपुरी में माह अप्रैल/मार्च, 1989 में आयोजित ऐतिहासिक कृषि मेला में माननीय कृषि मंत्री ने बिचपुरी आगरा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र किये जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब उक्त कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाने में क्या कठिनाई है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां ।

राजा बलवन्त सिंह कालेज, बिचपुरी आगरा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ है।

फैजाबाद जनपद में कतिपय प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर फर्जी नसबन्दी के आरोप की जांच

112—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1988 में जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को स्थानीय लोकदल (अ) नेता श्री रमेश शर्मा द्वारा न्यायिक पद्धति के अन्तर्गत शपथ-पत्र सहित कोई प्रार्थना-पत्र जनपद फैजाबाद के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गयी फर्जी नसबन्दी की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के आशय का दिया गया गया है? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा शिकायतों की जांच हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद के माध्यम से जांच कराई गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति का आधार

113—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालय व प्रतिष्ठानों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारियों की नियुक्ति शासन द्वारा प्रतिबन्धित अवधि 13 नवम्बर, 1987 से 31 मार्च, 1988 के बीच की गयी है और इन नियुक्तियों का क्या आधार है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किस आधार पर किस प्रक्रिया द्वारा और कब तक की जायेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों व प्रतिष्ठानों में दिनांक 13-11-87 से 31-3-88 के मध्य केवल मृत सरकारी सेवकों के तीन आश्रितों की तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की गयीं हैं, जो उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के तहत थीं।

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां क्रमशः अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सीधी भर्ती नियमावली, 1985 एवं वर्ष 1986 (प्रथम संशोधन) तथा समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 एवं वर्ष 1986 (प्रथम संशोधन) के अनुसार की जाती है। अग्रेत्तर नियुक्तियां रिक्त पद उपलब्ध होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा नियमानुसार की जायेंगी।

114–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 स्वास्थ्य विभाग में प्रयुक्त वाहनों के विवरण की जानकारी

115–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग की कितनी गाड़ियां शासनादेश के बावजूद भी राज्य स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम में न लगाकर स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभागों व स्वास्थ्य भवन में लगी हुई हैं? कितनी गाड़ियां कार्यक्रम के अनुश्रवण तथा इन्सपेक्शन के लिए लगाई गई हैं और कितने वाहन परिवार कल्याण के कार्यक्रम के विकास में लगे हुए हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य भवन के स्थित महानिदेशालय में परिवार कल्याण के 25 वाहन परिवार कल्याण कार्यक्रम के कुशलता से संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों से सम्बद्ध हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुश्रवण, इन्सपेक्शन तथा विकास कार्यों में लगी हुई कुल वाहनों की संख्या 1227 है।

116–श्री राज किशोर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उत्तर काशी के राजकीय चिकित्साधिकारी पर लापरवाही बरतने की मैजीस्ट्रीयल जांच एवं कृत कार्यवाही

117–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि माह मई, 1985 में उत्तर काशी के राजकीय चिकित्साधिकारी ने एक मरीज गनेश्वरी देवी को भर्ती किया और डाक्टर के न आने के कारण मरीज की मृत्यु हो गयी तथा जनता ने चिकित्सालय व डाक्टर का 12 घंटे तक घेराव किया? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1861 उनको ता0 20-5-85 को मिला है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्रीमती गनेश्वरी देवी नहीं बल्कि श्रीमती गंगेश्वरी देवी को भर्ती किया गया था। श्रीमती गंगेश्वरी देवी की मृत्यु की घटना पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया।

श्रीमती गंगेश्वरी देवी के संबंध में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था। घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गई। जांच आख्या के आधार पर दोषी डाक्टर को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है।

उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 184 पर)

जनपद हरदोई में कार्यरत ए0 एन0 एम0 को समयबद्ध वेतनमान देने की मांग

118–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कितनी ए0 एन0 एम0 कार्यरत हैं? कितनी ए0 एन0 एम0 को समयबद्ध वेतनमान दिया जा रहा है? जिनको समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया जा रहा है उसके कारण क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। जनपद हरदोई में 479 ए0 एन0 एम0 कार्यरत हैं। 23 ए0 एन0 एम0 को समयबद्ध वेतनमान दिया जा रहा है। शेष की सेवायें 10 वर्ष से कम होने के कारण समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य नहीं है, क्योंकि समयबद्ध वेतनमान के लिए पुराने वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित एस0 एन0 अस्पताल को उच्चीकृत एवं भवन निर्माण की मांग

119–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में स्थित एस0 एन0 अस्पताल फिरोजाबाद को जो कि कई दशक पुराना बना है को जनपद के समान दर्जा प्रदान करके उच्चीकृत करने और भवन निर्माण करने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

120–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 25-9-89 को अता0 प्र0 सं0 172 द्वारा उत्तरित]

121–श्री विष्णु देव–

[2रे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

122–श्री मित्रसेन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

123–श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के वर्तमान परिषद् में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण व्यवस्था तथा संपरीक्षा रिपोर्ट को पटल पर रखने की मांग

124—श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा प्रथम सत्र 1989 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनियमितताओं पर विशेष संपरीक्षा के पत्रांक 2127/12-8-87-400 (246) 84 दिनांक 23 जून, 1988 द्वारा लिए गए निर्णय पर अभी तक क्या परिणाम आए हैं ? संपरीक्षा रिपोर्ट में विलम्ब का कारण क्या है ? कब तक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही पूर्ण हो जायगी और विशेष आडिट रिपोर्ट कब तक सदन को प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

विशेष संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

विशेष संपरीक्षा प्रतिवेदन आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी । शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने हेतु स्मरण कराया गया है ।

125—श्री विष्णु देव तथा श्रीमती शारदा देवी—

[2रे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

126—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दिनांक 25-9-89 को अता0 प्र0 सं0 171 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर जनपद में उर्वरक अनुदान वितरण में घोटाले की विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा जांच एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

127—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1985-86 में 50 प्रतिशत उर्वरक अनुदान वितरण में विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बीज भण्डार कुड़ाघाट, चरगांवा, सरदारनगर, पतरा, पिपराइच की जांच करने पर दोषी पाये जाने पर उक्त सभी भण्डारों के तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षकों तथा वितरण को सत्यापित करने वाले सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध धारा-409/420/109/476/478/471 तथा 477 ए आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त मामलों में मात्र सहायक कृषि निरीक्षक चरगांवा को ही क्यों निलम्बित किया गया ? शेष चार सहायक कृषि निरीक्षकों एवं सत्यापन करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध एक ही प्रकार के आरोप होने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां ।

विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण प्राप्त न होने के कारण अब तक विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी थी । अब शेष दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामदेव शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक उच्चीकृत प्रा0 स्था0 केन्द्र अतरौली (अलीगढ़) पर सरकारी धन और सामान के दुरुपयोग के आरोपों की जांच

128–श्री कल्यान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-3-89 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री रामदेव शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली (अलीगढ़) के विरुद्ध सरकारी धन और सरकारी सामान के दुरुपयोग के गम्भीर आरोपों का उल्लेख किया गया है ? क्या इसी सम्बन्ध में सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-6-89 का पत्र एवं दिनांक 15-2-89 के प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जिसमें आरोपों की जांच लखनऊ मुख्यालय के किसी अधिकारी या अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग आगरा मण्डल, आगरा द्वारा कराये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इन आरोपों की जांच किसके द्वारा कराई गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी हां । शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा कराई गई थी । पुनः मण्डील अपर निदेशक आगरा से जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद मेरठ में कमला नेहरू मेमोरियल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल को धोखाधड़ी के आरोपों में बन्द किया जाना

129–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के के0 एन0 एम0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल को पुलिस द्वारा जबरदस्ती बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभिन्न जनपदों एवं प्रदेशों में अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बद्ध संस्थाएं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त मेरठ के कालेज को बन्द करा देने का औचित्य क्या है ? उक्त कालेज कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

डाक्टर मानसिंह चौहान ने दिसम्बर, 1984 में मेरठ में कमला नेहरू मेमोरियल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नाम से एक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल खोला था । भर्ती किये गये छात्रों से अतिरिक्त अवैधानिक धनराशि की मांग किये जाने पर डा0 चौहान के विरुद्ध छात्रों ने दिनांक 13-1-85 को थाना दिल्लीगेट, मेरठ में एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई । फलस्वरुप दिनांक 16-1-85 को पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया । दिनांक 1-8-85 को न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है । डा0 चौहान की गिरफ्तारी के बाद प्रश्नगत संस्था स्वतः बन्द हो गयी ।

प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार एवं कार्यों का निर्धारण

130—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वित्त एवं लेखा कार्यों तथा प्रशासनिक सुधार के आशय से शासनादेश संख्या-3394/16-11-87-1122/1972 दिनांक 26-8-87 चिकित्सा अनुभाग-11 द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार एवं कार्यों का निर्धारण किया गया था / यदि हां, तो इस शासनादेश के 6 माह के अंदर ही शासनादेश संख्या-492/16-11-88-1122/1972 दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा संशोधन करके पूर्व शासनादेश के कर्तव्यों एवं अधिकार की सूची में से कौन-कौन से अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों से वापस लिये गये और इनके वापस लिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रशासनिक अधिकारियों से निम्नलिखित अधिकार प्रशासनिक कारणों से वापस लिये गये हैं :—

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नियंत्रण में आने वाले ग्रामीण एवं नगरीय समस्त चिकित्सालय, परिवार कल्याण के मुख्य केन्द्र एवं उपकेन्द्रों के भवनों तथा विभागीय वाहनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव तथा मरम्मत से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण ।

(ख) विभिन्न श्रेणी के अधीनस्थ कर्मचारियों आदि के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा भण्डार एवं अधिष्ठान सम्बन्धी अभिलेखों एवं कार्यों का निरीक्षण ।

(घ) जनपद की विभागीय क्रय समिति एवं चयन समिति के सदस्य सचिव का दायित्व ।

जनपद बरेली में ऊसर इकाई के सृजन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

131—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में ऊसर इकाई सृजित किए जाने का क्या आधार था ? क्या यह सही है कि उक्त इकाई को दो माह बाद समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त इकाई के सृजन पर कुल कितने रुपये व्यय किये गये और इस व्यय के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जनपद बरेली में भूमि संरक्षण अधिकारी (ऊसर सुधार) इकाई की स्थापना ऊसर भूमि को सुधारने के लिए किया गया था ।

जी नहीं । उक्त इकाई को समाप्त नहीं किया गया । यह इकाई शारदा सहायक समामेश के अधीन कार्यरत है ।

इस इकाई के सृजन पर जुलाई, 1989 तक 1,42,799 रुपये व्यय हुआ है । व्यय के उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इकाई समाप्त नहीं की गई है । केवल प्रशासकीय नियंत्रण एवं कार्य में परिवर्तन किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मुबारकगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

132—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सदर तहसील में मुबारकगंज चौराहे के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जिला योजना से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1988-89 में मुबारकगंज में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है ।

कृषि सेवा के वर्ग—1 के कर्मचारियों के प्रोन्नति की नीति

133—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि सेवा के वर्ग-1 के कर्मचारियों की प्रोन्नति वर्षों से लम्बित पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार इनकी प्रोन्नति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? प्रश्नगत प्रोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

कृषि सेवा वर्ग-1 के कर्मचारियों की क्रमशः सेक्शन 'बी', सेक्शन 'सी' सेक्शन 'डी' शाखा के श्रेणी-2 के पदों पर प्रोन्नति की जाती है । इनमें से सेक्शन 'बी' व सेक्शन 'सी' के क्रमशः चार-चार पद रिक्त चल रहे हैं ।

उक्त पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक, कृषि एवं निदेशक, बीज प्रमाणीकरण के पदों पर अलग-अलग नियुक्ति का प्रस्ताव

134—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, कृषि और निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, दोनों पदों पर एक ही निदेशक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार द्वारा उक्त पदों पर अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां ।

कार्यहित में इस पद का कार्यभार कृषि निदेशक को सौंपा गया है ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में 50 प्रतिशत उर्वरक अनुदान वितरण में अनियमितता एवं घोटाले की विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

135–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में, 50 प्रतिशत उर्वरक अनुदान वितरण में अनियमितता एवं घोटाला करने पर पूरे प्रदेश में कितने बीज भण्डारों की विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी है ? जांच के उपरान्त कितने कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये तथा इन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक एवं निलम्बन की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

136–श्री राज किशोर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

झांसी मेडिकल कालेज नेत्र विभाग की सचल इकाई को नये वाहन उपलब्ध कराने की मांग

137–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मेडिकल कालेज नेत्र विभाग की सचल इकाई के पास कौन-कौन से वाहन हैं तथा वे किस स्थिति में हैं ? क्या मंत्री जी झांसी मंडल में नेत्र शिविर ठीक प्रकार से लगाये जाने हेतु इकाई को नये वाहन उपलब्ध कराने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी मण्डल में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के स्थल निर्माण हेतु अध्याप्त भूमि का अभिनिर्णय एवं प्रतिकर का भुगतान

138–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के स्थल निर्माण हेतु अध्याप्त भूमि के प्रतिकर निर्धारण एवं फांट के संबंध में किन-किन मण्डी समितियों के विषय में अभिनिर्णय दिनांक 22-9-86 को घोषित किये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से किन-किन मण्डी समितियों के विषय में काश्तकारों को भुगतान होना शेष है ? भुगतान शेष रहने का क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

झांसी मण्डल में कृषि उत्पादन मण्डी समिति मऊरानीपुर (झांसी) का स्थल निर्माण हेतु अध्याप्ति भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 22-9-86 को घोषित किया गया। प्रतिकर के फांट के संबंध में अभिनिर्णय सुरक्षित है ।

उक्त मण्डी समिति हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान कृषकों को करना शेष है । निर्धारित प्रतिकर के फंट के संबंध में राजस्व विभाग/राजस्व परिषद् के आदेश अपेक्षित हैं ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मऊरानीपुर, झांसी के स्थल निर्माण हेतु अध्याप्त भूमि के प्रतिकर का भुगतान

139—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मऊरानीपुर, जिला झांसी के स्थल निर्माण हेतु भूमि कब अध्याप्त की गयी थी, कब्जा किस दिनांक को लिया गया था और अभिनिर्णय प्रतिकर निर्धारण एवं प्रतिकर फांट के संबंध में कब घोषणा की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मऊरानीपुर, जिला झांसी के स्थल निर्माण हेतु भूमि अर्जन से संबंधित विज्ञप्ति दिनांक 8-9-75 को जारी की गयी, कब्जा दिनांक 22 मार्च तथा 24 मार्च, 1978 को लिया गया और प्रतिकर की घोषणा 22-9-86 को की गयी । काश्तकारों के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है । जिलाधिकारी द्वारा शासन के राजस्व विभाग/राजस्व परिषद् से अध्याप्ति भूमि के प्रतिकर विभाजन के आदेश मांगे गये हैं । आदेश प्राप्त होने पर प्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

मथुरा मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अवरैनी—पचावर सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर पर निर्माण

140—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी कलां—मथुरा मण्डी क्षेत्र में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य कौन-कौन से हैं और उनका निर्माण कब तक आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

कोसीकलां मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत कोई स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य हेतु नहीं है ।

मथुरा मण्डी क्षेत्रान्तर्गत "अवरैनी से पचावर सम्पर्क मार्ग" लेपन स्तर पर निर्माण हेतु स्वीकृत है जिसकी निविदा आमंत्रित की जा चुकी है ।

141—श्री चन्द्र भान मौर्य—

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

142—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नागरिक सुरक्षा समिति, फैजाबाद एवं अधिकारियों के बीच स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण विषयक वार्ता पर कार्यवाही न किये जाने की जांच

143—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नागरिक समिति, फैजाबाद एवं अधिकारियों की वार्ता में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण

विषयक वार्ता पर कार्यवाही न होने का उल्लेख करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी को दि0 10-3-89 को प्रेषित कराये गये पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु कु0 वृन्दा स्वरूप, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 को पत्र सं0 भ–135/1/सेके-2/पांच-89-4/21/84 दि0 20 जून, 1989 द्वारा निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो इसके बारे में महानिदेशक द्वारा क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

महानिदेशक ने मामले में जांच करने हेतु अपर निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दि0 20 जुलाई, 1989 को निर्देशित कर दिया है ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्ड0 निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

144–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्ड0 निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 17 मार्च, 1989 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

संबंधित अभिलेख इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय इटावा पर लापरवाही किये जाने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) इटावा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की जानकारी

145–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जुलाई, अगस्त, 1986 में न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) इटावा ने अपने निर्णय में रिखवदास के मुकदमों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा के कार्यालय को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और सचिव स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा ? क्या यह भी सही है कि इस मामले में सी0 एम0 ओ0 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के पत्र दिनांक 10-7-86 का उत्तर नहीं दिया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को किस प्रकार दंडित किया गया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में कृषकों को कृषि उपकरण की खरीद के लिए प्रदत्त सुविधा एवं छूट की योजना

146–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए कोई सुविधा व छूट देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में 500 कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान किये जाने की योजना है ।

जनपद फिरोजाबाद में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगला चूरा का भवन निर्माण

147–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987 में जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद (वर्तमान जनपद फिरोजाबाद) के ग्राम नगला चुरा में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए चार लाख दस हजार रुपया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु एक लाख रुपया के धन की प्रथम किस्त का धन भवन निर्माण हेतु हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 उत्तर प्रदेश में आवंटित कर धन अवमुक्त किया ? यदि हां, तो इस धन से अब तक भवन न बनाने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । वर्ष 1986-87 में शासन द्वारा 73,79,500 रुपये की अनुमानित लागत पर तेरह आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगला चूरा के भवनों की निर्माण लागत भी शामिल थी ।

इन कार्यों हेतु दस लाख रुपया हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम को हस्तांरित किये जाने के आदेश दिये गये थे । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगला चूरा के भवन निर्माण हेतु पृथक से हरिजन एवं निर्बल आवास वर्ग निगम को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण उक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है ।

जनपद बरेली के प्रा0 स्वा0 केन्द्र फरीदपुर के चिकित्सक के अनुपस्थिति में श्री ओमपाल सिंह कठौरिया की मृत्यु की एस0 डी0 एम0 फरीदपुर द्वारा जांच

148–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 मार्च, 1989 को श्री ओमपाल सिंह कठौरिया अध्यक्ष गन्ना समिति फरीदपुर-बरेली की प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर जनपद बरेली में ड्यूटी पर अनुपस्थित डाक्टर के कारण इलाज न हो सकने से मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो ड्यूटी से गायब रहने वाले डा0 के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मामले की जांच एस0 डी0 एम0 फरीदपुर द्वारा की जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

दुग्ध संघ मुरादाबाद के संचालक मण्डल एवं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार एवं धांधली के आरोप की जांच

149–श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-6-89 और दिनांक 16-6-89 को श्री सौकत अली एडवोकेट एवं अध्यक्ष मिल्क फूड फैक्ट्री डेरी मजदूर यूनियन दलपतपुर जनपद मुरादाबाद के दुग्ध संघ मुरादाबाद के संचालक मण्डल और अधिकारियों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार और धांधलेबाजियों तथा फर्जी यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में दो अलग-अलग शिकायती पत्र विभाग को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

इन पर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 65 के अंतर्गत क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, बरेली मण्डल से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शकरपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही

150–श्री मैनेजर सिंह–

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शकरपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जनपद मुरादाबाद के सभापति श्री महबूब खां के विरुद्ध समिति के कुछ सदस्यों ने गत वर्ष शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर क्षेत्रीय दुग्ध शाला विकास अधिकारी बरेली मण्डल के आदेश पत्रांक संख्या 3088 दिनांक 8-12-88 के द्वारा जांच उप दुग्ध शाला विकास अधिकारी मुरादाबाद को सौंपी गयी थी जिसमें जिसकी जांच आख्या दिनांक 4-4-89 को भेजी जा चुकी है और जिसमें उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मुरादाबाद ने भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करते हुए समिति अध्यक्ष व सचिव को उत्तरदायी ठहराया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह (मुन्ना)–

शकरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के कुछ सदस्यों ने समिति के सभापति श्री महबूब खां के विरुद्ध शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी बरेली मण्डल ने उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मुरादाबाद को जांच करने के आदेश दिए । उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मुरादाबाद ने जांच आख्या दिनांक 4-4-89 को प्रेषित की जिसमें समिति अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करते हुए उत्तरदायी ठहराया है । क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी बरेली मण्डल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति वीरपुर मुरादाबाद में दुग्धसंघ के सभापति का चुनाव

151–श्री मैनेजर सिंह–

क्या पशु पालन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति वीरपुर थाना जनपद मुरादाबाद में विभाग द्वारा घोषित निर्बल वर्ग के क्षेत्र में केवल निर्बल वर्ग का ही, समिति का सभापति संचालक मण्डल के संचालक पद का चुनाव लड़ सकता है ? यदि हां, तो उक्त समिति के सभापति श्री मेहदी हसन जो जल निगम के अधिकृत ठेकेदार हैं, को किस आधार पर संचालक पद पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह (मुन्ना)–

यद्यपि निर्बल वर्ग हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्बल वर्ग की समिति का सभापति ही दुग्ध संघ के संचालन मण्डल में संचालक के पद का चुनाव लड़ सकता है किन्तु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति वीरपुरथान जनपद मुरादाबाद की मुरादाबाद दुग्ध संघ की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन–89 में सामान्य वर्ग श्रेणी में रखा गया था । अतः निर्वाचन क्षेत्र निर्बल वर्ग हेतु आरक्षित नहीं था ।

दुग्ध समिति वीरपुरथान के सभापति श्री मेहदी हसन ने सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था तथा निर्वाचन अधिकारी ने श्री मेहदी हसन को सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने हेतु अधिकृत किया था ।

सी0 एम0 ओ0, लखनऊ के कार्यालय में चिकित्सीय परीक्षण हेतु तैनात चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी

152–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जो चिकित्साधिकारी वर्तमान में सम्बद्ध हैं, वह कितने वर्षों से इस कार्य हेतु ही तैनात हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में चिकित्सकीय परीक्षण हेतु कोई चिकित्साधिकारी सम्बद्ध नहीं है । डा0 धीरेन्द्र कुमार सक्सेना जो वर्तमान में सिविल अस्पताल, महानगर, लखनऊ में वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट के पद पर तैनात हैं, जुलाई, 1978 से अपने कार्यों के अतिरिक्त इस कार्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता कर रहे हैं ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली द्वारा दवाओं की खरीद में अनियमितता किये जाने का आरोप

153–श्री किशन लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली द्वारा रावत मेडिकल स्टोर्स नलगांव, ब्लाक नारायण बगड़, चमोली से वर्ष 87-88 तथा 88-89 में कितने-कितने रुपये की दवाओं की खरीद का गयी है ? क्या उक्त खरीद कोटेशन्स

प्राप्त कर की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को यह जानकारी है कि उक्त मेडिकल स्टोर के लाइसेन्स धारक के पास न तो फार्मेसिस्ट के सर्टीफिकेट हैं और न ही अन्य वांछित अर्हताएं हैं ? यदि हां, तो क्या लाइसेन्स जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को मंत्री जी निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद चमोली के नलगांव ब्लाक नारायण बगड़ में रावत मेडिकल स्टोर के नाम से किसी दवा विक्रेता की दुकान नहीं है । अतएव उससे क्रय करने व प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर)

(श्री मनोहर लाल सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें । मैं 301 की सूचनायें पहले ले लूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न बाद में सुनूंगा, पहले 301 ले लूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मनोहर लाल जी बैठे हुए हैं सदन के वेल में । वे पहले अपने आसन पर आ जायं । यह मेरा निवेदन है । वे क्या कहना चाहते हैं . . . (व्यवधान) उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे क्या कहना चाहते हैं, यह मैं सुन लूंगा । मनोहर लाल जी, आप आसन ग्रहण करें । मैं पहले 301 को निपटा दूं ।

(श्री मैनेजर सिंह के प्रयास से श्री मनोहर लाल अपने स्थान पर वापस चले गये)

जनपद मुरादाबाद व गाजियाबाद की सीमा निर्धारण करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अंतर्गत 42 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 सूचनायें– श्री कौशिक रमाशंकर, डा0 बंगाली सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री काशी सिंह एरी तथा श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचनायें स्वीकार हुई हैं और बाकी अस्वीकार की गई हैं ।

(संलग्न सात सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद की तहसील हसनपुर तथा गाजियाबाद जिले की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सीमा-निर्धारण के कार्य, शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अनेक वर्षों से लम्बित हैं। सन् 1984 से शासन के आदेश निरन्तर, सीमा-निर्धारण के संबंध में होते रहे हैं। किन्तु कार्य की गति इतनी धीमी है कि अनेक वर्षों बाद भी गाजियाबाद के ग्राम नया गांव उर्फ इनायतपुर, मोहम्मद शाकरपुर, रामपुर निमयातपुर, लठीर, मढ़ावली, बभ्रतावरपुर, अब्दुल्लापुर, आलमनगर तथा पसवाड़ा खादर और जनपद मुरादाबाद के ग्राम लाठीरा एतेमाली, फरदपुर एतेमाली, गढ़ावली, बसन्तपुर एतेमाली, जलानगर उर्फ राहनदाजपुर तथा ओसीता के सीमा-विवाद में उग्ररूप धारण कर लिया है मुरादाबाद जनपद के संदर्भित ग्रामों का आखिरी बन्दोबस्त सन् 1904 में हुआ, जिसके नक्शे तथा जिल्दबन्दोबस्त रिकार्ड में मौजूद हैं तथा गाजियाबाद के ग्रामों का सन् 1931 में हुए बन्दोबस्त का भी रिकार्ड मौजूद है। इसके आधार पर सीमा का निर्धारण तत्काल किया जा सकता है। गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिसकी सीमा का निर्धारण विचाराधीन है के परगना अधिकारी को सहायक अभिलेख अधिकारी बनाया गया है जिसके कारण निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही।

अतः मैं मांग करता हूं कि सीमा निर्धारण का कार्य सन् 1904 मुरादाबाद के ग्रामों के नक्शों तथा गाजियाबाद के ग्रामों के 1931 के नक्शों के आधार पर तुरन्त किया जाय तथा सहायक अभिलेख अधिकारी के पद पर किसी अन्य जिले के अधिकारी को नियुक्त किया जाय ताकि दोनों पक्षों को निष्पक्षता का विश्वास रहे।]

स्वास्थ्य निदेशालय के उपनिदेशक द्वारा अनियमितता किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*डा0 बंगाली सिंह–

[मान्यवर, शासन ने प्रशासनिक आधारों पर 18-8-89, 26-8-89 व 20-9-89 के आदेशों से स्वास्थ्य निदेशालय के उप निदेशक तथा अभियन्ताओं के स्थानान्तरण व प्रशासनिक कार्यवाही की है। जिनमें कुछ को तो 10–11 वर्षों बाद स्थानान्तरित किया जा चुका है। उप निदेशक के विरुद्ध कर्मचारी अवकाशों, वाहनों की बाडी बनवाने व उनकी मरम्मत में तथा कल पुर्जों की बम्पर खरीद में अनियमितता, अधीनस्थों को आतंकित करने एवं सरकारी वानों को टैक्सी में चलवाने जैसे गम्भीर आरोप हैं। उनके विरुद्ध सतर्कता एवं स्वास्थ्य विभाग 8–10 जांचों को पद का दुरुपयोग के अवरोध के कारण उन्हें पूरी नहीं कर पा रहा है उप निदेशक अपने स्थानान्तरण तथा प्रशासनिक कार्यवाही समाप्ति शासन पर अनियमित दबाव द्वारा सफल हो रहे हैं। यद्यपि स्थानान्तरण को निरस्त करके उन्हें पूर्व पद व अधिकार देने से विभाग को व्यापक क्षति होना निश्चित है। इस सम्भावित कार्यवाही से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में घोर आतंक, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। मुख्यालय पर इनके कथित गुट के शक्तिशाली होने से स्वयं शासन को इनके वित्तीय अधिकार समाप्त करने व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थान्तरण की कार्यवाही चरणों में करनी पड़ी । उप निदेशक बिना नियमित चयन तथा आयोग से प्रोन्नति/अनुमोदन के बिना शासन को अंधेरे में रखकर 1978 से प्रोन्नति के पद पर लखनऊ में भी अधिकारों सहित तैनात हैं ।

अनियमित दबाव द्वारा शासनादेशों को बदलवाने के लिए इनका निलम्बन, जांचों के पूरी होने तक अधिकार हीन रखकर यथा सम्भव लखनऊ से बाहर रखना तथा अनियमित रूप से पदोन्नति वाले उप निदेशक के पद से मूल पद सहायक अभियन्ता पर पदावनति करना आवश्यक है ।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन से वक्तव्य एवं कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा में हुए नरसंहार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री दीपक कुमार–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान भोपा मुजफ्फरनगर में हुए हरिजन नरसंहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । गत कई माह से जनपद मुजफ्फरनगर में अनेकों गांव में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हरिजनों का खेतों की मेढों से घास काटने की पाबंदी, उनका शौच आदि के लिए जंगल जाने पर रोक लगाना शासन के संज्ञान में था । 24 सितम्बर, 1989 को रहेकड़ा ग्राम के कुछ हरिजन ईंट भट्ठों पर मजदूरी के लिये जाने वालों को मार पीट कर रोका गया तथा एक हरिजन युवक को गोली मार कर घायल कर दिया जिसकी सूचना भोपा थाना में दी । हरिजनों पर आक्रमण करने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की मांग की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिससे किसान यूनियन के लोगों ने थाने में जबरन घुस कर छुड़ा लिया । उत्पीड़न के विरोध में मंदिर में इकट्ठा हुए हरिजनों पर अवैध तमंचों, लाठियों, फर्सों से हमला कर दिया घटना स्थल पर कई हरिजन मारे गये तथा सैकड़ों जख्मी हो गये अब भी अनेकों लापता हैं, उनके घरों, दुकानों में आग लगाई गई इस घटना से हरिजनों में दहशत फैल गई है, हरिजन आतंकित होकर घर छोड़ कर भाग गये हैं ।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते मारे गये हरिजन परिवारों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा, एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने तथा घटना की जुडिसियल जांच तत्काल कराने की कृपा करें ।]

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा नजूल की भूमि की अवैध नीलामी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी ने पिछले 2 वर्षों में नजूल की भूमि पट्टे पर तथा बागवानों के आवंटन करने में लगभग पचास हजार रुपये की धांधली की गयी है । धन उगाही में जिलाधिकारी ने आवंटन के लिए सभी नियमों को निलम्बित कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आवंटन की कार्यवाही को भूमि की नीलामी व पूर्व जमा कराई जाने वाली धनराशि जमा नहीं करायी गयी । नीलामी के बाद पट्टा तो कर दिया गया लेकिन बोली की धनराशि जमा नहीं करायी गयी निर्धारित पत्रों पर वर्ग फीट मूल्य से बहुत कम धनराशि पर नीलामी दी गयी अपने अधिकार सीमा में रखने के लिए मण्डल आयुक्त की सीमा में जाने से बचाने के लिए धनराशि कम दिखाई गई । बागवानों के नाम पर नजूल की भूमि बेच कर उस पर अवैध इमारतें खड़ी कर दी गयी ।

इस प्रकार जिलाधिकारी, फैजाबाद ने लगभग 50 लाख रुपये की कमाई की है ।

जिलाधिकारी के इस कार्य से जनपद में भारी असंतोष है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच राजस्व परिषद् के अध्यक्ष से उनके समक्ष किसी उच्च अधिकारी से करायी जाय ।]

प्रदेश के सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री रामचंद्र बख्श सिंह–

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या 13/6/89 कार्मिक1/1989 दिनांक 16-2-89 द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के स्थान पर ज्येष्ठता के आधार पर करने के औचित्य पर विचार करके कार्यवाही की जाय । सिंचाई विभाग से उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु श्रेष्ठता के स्थान पर ज्येष्ठता करने की संस्तुति कार्मिक विभाग को पत्रावली संख्या 300/86 द्वारा काफी समय पूर्व भेज दी गयी है । कार्मिक विभाग से उपरोक्त संबंध में कार्यवाही न किये जाने के कारण अनेकों पात्र अधिशासी अभियन्ताओं को प्रोन्नति का अवसर नहीं मिल पा रहा है जिससे लोगों असंतोष है । मैं मांग करता हूं कि प्रोन्नतियों में आरक्षण कोटा पूरा किया जाय ।]

सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खण्ड 40 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री काशी सिंह ऐरी–**

[मान्यवर, सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खण्ड-40 में भ्रष्टाचार के कारण जनता में घोर असंतोष है । उदाहरण स्वरूप इस खण्ड में कठौरा, हुसैनपुर पलिया आदि ड्रेनों में लाखों रुपये का गोलमाल अधिक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता की निरीक्षण टिप्पणियों से स्वतः स्पष्ट है । चतुर्थ श्रेणी के तहत समय से रिक्त 6 पदों पर हरिजन कर्मचारियों से रिक्त रिक्तियों एवं निर्धारित कोटा पूरा करने के शासनादेशानुसार अन्तिम तिथि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

30-8-89 के बाद भी उन पदों पर हरिजन नहीं रखे गये हैं । एक हरिजन एकोल से अमीन का कार्य लेते हुए भी प्रोन्नति नहीं किया गया जबकि अस्थायी लिपिक आदि प्रोन्नति व वेतन प्राप्त कर रहे हैं । श्री कालवीर सिंह चौकीदार को ढाई वर्ष बाद सेवा निवृत्त करने में आहरित अधिकारियों/कर्मचारियों ने ही जांच करके गरीब दोषी बताकर अतिरिक्त वेतन की वसूली निर्धारित कर दी तथा पेंशन आदि नहीं दिया । जबकि वह अनपढ़ है और प्रशासनिक आदेशों के अभाव में किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है ।

अतः हरिजनों की नियुक्ति व प्रोन्नति तथा श्री सिंह के पेंशन आदि के मामले में शासन से निर्देश दिलायें एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने हेतु उन्हें स्थानान्तरित कर उच्चस्तरीय जांच करायी जाय ।]

जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया करारी में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद टाउन एरिया करारी में गम्भीर पेयजल संकट से जनजीवन त्रस्त है । सभी कुएं सूख गये हैं, विगत वर्ष शासन से स्वीकृत टंकी के धन को अधिकारियों ने गोलमाल कर टंकी नहीं बनायी । जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है । टंकी निर्माण हेतु शासन को लिखा गया है । साथ तुरन्त राहत हेतु लगभग 15 (पन्द्रह) हैण्ड पाइप की मांग की गयी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तुरन्त पेय जल संकट दूर करने हेतु सर्वप्रथम 15 (पन्द्रह) हैण्ड पाइप लगाये जायें तथा शीघ्रता ही पूर्व स्वीकृत टंकी को निर्माण हेतु शासन में कड़ाई से आदेश करने की मांग करता हूं ।]

वर्तमान सत्र के आने वाले दो दिनों में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वीकार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं नियम 301 के अंतर्गत रोज सूचना देता हूं और वह नहीं आती है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

311 की सूचनाएं मेरे पास हैं । माननीय मुलायम सिंह जी की भी हैं । यह 311 की जो सूचनायें हैं जो नियम से हैं, उन्हें मैं ले लूं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मैं नियम 301 की सूचनाओं के बारे में कह रहा हूं कि हम रोज सूचनायें देते हैं, अपने क्षेत्रों के मामले उठाते हैं लेकिन वह आती नहीं हैं . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप दते रहें, आ जायेंगी ।

पंडित जी (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी) आप खड़े क्यों हैं ? मैं आपको सुनूंगा । (व्यवधान) काहे के लिए खड़े हैं । 311 में आपका क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आसन ग्रहण कर लें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना सुन लें । 301 की जितनी सूचनायें आपको प्राप्त होती हैं उन सब को आप स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग आसन ग्रहण करें तो मैं कुछ कहूं । इस तरीके से तो मुश्किल पड़ जायेगी । 311 की जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं . . . (व्यवधान) आप ही बताइये मैं क्या करूं ? (व्यवधान) मैंने मुलायम सिंह जी को कहा है, 311 पर उनकी सूचना है उसकी ग्राह्यता पर वह कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद तिवारी जी की सुनूंगा । (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 301 की सूचना के संबंध में । आने वाले दो दिनों में 301 के अंतर्गत जितने माननीय सदस्यों की सूचनायें आती हैं वह सब आप स्वीकार कर लें (व्यवधान) सभी की समस्यायें रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी आपकी बात सुन ली है (व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो बात कही है उसको आप स्वीकार कर लें । उनका कहना है कि 30 तक सेसन चल रहा है इसमें जितनी सूचनायें 301 की आ रही हैं उन सब को आप स्वीकार कर लें । (व्यवधान) उन सब को स्वीकार कर लीजिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मना नहीं किया ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप कहिये तो सही आपने क्या किया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

चलिये सब स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मित्रसेन द्वारा नियम 311 के अंतर्गत दी गई सूचना को पहले सुने जाने की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले व्यवस्था का सवाल सुन लीजिये । माननीय तिवारी जी को आश्वासन दे दीजिये कि हमारे बोलने के बाद उनकी बात आप सुन लेंगे वह बैठ जायें और सदन व्यवस्थित हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं भी निवेदन कर रहा हूं सुन लूंगा ।

श्री मित्रसेन–

311 में हमारा भी है, हमें भी सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मित्रसेन जी आपका भी है, दोनों पर निर्णय दूंगा (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

किस को आप बुला रहे हैं, साम्प्रदायिकता पर हमारा भी नियम 311 पर प्रस्ताव है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं निवेदन कर रहा था जिन मुद्दों पर तिवारी जी खड़े हैं उनके बारे में उनसे विचार विमर्श हुआ है कुछ निवेदन भी मैंने किया जो कुछ होगा वह मैं बता दूंगा । लेकिन जब तक अन्य माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह नहीं हो पायेगा । माननीय सदस्य कृपा कर आसन ग्रहण कर लें उसके बाद वह अपनी बात कह लें ।

श्री मित्रसेन–

पहले हमें सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले बैठें तो सही। (व्यवधान) माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

[xxx] (व्यवधान) किस नियम के तहत बोल रहे हैं, हमारा साम्प्रदायिकता पर है

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप व्यवस्था का सवाल सुन लें।

(व्यवधान)

(श्री मित्रसेन, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा आदि सदन के मध्य आकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका मेरे पास है आपको भी सुन रहा हूं। अभी कोई रिजैक्ट नहीं किया है (व्यवधान) आपकी बात सुनूंगा।

श्री मित्रसेन–

आप [xxx] पहले हमारी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें, आपकी बात सुनी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

सदन को व्यवस्थित करने के लिये मेरा सुझाव है कि आप माननीय मित्रसेन जी से अनुरोध करें कि 311 पर उनको सुनने के बाद तिवारी जी को सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी से मैंने अनुरोध किया कि मैं उनको सुनूंगा । श्री मुलायम सिंह जी आप ग्राह्यता पर बोलें ।

प्रदेश में सूखा एवं बाढ़ की विषम स्थिति में आवश्यक वस्तुओं के दामों में हुई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुलायम सिंह यादव द्वारा नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को जोड़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, सूखा एवं बाढ़ से पूरा प्रदेश विषम स्थिति में है । सरकार की उद्योगपतियों व जमाखोरों को प्रश्रय देने व उनसे आर्थिक लाभ उठाने की नीति से आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं । प्रदेश की सामान्य जनता की क्रय शक्ति दिन प्रति दिन मंहगाई की बढ़ोत्तरी से क्षीण हो रही है । मेहनतकश लोग और खेतिहर मजदूर व उनके परिवार जन मंहगाई के कारण आधा पेट भोजन खाने को मजबूर हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित कर व नियमों को निलम्बित करके चर्चा की हम अनुज्ञा चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके सामने....।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 311 में एक प्रस्ताव पढ़ा गया और उसी विषय पर मैंने और कई मा0 सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, इस आकाश छूते मूल्यों के बारे में । यदि आप नियम 311 में उनके प्रस्ताव पर चर्चा कराने वाले हैं तो कार्य-स्थगन का मेरा प्रस्ताव भी जोड़ दें अन्यथा व्यवस्था दें । कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मैंने भी दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा नहीं करा रहा हूं बल्कि वह ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह आदि सदस्यों द्वारा नियम 311 में दिए गए प्रस्ताव को सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[x x x]

श्री मित्रसेन–

कौन सी प्रक्रिया आप निर्धारित कर रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी दूंगा व्यवस्था ।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा आपसे निवेदन है श्रीमन्, कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक प्रस्ताव रखा, किन्तु अभी आपने उनको सुना नहीं । उचित था कि पहले आप उनको सुन लेते... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप लोग शान्ति बनाए रखिए, तो सुनाई पड़े।

श्री मैनेजर सिंह–

तो दोनों माननीय सदस्यों को आप पहले सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव और राम चन्द्र बख्श सिंह जी को आप सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मैंने दोनों में से किसी का स्वीकार नहीं किया है, लेकिन दोनों को सुनने के लिए कह रहा हूं । (व्यवधान) अभी बाद में निर्णय लूंगा । जो कहोगे निर्णय लेंगे, लेकिन बाद में निर्णय लेंगे ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में सूखा एवं बाढ़ की विषम स्थिति में आवश्यक वस्तुओं के दामों में हुई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुलायम सिंह यादव द्वारा नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को जोड़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मैंने आपके सामने और सदन के सामने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव पेश किया है, उसकी ग्राह्यता पर थोड़े समय में ही हम अपनी बात यहां कहना चाहते हैं। जो यह प्रस्ताव आया है उसको हम जानते हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह कहा कि उन्होंने इसी प्रकरण पर नियम 56 में कोई दिया था और आप नियम 311 में इसे यादव जी से सुनना चाहते हैं। यह उसी प्रकरण पर 311 में लाए हैं, तो उसको आप इसमें कैसे सुन सकते हैं?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा आपसे आग्रह यह है कि इस समय आप पीठासीन हैं आप सदन चला रहे हैं और निर्णय देने का अधिकार आपको है। जाहिदी साहब उस कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, लेकिन उनको इसका भ्रम हो रहा है। खुद ही बार-बार यह निर्णय देने लगते हैं। यह आपको करना है, बेचैन यह क्यों हो रहे हैं? बार-बार इनको बेचैनी क्यों हो रही है?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, इसलिए....।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा–

एक प्रस्ताव सुन लिया दूसरा भी सुन लें।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। श्री गुलायम सिंह को कह दिया है वह कह लें उसके बाद आप कहेंगे।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, श्री मुलयाम सिंह को नियम 311 में सुन लिया । मेरा प्रस्ताव 56 में है इसलिए दोनों को सामिल कर लें और तब बहस हो जाय । मेरे प्रस्ताव को भी सुन लें और उसके बाद दोनों की प्रक्रिया बहस के लिए निर्धारित करें । मैं जबाब दे रहा हूं । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नियम 56 में आ गया है, तो आप इसकी व्यवस्था दें कि क्या उसको आप नियम 311 में लेने जा रहे हैं ? मुझे नियमों में अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है और व्यवस्था के प्रश्न उठाने और नियमों की ओर पीठासीन अधिकारी का ध्यान दिलाने का भी मुझे पूरा हक है । मैं वहां होता तो अपना निर्णय भी देता । आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था अभी मैं दे दूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज पूरे देश और प्रदेश की जनता भीषण महंगाई से त्रस्त है और जो यह महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदार यह सरकार है । यह सरकार की वजह से ही महंगाई बढ़ी है । इस समय यह मंहगाई बढ़ने के अन्य कोई कारण नहीं थे । इसके तथ्य मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । पिछले 6 माह में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 60 से 100 सैकड़ा की वृद्धि हुई है । चीनी का सवाल कल यहां उठा था, इसमें 100 प्रतिशत की मंहगाई हुई है, इसे मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था । इसका समाधान इस सदन को सोचना पड़ेगा और सही तथ्यों को सामने लाना पड़ेगा । साढ़े चार साल में 225 सप्ताह हुए और इस 225 सप्ताहों की अवधि में लगातार मंहगाई बढ़ी है और इस पर भी इस सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं सोचा, इसका कोई हल नहीं निकाला । वरना इतनी तेजी से यह महंगाई न बढ़ी होती। 183 रुपये प्रति क्वीटल गेहूं का मूल्य सरकार ने निर्धारित किया था, परन्तु अलीगढ़ के किसानों ने जब इस भाव पर अपना गेहूं नहीं बेचा तो उन पर बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के गोली चलाई गई । उनको गोली मार दी गई । उसके बाद भी यही था 183 रुपये कुन्टल । गेहूं नहीं बेचेंगे तो गोली चला दी । इतनी लूट किसानों की हुई और उपभोक्ताओं को भी कोई लाभ नहीं हुआ । अब तीन रुपये के बजाए गेहूं पांच रुपये किलो हो गया जब किसी किसान के घर में गेहूं नहीं है । 70 प्रतिशत किसान ऐसा है कि जुलाई होते-होते गेहूं उसके घर नहीं रह जाता है । चीनी साढ़े 6 रुपये से 12 या तेरह रुपया पहुंच गई है । अरहर की दाल पांच रुपये से बारह रुपये किलो हो गई है । उरद की दाल आठ रुपये से चौदह रुपये किलो हो गई है । इसी तरह से बनस्पति घी अठारह रुपये से 29 रुपये किलो हो गया है । काबुली चना दस रुपये से 25 रुपये किलो हो गया है । चाय 32 रुपये से 40 रुपये किलो हो गई है । इसके अलावा लेवी सीमेन्ट, खुला

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सीमेंट, कागज, सरसों का तेल तथा दूसरी चीजों के दामों में भारी वृद्धि हुई है। इसका समाधान निकालने को सरकार तैयार है। चीनी की कमी पड़ेगी यह सरकार को ज्ञात था लेकिन विदेशी बाजारों में कम दाम पर चीनी बेची गई और अब विदेशों से अधिक दाम पर चीनी इंपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। सरकार कमीशनखोरी कर रही है। यह सरकार चीनी खरीदने का कमीशन लेगी।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, यह आप क्या सुन रहे हैं। मेरी व्यवस्था आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

311 में प्रस्ताव था मैं उसे अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, जो यह बोला जा रहा है यह महत्वपूर्ण सदन में बोला जा रहा है। यह जो बोलेंगे यह लिखा जाएगा। जो लिखा जाएगा इस पर हमारी आपत्ति है–

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको मौका मिलेगा आप परेशान क्यों हैं ?

(व्यवधान)

*श्री रामशरण दास–

मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है अब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो इन्हें समझायें। कहां क्या बोला जाता है यह नहीं जानते हैं [xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

आप व्यवस्था का सवाल सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का सवाल बीच में नहीं सुना जाएगा।

श्री नरेन्द्र देव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री रामसरण दास–

[x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इनको रोकिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपा करके शांत रहें । मान्यवर, आपने किस नियम के अंदर इनको इजाजत दी है ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने चर्चा की इजाजत नहीं दी है । मैं इनको रोक रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो बात माननीय मुलायम सिंह जी को कहनी थी कह दी । इसी पर नियम 56 में सूचना दी गयी है आप चाहें तो चर्चा करा सकते हैं । उनको जो कुछ कहना था कह दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 में मैंने 2 मिनट को सुनने के लिए कहा था । अब मैं उनको रोक रहा हूं । जो माननीय मुलायम सिंह जी का प्रस्ताव है उसको मैं अस्वीकार करता हूं, इसकी अनुज्ञा नहीं देता हूं । माननीय मुलायम सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय किरनपाल सिंह ने जो नियम 56 में सूचना दी है उस पर मैं 1 घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप मेरी बात सुनें ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं नहीं सुनूंगा । मैंने एक घंटे की चर्चा स्वीकार की है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने चर्चा स्वीकार कर ली है । उसके बाद फिर माननीय मुलायम सिंह जी की बात सुनने का क्या औचित्य है ? दूसरा व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि नियम 311 के अंतर्गत जब आपने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया है तो क्या उसको कार्यवाही से निकालने का आदेश देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपको और हमको, सबको नियमों का पालन करना चाहिए । नियमों के तहत हमको चलना चाहिए । मैं माननीय मुलायम सिंह जी से अनुरोध कर चुका हूं ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

बगल की हरी पगड़ी को देखकर आप प्रभावित हो गये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, महंगाई बढ़ने का एक कारण बिक्रीकर ढांचे में गड़बड़ी होना है । यह सरकार प्रदेश के व्यापारियों को लगातार यह आश्वासन देती रही है कि बिक्रीकर ढांचे में बदलाव लायेगी । लेकिन सरकार ने वायदा पूरा नहीं किया जिससे कि कोई भी वर्ग असंतुष्ट होकर हिंसा करने के लिए मजबूर हो जाय तो आश्चर्य की बात नहीं है । मुजफ्फरनगर में जो घटना हुयी बिक्रीकर के संबंध में उसके लिए सरकार जिम्मेदार है । वहां के व्यापारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

छोटे दूकानदारों का शोषण हो रहा है । महंगाई बढ़ने का कारण एक यह भी है कि सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । कमीशन खोरी हो रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कमीशन खोरी की जा रही है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मंत्री और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं । इनको बेइमानी और रिश्वत लेने का अधिकार दे दिया गया है । उपाध्यक्ष जी जैसे लोग भी लाइसेंस लिए बैठे हैं बेइमानी करने का । (व्यवधान के मध्य) सरकार के भ्रष्टाचार के चलते इतनी मंहगाई बढ़ रही है, दूसरा कारण है कालाधन । 30 साल के अन्दर 50,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ रुपये का कालाधन है । जब तक यह कालाधन रहेगा, मंहगाई बढ़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, चर्चा के वक्त आप कह लीजिएगा ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस तरह से बीच-बीच में खड़े होकर व्यवधान करने से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय मुलायम सिंह को आपने किस नियम के अंतर्गत बोलने की इजाजत दी है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कालेधन के कारण महंगाई बढ़ी है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

इस मूल्यवान समय को आप क्यों बरबाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मंहगाई बढ़ रही है और उसके बावजूद ठाट-बाट पर कोई रोक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह, मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है, अब ग्राह्यता पर कितना सुना जा सकता है । ग्राह्यता की सीमा होती है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, फजूल खर्ची इतनी बढ़ी है कि वर्ष 1988 में मंत्रियों ने 73 लाख रुपये की चाय पी डाली है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह, अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, [xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है, अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कौशिक रमाशंकर तथा राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, और जिन माननीय सदस्यों के नाम इसमें हैं सबको ही चर्चा में समय अवसर मिल जायेगा, कल चर्चा लगा लीजिए, परसों चर्चा लगा लीजिए, परसों इस

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी । कौशिक जी बैठें, जब चर्चा होगी तो इसको ले लिया जायेगा। इस पर जब चर्चा होगी तो आप सब सब लोग भाषण दे दीजिएगा । माननीय गुप्ता जी आसन ग्रहण करें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस मामले में 311 पर नोटिस दी मुलायम सिंह जी ने उसी पर मैंने 56 के अन्दर सूचना दी थी, कौशिक जी का मामला है, शाही जी का है । ग्राह्यता पर आपने मुलायम सिंह जी को एलाऊ कर दिया और सुना । अगर आप ग्राह्यता पर कौशिक जी को, शाही जी को नहीं सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि नियमों के साथ न्याय नहीं होगा या तो आप कार्य स्थगन के समय अथवा तत्काल ग्राह्यता पर मुझे और शाही जी को सुन लें, यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बहुत लोगों के दस्तखत हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सबकी सुनें मुझे जिनके नामों की जानकारी थी, उनको कह दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मैंने 311 की ग्राह्यता के अन्दर सुना है ।

(श्री मूल चन्द्र द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मूल चन्द्र जी आप बैठें, मैं आपकी सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मेरी बात सुनें, मेरा बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है । कोई गम्भीर मामला हो तो संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कह दें । (व्यवधान)

नेता विरोधी दल द्वारा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह को अपनी नियम 311 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 311 के तहत कई विषय उठाये गये हैं । मान्यवर बेतहासा बढ़ती हुई मंहगाई पर सूखे और बाढ़ को लेकर जनता दल के अध्यक्ष को आपने सुना इसी तरह से बिगड़ती हुई सम्प्रदायिक स्थिति पर राम चन्द्र सिंह बख्श सिंह को आपने सुना इसी तरह से बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति पर फैजाबाद में और देश में बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति पर राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने उठाया । मान्यवर, 311 के अन्दर आपने एक नाम तय किया, मुलायम सिंह जी को सुना राम चन्द्र बख्श सिंह जी को सुनेंगे । अब मंहगाई के ऊपर किरन पाल जी को तथा अन्य सदस्यों को कुछ कहना है, उन्होंने लिखकर दिया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब ग्राह्यता पर सुन रहे हैं तो

सत्तापक्ष को एतराज होता है कि चर्चा स्वीकार कर लिया । लेकिन मान्यवर, 311 में माननीय मुलायम सिंह जी ने अनुरोध किया है कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय और इसमें चर्चा की जाय इसलिए विषय पर बल देने के लिए किरन पाल सिंह तथा अन्य सदस्य जो विचार रखना चाहते हैं उनकी ग्राह्यता के बारे में सुन लें ताकि सदन व्यवस्थित रूप से चल सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने 311 की अनुज्ञा नहीं दी, अस्वीकार कर दिया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, एक विषय को पहले खतम कर लीजिए । पहले मंहगाई पर किरन पाल सिंह जी को सुन लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सोलंकी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । [xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

(व्यवधान के मध्य) तस्करों से पैसा एकत्र किया गया है . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप सब बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

(श्री मूलचन्द सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द्र जी अभी आपको सुनूंगा । अंचल जी शान्ति बनायें । मैं आपकी बात सुन रहा हूं मूलचन्द्र जी ।

(श्री मूलचन्द्र जी अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा प्रदेश में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक संगठनों से उत्पन्न गम्भीर एवं भयानक स्थिति के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव रखने का प्रयास

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस समय प्रदेश की साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति इतनी गम्भीर और भयानक है . . . (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुन नहीं पा रहा हूं । सब आपस में बात करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

(घोर व्यवधान के मध्य) पूरे प्रदेश में दौरा करके अल्पसंख्यक. . . (घोर व्यवधान) . . पूरे प्रदेश के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है । अफसोस है कि कुछ लोग और कुछ संगठनों को प्रदेश सरकार समर्थन दे रही है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने 311 में दिया है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

कुछ लोगों की साजिश है कि राम जन्म भूमि पर एक बाबरी मस्जिद विवादित स्थान पर मंदिर बनाया जाय (घोर व्यवधान) . . इसको नहीं चलने दिया जायेगा । इन तमाम संगठनों जैसे [xxx] आदि पर रोक लगाई जाय और इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद को किसी भी हालत में गिराने की इजाजत नहीं दी जायेगी तथा वहां पर लोगों को मंदिर नहीं बनाने दिया जायगा । यह एक गम्भीर मामला है. . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कोई प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा नहीं दी । मैं इसको अस्वीकार करता हूं . . .

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी नियम 311 में इसी प्रकरण में एक प्रस्ताव था । आज पूरा प्रदेश साम्प्रदायिक तनाव से ग्रस्त है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जायें, आसन ग्रहण करें । आप सब एक साथ बोलते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है । एक-एक करके बोलेंगे तो सुनाई पड़ जायेगा । आप लोग जाकर वहां बैठ जायं, आसन ग्रहण करें ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी आदि अनेक सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर अपनी सूचना को सुने जाने की मांग करने पर सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

एक दफे में एक ही आदमी को सुनूंगा आप लोग अपने आसन पर जायं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये ।)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

हरीश जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप सब लोग बैठें । मैं मौका दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा सदन के फ्लोर पर आ गये और साम्प्रदायिकता वाले मामले पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आसन ग्रहण करें, मैंने अभी निर्णय नहीं दिया है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन , श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

(घोर व्यवधान)

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के प्रयास से श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(श्री सूर्यप्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मयंकर सिंह आदि सदस्य नारे लगाने लगे [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र हरीश जी–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन नारे लगाने लगे) [xxx]

(घोर व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री मयंकर सिंह नारे लगाने लगे "राम जन्म भूमि लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे")

(श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी व श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राजकिशोर सिंह जी बैठें, हरीश जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उन्हें एक मिनट सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । न मुझे कल बोलने दिया गया, न आज बोलने दे रहे हैं । आप सबको सुन रहे हैं मैंने भी लिखकर दिया है, मुझे भी सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का अधिकार सबको है । एक साथ सबको कैसे बुलवा लूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैंने भी लिखकर दिया है ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुन तो रहा हूं, कहां मना कर रहा हूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हाउस चले और नियम से चलाइये । आपने 56 और 311 को एक में जोड़ दिया ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हाउस को 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री राम आसरे वर्मा श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी व आदि माननीय सदस्यों के खड़े होने पर-शोर ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी को बुलवा लिया है, पहले मैं उनको सुन लूं फिर आपको भी अनुमति दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रस्ताव मेरा है, मुझे आपने बोलने की अनुमति भी दी थी और मैं बोल भी रहा था, उसी बीच व्यवधान पैदा हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी थी लेकिन अब आपको अनुमति दूंगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के नियम 311 के प्रस्ताव में से आरोपात्मक, आक्षेपात्मक व मानहानिकारक अंशों को कार्यवाही से निकालने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा । उसकी ग्राह्यता के संबंध में मैं चाहूंगा कि आप विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-105 को देखने का कष्ट करें । उसमें लिखा है :–उसमें सारवान् रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा । अब आप इसके (2) को देखें, उसमें कहा गया है–"उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे" । जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया, उसमें स्पष्ट रूप से तीन संस्थाओं का नाम-राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल व हिन्दू परिषद् के नाम को लेकर उनके लिए उन्मादी, हिंसात्मक व साम्प्रदायिक शब्दों का प्रयोग किया गया परन्तु संघ एक राष्ट्रीय रचनात्मक, सांस्कृतिक संस्था है, हिन्दू शब्द राष्ट्रीय है । जैसा कि नियम-105(2) में ग्राह्यता की शर्तों में लिखा हुआ है कि उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मान हानिकारक कथन नहीं होंगे । जो प्रस्ताव यहां

पर रखा गया है, उसमें अनुमान भी है, व्यंग्यात्मक पद भी है, अभ्यारोप भी है और मान-हानिकारक कथन भी है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव में जो ऐसे अंश हैं और उसके साथ में जो कुछ भी कहा गया है, उस कार्यवाही को आप ऐसे शब्दों को आप कार्यवाही से निकाल दें ।

इसी पीठ से एक बार जब किसी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था तो आपने कहा था कि जहां तक फैजाबाद के रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का सवाल है, चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए यहां पर इसे नहीं उठाया जा सकता है । यहां ऐसे संवेदनशील प्रश्न उठाकर परस्पर सद्भावना बनाने की जो कोशिश की जाती है वह बिगड़ जाती है । यहीं पर हम दोनों पक्षों के लोग बैठे हुए हैं । अभी इसी बात पर दोनों ओर से कितने उत्तेजनात्मक नारे लगाये । बाद में उन माननीय सदस्यों ने भी सोचा होगा कि यह बात उचित नहीं थी। इस प्रकार के व्यंग्यात्मक पद, अपमानजनक शब्द, अभ्यारोप व मान हानि-कारक शब्दों का प्रयोग जो इस सदन में न हो, चाहे वह संस्था के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, करना उचित नहीं है । साथ ही में यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने अगर इसे जिम्मेदारी से देखा होता और इस मामले को निपटा दिया होता तो शायद आज श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी इस प्रस्ताव को यहां पर नहीं लाते । मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि नियमावली के नियम-105(2) के तहत ग्राह्यता की जो शर्तें हैं, उनके आप संरक्षक हैं, इसलिए जो शब्द प्रस्ताव में व उसके साथ कहे गये हैं, उन्हें आप देखकर कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरे वस्ताव में न अपमान है, न व्यंग्य है और न आरोप है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो आपत्तिजनक शब्द होंगे उनको देख लूंगा और निकलवा दूंगा । आप बैठें।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह द्वारा घोर व्यवधान के मध्य खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब कुछ नहीं लिखा जायगा, आप बैठें ।

(विरोध पक्ष से श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सूर्य प्रताप शाही आदि माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री मूल चन्द्र द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में सुने जाने की मांग

श्री मूल चन्द्र–

मुझको आप बोलने का समय नहीं दे रहे हैं ।

(श्री मूल चन्द्र सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द्र जी । आप अपनी सीट पर जायं, आपको सुन रहा हूं अभी । आप बोलें, आपको अनुमति दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

ऐसे सदन नहीं चलेगा, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अग्राह्य कर दिया है, अब नहीं सुनूंगा । मैंने मूलचन्द्र जी को बोलने की इजाजत दे दी है । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा, मैंने मूलचन्द्र जी को इजाजत दे दी है ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(श्री फजलुल बारी, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राज किशोर सिंह सदन के फ्लोर से अपनी बात का उत्तर संसदीय कार्यमंत्री से दिलवाने की मांग करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है । अब मैं इस पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । पहले आप लोग बैठें तो सही । लीजिये संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये, अब आप लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने के पहले आप मा0 मूल चन्द्र को बुलवा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि आप संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले बुलवा रहे हैं तो उससे पहले आप एक मिनट मेरी बात को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यदि समस्या का समाधान हो जाय तो आपको क्या आपत्ति है ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

(जोर से चिल्लाते हुए) दिन भर व्यवस्था-व्यवस्था ।

(संसदीय कार्य मंत्री जो कि पहले अपने स्थान पर खड़े हुए थे, बैठ गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैंने मूलचन्द्र जी को बुलवा दिया है। वे पहले अपनी बात को कह लें उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरीके से सदन नहीं चलेगा जो आप अपनी मनमानी करेंगे। मैंने कह दिया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बाद में जवाब देंगे । अब आप सब लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें । यह क्या कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1989 को केन्द्रीय गृह मंत्री एवं प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच साम्प्रदायिकता के मामले में हुई वार्तालाप की जानकारी की मांग

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस विषय पर मान्यवर, चर्चा हो रही है, यहा जो फैजाबाद का विषय उठाया गया है और जिसमें आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं कम से कम इससे फैजाबाद का वातावरण चाहे न बिगड़ रहा हो किन्तु सदन का वातावरण अवश्य बिगड़ रहा है । इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने विचार रखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा वे इसका ऐसा उत्तर देंगे जिसमें समस्या का समाधान निहित होगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मा0 मूलचन्द्र जी को बुलवाने के पहले आप मा0 शतरुद्र जी की बात को सुन लें और उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात को सुन लें और उसके बाद मूलचन्द्र को आप बुलवायें।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें । मैंने तो जो नेता विरोधी दल ने सुझाव रखा है, उसे मानकर ही श्री शतरुद्र प्रकाश जी को बोलने की इजाजत दी है, ओझा जी जो सुझाव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है, उसी के तहत मैं इन्हें बुलवा रहा हूं । कृपया शान्त बनाए रखें । इनके बाद मैं मूल चन्द्र जी को ही सुनूंगा । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात को कहेंगे । . . .

(शोर)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है, न आप इसे गम्भीरता से समझ रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूँ और न सरकार । इसीलिए इस मामले को हल्के तौर पर लेने के विरोध में मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा तदुपरान्त सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर 300 के अंतर्गत मैंने भी इस सवाल को उठाया है और इस समय हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि 24 तारीख को . . .

(घोर व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

सरकार इस मामले में कोई बात या आश्वासन नहीं दे व कह रही है, इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(तदुपरांत श्री राम चन्द्र बख्श सिंह भी अपने समुदाय के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री शतरुद्र प्रकाश को सम्बोधित करते हुए) आप 300 पर बोलना चाहते हैं या किसी व्यवस्था पर ?

(घोर व्यवधान)

(इसी बीच श्री अकबर हुसैन बाबर सदन के फ्लोर पर बैठ कर पहले इस मसले पर या सरकार को बुलवाने की मांग करने पर सदन में शोर मच गया)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

(श्री अकबर हुसैन बाबर को सम्बोधित करते हुए) आप अपने स्थान पर बैठिए मैं आपकी ही बात को कहने जा रहा हूं । . . . .

(शोर)

(तत्पश्चात् श्री अकबर हुसैन बाबर अपने स्थान पर आ गये ।)

मान्यवर आपकी इजाजत से मैं यह कहना चाहूंगा कि 24 सितम्बर को दिल्ली के गृह मंत्री, मा0 श्री बूटा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इसी मामले पर बात-चीत करने के लिए दिल्ली बुलाया था और इसी मामले के समाधान के लिए कल भी भी वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए और यहां के मा0 मुख्य मंत्री जी से बात-चीत भी की । तो मान्यवर, सदन यह जानना चाहता है कि इस मामले के समाधान के लिए क्या-क्या बातें हुयीं, यह सरकार पहले यहां पर बता दे कि इस ज्वलंत समस्या का समाधान क्या इन लोगों ने यहां बैठकर निकाला है, इसके जानने की उत्सुकता हम सभी लोगों में है . . . .

(शोर)

श्री गौरी शंकर भइया–

(फ्लोर के बिल्कुल करीब आकर, मान्यवर आप मा0 मूलचन्द्र जी को नहीं बुला रहे हैं, इनका हाथ तक तोड़ दिया गया है . . .

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बुलवा रहा हूं . . .

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं मान्यवर, अपनी बात को एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा कि इस मसले के प्रति सरकार शीघ्र ही क्या निर्णय लेने जा रही है गम्भीरता से यह बता दें दूसरे यह कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो न्यायालय में सच-मुच समस्या के समाधान के लिए विचाराधीन है या मात्र चुनावी मुद्दा है, चुनाव की तैयारी के लिए । इसीलिए हम सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो बातें केन्द्रीय गृह मंत्री जी से की हैं, वह क्या हैं । कृपया सुनवा दें । . .

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, पुलिस की मार से मूल चन्द का हाथ टूट गया है और इनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पहले मूल चन्द जी को सुन लें ।

दिनांक 27 जुलाई, 1989 को दुर्गागंज पुलिस चौकी जिला वाराणसी के अंतर्गत हो रही जनसभा में पुलिस द्वारा श्री मूल चन्द्र तथा उनके साथी श्री युसुफ बेग को चोटें पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पुलिस गरीबों को हरिजनों को नाजायज तरीके से पीट-पीट कर पैसा वसूलने का काम कर रही है और हाथ पैर तोड़ देने का काम कर रही है।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, हरिजन दूधनाथ की मोछ उखाड़ा गया और मारा गया एक मुसलमान मोहर्रम अली उस निरपराध के हाथ पैर तोड़ दिये गये । इसके खिलाफ 24 जुलाई को हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिले और एस0 एस0 पी0 से मिले और उनको नोटिस दिया कि वे वह दुर्गागंज पुलिस चौकी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और आप आयें और आप हमारी बात को सुनें। एस0 एस0 पी0 ने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप उसी से जांच करवायेंगे जिसके खिलाफ हमने नोटिस दी है । मान्यवर, 27 तारीख को प्रदर्शन था और मीटिंग थी । मैं लखनऊ से गया था और दो बजे दुर्गागंज चौकी पर जो सभा हो रही थी, उसमें पहुंचा । सभा में एक आदमी राधे-श्याम भाष्कर बोला, उसके बाद मैं बोल रहा था । मैं नैतिकता पर बोल रहा था और कह रहा था कि आप जनता के रक्षक हैं, गरीबों के रक्षक हैं और आप उनके साथ अन्याय न करें । गरीब आदमी से जब पैसा ले लेते हों तो उसकी सारी दफायें खत्म हो जाती हैं, मैंने कहा । मैं 45 मिनट बोला । हमारे मजदूर नेता युसुफ बेग जो राष्ट्रीय नेता हिन्द मजदूर किसान पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, वह आ गये । मैंने कहा

कि आप लोगों के सामने बेग साहेब आ गये हैं और वह अपने विचार व्यक्त करेंगे ।

राम सागर चौरसिया ने अपना भाषण दिया । जब यूसुफ साहब बोल रहे थे, तो पुलिस चौकी से 10-15 फिट की दूरी पर एक लाउड स्पीकर बंधवा दिया और नारे लगाने लगे । बेग साहेब अपना भाषण कर रहे थे । झगड़े की नौबत दिखाई दी, तो उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया । राधेश्याम भास्कर ने धन्यवाद देना शुरू किया, तो पुलिस मंच पर आ गयी और कहा मारो एम0 एल0 ए0 को लाठियों से मारना शुरू किया । जब लाठी मारी तो यूसुफ बेग वहां पर एक घर में बचाव के लिए घुस गये । पुलिस ने घर में घुस कर उनको वहां से पीटते हुये लाये । जिससे उनका पैर टूट गया । 700 रुपये उनके छीन लिये, उनका चश्मा ले लिये । मेरे हाथ में चोटें आईं । यह सब पुलिस के लोगों ने किया । मंच का कालीन, चादर, झंडा ले लिये, लाउड स्पीकर का नुकसान हुआ । यह जो मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है इसको चौबीस इन्जरी डाक्टर बतायें हैं । मान्यवर, मेरे यहां-यहां (अपने हाथों और कमर की ओर इशारा करते हुये) भी हड्डी टूटी हुई चोट आई है । यह डाक्टर की रिपोर्ट है । मेडिकल रिपोर्ट है, डाक्टर ने बताया है । यह एक्सरे रिपोर्ट है । (एक्सरे रिपोर्ट दिखाई) । इस प्रकार मेरी पिटाई की गई । घड़ी भी छीन लिए । मान्यवर, थाना इन्चार्ज वहां पर बैठे हुए थे। तीन थानों के लोग थे: वहां के सी0 ओ0 की अनुमति से यह हुआ है । 26 तारीख को वहां के सी0 ओ0 ने ही यह सजेशन दिया था । इस प्रकार दर्जनों पुलिस कर्मियों ने लोगों की पिटाई की ।

बाद में जनता वहां से चली गई थी । भोली-भाली जनता निहत्थी थी । हमने जो अप्लीकेशन दिया था उस पर इन्क्वायरी हुई । दो आदमी-चौकी इन्चार्ज और दीवान सस्पेंड हुये तथा थाना इन्चार्ज लाइन हाजिर हुये । हमारा यह कहना था कि लाइन हाजिर और सस्पेंड न किये जाय बल्कि उनके ऊपर आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 की जो धारायें हैं, उनके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाय । मान्यवर, जो मेरा हाथ टूटा है, 24 इन्जरी डाक्टर की रिपोर्ट बताई है, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला किया गया है घड़ी लूटी गई उसके लिए उन पर धारा 307, 452, 325, 397, 395, 347 और 148 लगाई जाय । मैं मंत्री जी से कहता हूं कि इसके लिए आप एक कमेटी बना दें और इसकी जांच करायें। रुपये में 100 पैसे होते हैं और 15 पैसे पर भी यदि मेरी बात असत्य सिद्ध होती है तो मैं सौ पैसे का जिम्मेदार हूं, मेरे ऊपर आप 100 पैसे का आरोप लगा सकते हैं ।

अगर हमारा कोई कसूर नहीं है, तो कार्यवाही हो जनतंत्र में और जनहित में जो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम गरीबों के लिए आवाज उठायें, अगर उनका हनन इस तरह से किया जाय, लाठियां बरसाई जायं, गरीबों का खून बहाया जाय, तो यह कहां का न्याय है । मान्यवर, दीवान ने कहा कि तुम चमार जाति के हो, इस इस तरह से तुम भाषण कर रहे हो । यह शब्द उन्होंने मेरे लिए कहा । मुझे एक हाथ मारा और कहा कि तुम्हारे ऐसे हमारे हलवाहे हैं । मान्यवर, जनता की सुख-सुविधा और भलाई के लिए हमारा कानून बना हुआ है । उसका पालन करने वाले यदि इस तरह का बर्ताव करते हैं तो देश की क्या स्थिति होगी? मैंने नहीं कहा कि हमारे पक्ष में इसे करिये लेकिन इस पक्ष में देश को बचाना है । अगर यही रवैया रहेगा, जैसा कि वहां पर हुआ है । जिससे वहां पर जनता के दिलों में दुख है,

तो यह देश कहां जायेगा, देश की क्या हालत होगी ? इसलिए मान्यवर, इस विषय पर आप चर्चा करायें । इन्साफ को बचाने के लिए मैं इन्साफ चाहता हूं । माननीय गृह मंत्री जी नहीं हैं । . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाषण माननीय सदस्य ने दिया वह दुखद तो है ही लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेता, मुझे याद है कि हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को मिले थे और उनके सामने हम लोगों ने बड़े विस्तार के साथ यह बात रखी थी । मुझे याद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथा माननीय नरेश चन्द्र जी भी उस समय वहां मौजूद थे । हम जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य मूलचन्द्र जी के साथ इतनी बातें होने के बाद हरिजन के नाम से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया किन्तु उसके बाद भी आज तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई वांछित कार्यवाही नहीं हुई । इससे ज्यादा लज्जा जनक, शर्मनाक और सरकार पर काला धब्बा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी आपसे एक प्रार्थना है माननीय मुख्य मंत्री जी अगर लखनऊ में हैं तो उन्हें बुलाया जाय और उनसे जानकारी की जाय । हम लोग आज से बहुत पहले जो उनसे इस संबंध में मिले थे उसमें सभी नेतागण थे जो बात उनसे हुई थी उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ? उसकी जानकारी हमें वह करा दें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

श्रीमन्, माननीय मूल चन्द्र जी ने जिस घटना का वर्णन किया वह बहुत दुखद है और सरकार के लिए कलंक की बात है । जब मूल चन्द्र जी बोल रहे थे सत्ता पक्ष के लोग हंस रहे थे । तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब-जब सत्ता पक्ष के लोग पुलिस द्वारा पीटे गये हैं उनकी बात हमने यहां उठाई है चाहे दत्ता साहब रहे हों या श्री राम लच्छन हों हमने उनकी बात उठाई है । मैं स्वयं जानकारी करने गया था और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा अन्य नेतागण माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने गये थे, माननीय मूल चन्द्र जी भी साथ थे । हमारी पहली मांग थी कि जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो उसकी रिपोर्ट जरूर लिखी जाय। गृह राज्य मंत्री सईदुज्जमा यहां पर हैं, वह क्या जबाब देंगे ? लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं चाहे वह खैरा कांड हो या हलद्वानी कांड हो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । माननीय मूल चन्द्र जी के हाथ पैर तोड़ दिये, यूसुफ साहब के हाथ पैर तोड़ दिये । पुलिस के लोग भी यह मानते हैं, कहीं नहीं कहा गया है कि इनकी तरफ से पथराव हुआ, कोई अनधिकृत कार्य हुआ है । शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे और जो पुलिस की लूट मची है उसके विरोध में यह शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे जो हमारा मौलिक अधिकार है, वहां पर माननीय विधायक मौजूद थे और उनके उपर बरबर लाठी चार्ज किया गया और माननीय विधायक के हाथ पैर तोड़ दिये गये तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए और कोई हो नहीं सकती । इनके जुल्म और अत्याचारों का घड़ा भर गया है जो कमी थी उसे पुलिस ने पूरा कर दिया है और वह घड़ा टूटने वाला है । इस समस्या का समाधान यह नहीं कर पायेंगे ।

मैं चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलाया जाय उनसे जानकारी की जाय कि उन्होंने क्या किया । क्यों एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गयी ? इतने दिन हो गये उनकी रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? यही कारण है कि पुलिस की अपराधिक मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है जब तक उनको एक्जम्पटी पनिशमेंट नहीं मिलेगा यह रुकने वाला नहीं है। माननीय मूल चन्द्र जी की घड़ी छीन ली गयी, उनके साथियों के रुपये पैसे छीन लिये गये । इनकी सारी रिपोर्ट लिखी जाय और इस मामले की सी0 आई0 डी0 जांच कराई जाय इसके आदेश वह दें ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

हमारी भी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री सईदुज्जमा के खड़े होने पर) आप लोग इनकी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

यह क्या कहेंगे यह तो [xxx]

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह असंसदीय है इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, जो घटना के सम्बन्ध में माननीय विधायक कह रहे हैं माननीय मूल चन्द्र जी हमारे पास आये थे उनके सामने हमने कहा था कि इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा । कांग्रेस ने हमेशा ही हरिजनों को संरक्षण दिया है (व्यवधान) उनका सम्मान रखा जायेगा।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए । शांति रखें ।

श्री सईदुज्जमा–

मैंने माननीय मूल चन्द्र जी से कहा कि उनका सम्मान रखा जायेगा । उनके कहने पर हमने कार्यवाही भी की है कुछ लोगों को हटा दिया है (व्यवधान) माननीय मूल चन्द्र जी को जो तकलीफ पहुंची है उसका दुख है वह पूरी रिपोर्ट देंगे उस पर पूरी कार्यवाही की जायेगी और कुछ कार्यवाही जैसा मैंने बताया की भी है ।

(घोर व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, इस प्रकरण की जांच करायें चूंकि यह श्री मूल चन्द्र का केवल मामला नहीं है बल्कि आये दिन हम लोगों के साथ ही ऐसी

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटनायें हो रही हैं । इस सरकार के लोग बेहया हो गये हैं जिसके चलते पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है । (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में बताया गया लेकिन उन्होंने कोई कागनीजेंस नहीं लिया है । इसलिए आपकी ड्यूटी है कि हाउस की कमेटी बनायें जो पूरे प्रकरण की जांच करे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ समझ में नहीं आ रहा है । नेता विरोधी दल ने सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग किया है, तो उनसे पूछ लिया जाये कि क्या किया जाये ?

(घोर व्यवधान के मध्य श्री हरदेव बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हरदेव बैठ जाय, यहां कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

(व्यवधान के मध्य) श्री मूल चन्द ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसके आधार पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाये और उसके आधार पर कार्यवाही की जाये । मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं ? एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या कह रहे हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

(व्यवधान के मध्य) यदि एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई है तो दर्ज करायें और मुकदमा चलायें ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री हरदेव बोलते रहे)

श्री हरदेव–

मुजफ्फरनगर में जुर्म हुआ । (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री बैठे हैं वह घोषणा करें और वहां के डी0 आई0 जी0 को तुरन्त हटायें और ऐसी जगह भेजें जहां दफ्तर का काम करें । इसी के साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि डी0 आई0 जी0, वाराणसी श्री जे0 पी0 राय जिसको वहां तीन वर्षों से अधिक हो गया है और गोरखपुर के डी0 आई0 जी0, श्री बी0 पी0 राय को भी जिसको तीन वर्षों से अधिक मंडल में रहते हो गया है, इन दोनों का ट्रान्सफर तत्काल किया जाये और इनके विरुद्ध जांच कराई जाये चूंकि यह लोग तस्करी चोरी और डकैती कराते हैं । अन्यथा मैं शपथ लेता हूं कि आपके खिलाफ अनशन पर बैठ जाऊंगा ।

श्री हरदेव–

आप आज ही इस पर फैसला लीजिए कि ऐसे-ऐसे जुल्म क्यों हो रहे हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं मान्यवर, आपसे केवल एक निवेदन करना चाह रहा हूं और वह यह है कि माननीय मूलचन्द्र पर हुए हमले की रिपोर्ट लिखी गई या नहीं ? और नहीं लिखी गई तो जिन अधिकारियों ने नहीं लिखी है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

और जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, यह अत्यन्त खेद की बात है कि ऐसी घटना घटी और इसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल की, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और अन्य नेतागण के साथ, माननीय मुख्य मंत्री से मुख्य मंत्री कक्ष में उनकी बात भी हुई थी और उस बारे में कार्यवाही भी की गई है । यह नियम 311 में लिया है, इसलिए इसका मैं बहुत स्पष्टीकरण इस तरह से नहीं दे सकता हूं । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि मुख्य मंत्री और नेता विरोधी दल और मूलचन्द्र जी थोड़ा आज या कल में बैठ जाएं और इस सिलसिले में सारी बात कर लें और फिर उससे सदन को अवगत करा दिया जाए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

इस समस्या के समाधान के लिए ही मैंने अपने नेताओं के साथ मुख्य मंत्री जी के पास गया था, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौजूद थे और जब उनसे सारी बात हुई थी तो उसके होने के बाद आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई, पहले वह यह बता दें ? रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं ? और दर्ज हुई तो कौन सी धाराओं में वह दर्ज हुई ? और उसका मुकदमा नम्बर क्या है तथा उसमें कौन-कौन से मुल्जिम हैं हम माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सिलसिले में बात करने जा रहे हैं, हम उनसे ही बात करना चाहते थे, वह हमारे प्रश्नों का जवाब दें ।

श्री सईदुज्जमा–

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं माननीय विधायकों का और खासकर हरिजन विधायकों का बड़ा सम्मान करता हूं, यह माननीय विधायक जी मान्यवर, मेरे कक्ष में गये थे और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आपके साथ जो घटना हुई है, उसका मुझे दुःख है, इस पर मैं सख्त कार्यवाही करूंगा. . . (व्यवधान) जैसा आप हरिजन विधायकों और हरिजनों के साथ सलूक कर रहे हैं, वह हम सब जानते हैं, यह सब को मालूम है । हमने कहा था कि जो कार्यवाही है, वह हम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वह मेरे पास लिखकर दे दें । परन्तु मुझे अफसोस है कि वह मेरे पास लिखकर नहीं लाए । मैंने उनसे कहा था कि आप लिखकर ले आयें और जो आप चाहते हैं, वह हम कार्यवाही सुनिश्चित करा देंगे, लेकिन वह प्रार्थना-पत्र लिखकर नहीं लाये । उन्होंने हम से कहा था कि हम लिखकर ले आयेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

लेकिन जब मुख्य मंत्री से बात हो गई और उन्होंने कहा यह मुकदमा दर्ज होगा, तो उस तारीख से आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? उसके पहले कुछ कार्यवाही हुई है, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है इसके लिए मैं चुनौती देता हूं अम्मार रिजवी जी को और सईदुज्जमा साहब को । मुख्य मंत्री से मिलने के बाद मैं स्वयं मूलचन्द्र के साथ आपसे मिला था और आपने कहा था कि इसमें हम गृह सचिव से बात करेंगे और मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिये हैं उसका हम पालन करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस तारीख के बाद आपने कोई कार्यवाही इसमें नहीं की है । गृह राज्य मंत्री जी जो बोल रहे हैं, वह

सदन को गुमराह कर रहे हैं । जो कोई कार्यवाही की गई, जो भी कार्यवाही हुई है, वह उस बैठक के पहले हुई है । उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इनकी घड़ी आज तक वापस नहीं दिलाई गई है, आज तक अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसके लिए यह गृह राज्य मंत्री जी इस्तीफा दें या यह सरकार इस्तीफा दे । श्री मूलचन्द्र जी पर यह हमला पूर्व नियोजित था और इसमें विपक्ष को कमजोर करने की सरकार की साजिश है ।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, सदन को मैं नहीं यह गुमराह कर रहे थे । मूलचन्द्र जी को पूरी तसल्ली थी जो कार्यवाही की गई है । मान्यवर, उन्होंने यह शिकायत की थी कि मेरी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गई है । मैंने कहा कि आप सब लिखकर ले आयें उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे और आपको पूरा सम्मान देंगे मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी की वार्ता की बात इन्होंने नहीं बताई ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यह तो साधारण सी बात है । घटना की रिपोर्ट तो थाने में लिखी जानी चाहिए । मंत्री जी की सिफारिश पर रिपोर्ट लिखी जाए यह बहुत ही लज्जाजनक बात है और कानून की अवहेलना है । जिस अधिकारी ने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कह रहे हैं लिखकर नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इनका माल कब तक बरामद हो जाएगा ?

(व्यवधान)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बड़ी देर से विवाद चल रहा है । यह बहुत गम्भीर मामला है जिसको सरकार इस तरह से ले रही है यह ठीक नहीं है । मूलचन्द्र जी के साथ जो घटना हुई, इस सदन के इधर के विधायक और उधर के विधायकों के साथ यह पांचवीं या छठी बार घटित हुई है और सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है । मूलचन्द्र जी एक तो बेचारे हरिजन भी हैं और यह जो राज्य मंत्री हैं इनको एक दरोगा को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है । इनको जवाब देने के लिए भेज दिया गया है । यह [xxx] की तरह यहां आ जाते हैं अम्मार रिजवी साहब को पावर नहीं है । हम चाहते हैं मान्यवर, कि यहां मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाए वरना यह सदन नहीं चलेगा । यह मूलचन्द्र जी का मामला नहीं है यह सबका मामला है यह घटना किसी के भी साथ घट सकती है । यहां मुख्य मंत्री जी को बुलवाया जाए, पूरे सदन को मजाक बना रखा है. (व्यवधान) (दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया जाय ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, उधर क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

इधर जो हो रहा है उसे आप देखिए उधर न देखिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जब तक आप मुख्य मंत्री को नहीं बुलवाते हैं यह सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आज इनकी औरत मंत्री भी यहां नहीं हैं ।

(व्यवधान)

(दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये)

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । [xxx] शब्द असंसदीय हैं, इनको निकलवा दीजिये ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, यह आपके संज्ञान में आ चुका है । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां बैठक हुयी थी । जिन माननीय सदस्य को पीटा गया था उनको लेकर हम लोग वहां गये थे । मुख्य मंत्री जी ने इनको देखा और कहा बड़ी चोट आ गयी है मूलचन्द्र जी को । उन्होंने निर्देश दिया कि इनका मुकदमा दर्ज किया जायगा और कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य को पीटा गया है और मंत्रियों के चेहरों पर हंसी आ रही है । आपके साथ भी कभी ऐसा होगा ।

श्री सईदुज्जमां–

हम हंस नहीं रहे हैं । इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं । माननीय रेवतीरमण सिंह जी ने कहा चिड़ी के गुलाम । मैं पूंछना चाहता हूं कि यह किसके गुलाम हैं ?

(शोर)

(मा0 किशन लाल सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री किशन लाल–

मान्यवर, सदन नहीं चलेगा पहले विधायक को देख लें ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश भी सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पहले मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलाया जाय ।

(मा0 मूल चन्द्र के सदन के फ्लोर पर आ जाने तथा शोर होने पर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

4 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया ।

इसके पश्चात 4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

समय 4.15 बजे

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम लोगों का जो नियम 56 है उसका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

पहले मूल चन्द्र वाले को निपटा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मूल चन्द्र जी के विषय में जो अभी उठा था उसमें शासन को निर्देशित किया जाता है कि वह एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके सख्त कार्यवाही करे।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जिस समस्या की ओर मैंने आपका ध्यान और आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है वह है कि इस सरकार में स्टेट सेक्टर में 88-89 की योजनाओं का 40 प्रतिशत पैसे को फ्रीज कर दिया है, जमा कर दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मूल चन्द्र जी वाले में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें मैंने कह दिया है कि मूल चन्द्र जी की रिपोर्ट दर्ज करके सख्त कार्यवाही कर दी जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह कब तक लाज हो जायेगी ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

आखिर कब तक लाज हो जायेगी यह हाउस तो उठ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह हो जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह आश्वासन मुख्य मंत्री दे चुके हैं उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है जो फैसला चैम्बर में होता है उसका कार्यान्वयन नहीं होता है । बुनियाद हुसैन अंसारी के साथ यही हुआ, यदुनाथ सिंह जी के साथ यही हुआ । आपने जो फैसला किया है उसमें बताइयें कि एफ0 आई0 आर0 कब तक लाज हो जायेगी ?

श्री किरन पाल सिंह–

आप इन्हें निर्देशित कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जल्दी ही हो जायेगी । संसदीय कार्यमंत्री इसमें बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपने आज आदेश दिया है कल रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश भेज दिया जायगा ।

(व्यवधान)

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में जिला सेक्टर के अंतर्गत आवंटित धनराशि में से 40 प्रतिशत जमा करके जवाहर योजना एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में व्यय किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष 89-90 के आय व्ययक में जिला सेक्टर के अंतर्गत कुल कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि में से 40 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश शासन ने फ्रीज रखने का निर्णय करके सारे प्रदेश की विकास योजनाओं को व्यवहारिक रूप से ठप कर दिया है और उक्त धनराशि का प्रयोग कुछ विशिष्ठ लोगों के क्षेत्रों को विकसित करने में तथा जवाहर रोजगार योजना में किया जा रहा है । श्रीमन्, सरकार और शासन के उक्त निर्णय के परिणाम स्वरूप जिला सेक्टर की 88-89 की योजनाएं भी पूरे प्रदेश के जनपदों में ठप पड़ी हुई हैं । श्रीमन, आप जानते हैं कि स्पिल ओवर सिस्टम से पिछले 4-5 साल से यह होता आया है और सारी जिला योजना और स्टेट सेक्टर की योजना फरवरी और मार्च में सरकार स्वीकृत करती है जब कुल 20-25 दिन उस वित्तीय वर्ष में रह जाते हैं । टोकेन ग्रान्ट देकर बाकी सारा पैसा अगले वर्ष में दिया जाता है। इस तरह से सारा पैसा फ्रीज कर लिया गया है । नतीजा यह है कि वर्ष 1988-89 की जिला सेक्टर की योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है । श्रीमन्, इसके बारे में मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री एस0 पी0 अरोरा, विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का एक सर्कुलर दिनांक 24 जून, 1989 मिल गया है, जिसमें है कि उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय अपरिहार्य कारणोंवश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में जिला सेक्टर के अंतर्गत कुल कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि रुपया 88.20 करोड़ में से 30 प्रतिशत धनराशि अग्रिम आदेशों तक फ्रीज करने का निर्णय किया गया है । यह कटौती अन्य आधार पर भी की गई सामान्य कटौती, यदि कोई हो, आदि

के अतिरिक्त होगी। अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शासन के उक्त निर्णय के अनुपालन में उक्त फ्रीज की गयी धनराशि, यदि उसके लिए साख सीमा भी प्राप्त हो गयी हो, अवमुक्त न की जाय।

श्रीमन्, इसी सर्कुलर के आधार पर प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय से समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, समस्त अधीक्षण अभियन्ता (मैदानी क्षेत्र), समस्त अधिशासी अभियन्ता (मैदानी क्षेत्र), समस्त कार्य अधीक्षक, वि0 नि0 इ0 (मैदानी क्षेत्र) को एक सर्कुलर भेजा गया गया है– पत्र सं0 38 बी0 जी0/7 बी-89 दिनांक 17 जुलाई, 1989 जिसमें कहा गया है कि विशेष कार्याधिकारी, सा0 नि0 वि0, अनुभाग-11, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 4008ई/23 सा0 नि0 अनु0-11/99ई/88 दिनांक 24-6-89 की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जाती है कि आप कृपया शासन के निर्णय के अनुपालन में 40 प्रतिशत की कटौती संलग्न पत्र के अनुसार 30 प्रतिशत तथा इस कार्यालय के पत्र सं0 12 बी0 जी0 जी0/12बी-36/89 दिनांक 9-5-89 में उल्लिखित शासनादेश सं0 0825 ए0 एस0 89/23 सा0 नि0 अनु0-1015 (ब)/89 दिनांक 20 अप्रैल, 1989 में दिये गये निर्देशानुसार दस प्रतिशत की कटौती इस कार्यालय द्वारा जिला सेक्टर योजना हेतु वर्ष 1989-90 के अनुदान में कटौती करते हुए ही कार्यों में व्यय करेंगे।

श्रीमन्, यह सर्कुलर मैंने केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग का पाया है लेकिन इसी तरह से प्रदेश के हर विभाग में हो गया है। हर विभाग का 40 परसेंट पैसा फ्रीज करके जवाहर रोजगार योजना या किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे नवाबों के जमाने में खैरात बांटी जाती थी, कोई मंत्री खैरात बांटता है, किसी और क्षेत्र में धन देता है तो हमें एतराज नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष को अनुदान दिया जाय तो हमें एतराज नहीं है, लेकिन जब सारे क्षेत्रों का काम किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को सौंप दिया जाय, यह बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि सरकार उस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, हम उस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने हमको चुना है। इस प्रदेश के 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री के हाउस से सी0 एम0 को टेलीफोन आ गया कि 23 सितम्बर को प्रधानमंत्री वृन्दावन में किसी पुल का शिलान्यास करना चाहते हैं यमुना पर, और 22 सितम्बर को मुख्य मंत्री ने लिख दिया कि मेरी सहमति है। इस तरह से किसी को खुश करने के लिए हमारी योजनाओं का पैसा दिया जाता है।

इसमें दो बातें एक तो विधान सभा ने 1988-89 का जो बजट पास किया है, जिस मद के लिए जितनी राशि पारित की है, उस मद से इतर मामले में व्यय करने का सरकार को अधिकार नहीं है। विधान सभा की अनुमति के बिना जो इस तरह के काम सरकार कर रही है, वे सीधे सीधे विधान सभा की अवमानना है और 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात है, हमारी योजनाओं के साथ विश्वासघात है। इसलिए इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि यहां पर हमारे मंत्री लोगों से कुछ सवाल पूछने की इजाजत मिलती है, आपके माध्यम से। यहां पर गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए आश्वासन दिये जाते हैं। मुझे

भी सा0 नि0 वि0 मंत्री ने 4–5 आश्वासन दिये और कह दिया कि अप्रैल, 89 तक राजाज्ञा जारी हो जायगी। लेकिन धन दूसरे क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है और हमारे आश्वासनों को पूरा करने के लिए इनके पास धन नहीं है। तो इस तरह से सदन की प्रासंगिकता पर सरकार और मंत्री एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस औचित्य के प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जब नियम 311 पर इस सदन में चर्चा हो रही थी।

श्री उपाध्यक्ष–

बारी साहब आप बैठें।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, उस समय माननीय राम चन्द्र बक्श सिंह एक प्रस्ताव लाये थे उस पर चर्चा हुई कुछ देर, आपने यह निर्देशित किया था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना पक्ष बयान कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

बारी साहब एक-एक चीज को निपट जाने दें। इसके बाद अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री फजलुल बारी–

जैसे ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बोलना शुरू किया वैसे ही मूलचन्द्र जी खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बारी साहब आप बैठें, ऐसे कैसे काम चलेगा?

श्री फजलुल बारी–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

4.30 बज चुका है, अब कैसे आगे काम होगा, आप बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपने इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी और यह बोल गये। इनकी बात कार्यवाही में नहीं आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

4.30 बजे हैं, कहीं तो कोई सीमा हो, कैसे आगे काम बढ़ेगा? आप लोग बैठें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो सवाल नियम 300 में दिया गया है, यह अपने आपमें महत्वपूर्ण है। माननीय रवीन्द्र तिवारी जी ने उस जी0 ओ0 को यहां पढ़कर सुनाया। 40 प्रतिशत पैसा सरकार ने फ्रीज कर लिया है। जहां जहां मंत्री लोग जाते हैं, घोषणा कर आते हैं। अभी नरेन्द्र सिंह जी एक जगह गये और 17 लाख रु0 की घोषणा कर आये, कहीं 17 लाख की घोषणा हो रही है, कहीं 17 करोड़ की, कहीं 25 लाख की घोषणा हो रही है और जिला योजना का जो पैसा है वह जिलों में नहीं जा रहा है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं मेरे जनपद बलिया में पैसे के अभाव में सारा काम ठप्प हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। पी0 डब्लू0 डी0 की 3 साल से जो सड़कें जिला योजना की मंजूर हैं उन सड़कों पर एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण पुल बनने हैं उन पर काम नहीं हो रहा है, आर0 ई0 एस0 का काम नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इससे महत्वपूर्ण सवाल कुछ और है नहीं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा यह दो ऐसे विभाग हैं जिन पर एक भी पैसा जिले में नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। यह सरकार के लोग जानते हैं कि अगली बार विधान सभा में विपक्ष में बैठना है इसलिए यह चाहते हैं कि धन का दुरुपयोग करके हम लोगों की हमदर्दी हासिल करें।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप इन्हें निर्देशित करें कि 40 प्रतिशत धन जो फ्रीज किया है उसे वापस करें। बलिया में जो 3 साल से पैसा नहीं जा रहा है उस तमाम पैसे को फौरन अवमुक्त करायें ताकि काम प्रारम्भ हो सकें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सड़क तीन साल से टीच होनी है, उसमें पैसा नहीं जा रहा है, एक पुल नहीं बन रहा है। इसलिए आप हमारे औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय दें।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न उठा है, पिछली बार विधान सभा में जो राज्य का आर्थिक नियोजन है उसको विकेन्द्रीकरण करने के लिए दो भाग में विभक्त किया गया जिला सेक्टर और स्टेट सेक्टर। जिला सेक्टर में यह था कि जो 30 लाख के भीतर की परियोजना है वह जिले से बनाकर भेज देंगे और यहां पास कर देंगे व्यय का नियंत्रण जिले से होगा। श्रीमन्, हम लोगों को कहा जाता है कि 100 रुपये की योजना बनाकर जिले से भेजो और हम लोग 100 रुपये की योजना बनाकर जिले से भेजते हैं लेकिन क्या अधिकार मिलता है? आज उत्तर प्रदेश में जो राज्य चला रहे हैं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें मनमाना परिवर्तन कर देते हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में अब न कोई नई सड़क बनेगी, न कोई प्राथमिक स्कूल खुलेगा और न कोई अस्पताल बनेगा, न इस तरह की अन्य कोई कार्यवाही होगी। अभी हमारे जिले में इनके कोई मंत्री हैं, पायलेट, वह आये थे और उन्होंने अपने मन से दौलतपुर में एक पुल का शिलान्यास कर दिया। बाद में जब मैंने पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर से पता लगाया तो मालूम हुआ कि इनके यहां न तो इसका कोई इस्टीमेट स्वीकार है, न कोई वित्तीय स्वीकृति है और न इसकी कोई प्रशासनिक स्वीकृति है। मान्यवर, जब एक बार विधान सभा में किसी निश्चित मद पर व्यय निर्धारित कर दिया गया, तो इस सरकार को यह हक नहीं है कि वह इन मदों को मनमाने तौर पर, केवल माला पहनने के लिए, गेट बनवाने के लिए अनापशनाप घोषणा करें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यह आर्थिक घपलेबाजी हो रही है, इस पर आप नियंत्रण लगायें और इसके लिए आप स्पष्ट निर्देश जारी करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अनुच्छेद 203, 204, 205 में वित्तीय प्राविधानों की व्यवस्था है और जब यहां से वित्त विवरण पास हो जाता है, तो इसकी स्वीकृति शासन को जारी करनी चाहिए थी लेकिन इस सरकार ने वित्तीय स्वीकृति न जारी करके उस पैसे को जिला सेक्टर में फ्रीज कर दिया, जैसा कि तिवारी जी ने भी कहा है। इसके अलावा यह इस पैसे को पी0 एल0 ए0 में जमा कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी औचित्य का प्रश्न उठाया था, जिसमें मैंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेदों का घोर उल्लंघन है और यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक का सहारा लेकर अब भी इसका घोर उल्लंघन कर रहे हैं। मान्यवर, इसका परिणाम यह होता है कि पी0 पी0 एल0 ए0 खाते में रुपया जमा कर दिया गया लेकिन जो प्रोजेक्ट इस वर्ष बननी थी, वह इस वर्ष न बनकर 3 वर्षों बाद उसका नम्बर आता है और जो काम इस वर्ष जिस लागत पर हो जाना चाहिए, वह न होकर 3 वर्ष बाद दोगुनी-तिगुनी लागत पर होता है, जिससे वित्तीय भार दोगुना-तीन गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जो पैसा यह पी0 एल0 ए0 में जमा करा देते हैं, कालान्तर में वह आकस्मिकता निधि में आ जाता है, जिसे यह अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं। इस पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए और वित्तीय स्वीकृति की सूचना जिलों को भेजी जानी चाहिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह इस तरह के आदेश किसके आदेश से निर्गत किये गये और कब जारी किये गये। यदि इस तरह के आदेश दिये गये हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी विधान सभा से स्वीकृति क्यों नहीं ली गयी तथा इसे हम लोगों की जानकारी में क्यों नहीं लाया गया, इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं बस दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जो डी0 आर0 डी0 ए0, आर0 एल0 जी0 पी0 योजनाओं में पैसे का आवंटन होता है, उसको इन्होंने जवाहर रोजगार योजना में भेज दिया। अब कोई एम0 एल0 ए0 अपनी तरफ से सड़क नहीं बनवा सकता। चुनाव लड़ेंगे हम और पैसे का आवंटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर। मान्यवर, इस सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पी0 डब्लू0 डी0 के एलाटमेंट में बहुत पक्षपात किया है। इसके संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 85-86 में आगरा को 843 लाख रुपये दिये गये, इलाहाबाद को 1225 लाख रुपये और सुल्तानपुर को 1256 लाख रुपये, गोरखपुर को 1460 लाख रुपये, बस्ती को 1703 लाख रुपये दिये गये। इसी प्रकार वर्ष 88-89 में आगरा को 840 लाख रुपये, इलाहाबाद को 1234 लाख रुपये, सुल्तानपुर को 1305 लाख रुपये, गोरखपुर को 1385 लाख रुपये और बस्ती को 1651 लाख रुपये दिये गये। वर्ष 87-88 में आगरा को 962 लाख रुपये, इलाहाबाद को 1403 लाख रुपये, सुल्तानपुर को 1525 लाख रुपये और गोरखपुर को 1570 लाख रुपये दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, अब समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, आप सुन तो लें। यही नहीं मान्यवर, मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेद-भाव हो रहा है। 1500 की आबादी वाले गांव तथा एक हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव को जोड़ने का प्रयास किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी से कम वाले गांवों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोड़ा है, जिसकी वजह से हमें कम धन मिला है और यह आगे भी कम हो जायेगा। एक हजार से कम आबादी वाले आगरा में जोड़े गये हैं 140, मथुरा में 64, सुल्तानपुर में 432, गोरखपुर में 149 बस्ती में 1506 और देवरिया में 19421 पिछले साल भी जिला योजनाओं व दूसरी योजनाओं में काफी पैसा आपने काटा है और इस साल आपने 40 परसेन्ट की और कटौती कर दी है। इस प्रकार आप कटौती करके हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। ग्राम सभायें लोकतंत्र की मूल इकाईयां हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जवाहर योजना के तहत ग्राम सभाओं को और पैसा दिया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, श्री राणा साहब, श्री गौरी भैइया व अन्य सम्मानित सदस्यों ने एक प्रश्न यहां पर उठाया मैंने इससे पहले भी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी से कल परामर्श भी किया था और साथ ही श्री तिवारी जी ने माननीय अध्यक्ष जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को भी पत्र लिखा था और उसकी एक प्रति मुझे भी उपलब्ध कराई गई है। माननीय सदस्यों ने दो बातें उठाई। एक तो यह कि जो स्कीम्स हैं, वह डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में मंजूर करने के बजाय कुछ विशिष्ट लोगों के यहां मंजूर कर दी गई है और उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन जगहों से उठाकर दूसरी जगह दे दिया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में जिस जिले को दिया गया है, उसे किसी दूसरी जगह पर नहीं लगाया गया है और न ही लगाने का इरादा है। जहां तक 40 परसेंट की बात कही गई है और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक हवाला दिया गया मैं यह कहना चाहता हूं कि उस जी0 ओ0 में भी हमारी कोई नीयत खराब नहीं थी। उसमें कुछ इस प्रकार की गलतफहमी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से हमने उसे 21 सितम्बर को वापस ले लिया है। उसमें यह था कि हमारा जो काम स्पिल ओवर हो जाता है, हम उसे मंजूर तो कर देते हैं परन्तु हम काम नहीं करा पाते हैं, जिससे बैक-लाग काफी हो जाता है, इसलिए उस पैसे को डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में उन्हीं कामों के लिए आरक्षित कर दिया जाय। यह नहीं था कि उस पैसे को वहां से हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाय, स्टेट सेक्टर में डाइवर्ट कर दिया जाय, ऐसी बात नहीं थी। आप तो जानते हैं कि 1980 में इसे लागू किया गया था। 1980 में योजना इसीलिए लागू की गयी थी कि जिले के जो विधायक हैं और अन्य लोग हैं, वहां के निर्माण कार्य में उनकी पूरी साझेदारी हो और उनकी राय पर काम हो, इसीलिए जिला योजना को लागू किया गया था। इन्होंने यह भी कहा कि जवाहर योजना को पैसा डाइवर्ट किया गया है, तो जितना एलाटमेंट डिस्ट्रिक्ट का है और जिन कार्यों के लिए है, उन कार्यों को कराया जा रहा है, उनका पैसा डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं चाहे कोई भी योजना हो या प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई को मजबूत करने की बात हो, उसे मजबूत किया जायगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की कास्ट पर नहीं किया जायगा।

राणा जी को इसका स्वागत करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन योजनाओं पर डिस्ट्रिक्ट सेक्टर पर जो पैसा स्वीकृत हो चुका है वह दिया जायगा। माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि पैसा पी0 एल0 ए0 में जमा हो जाता है, यह बात सही है लेकिन जिस समय उसकी जरूरत नहीं होती है, थोड़े समय के लिए कहीं रखना होता है, तब पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाता है। उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है। वेज और मीन्स को सैट करना होता है, उसके लिए जो आर्थिक नियम हैं, उनके अन्तर्गत उन्हें बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। तिवारी जी ने कहा कि राजाज्ञायें इशू नहीं हुई हैं जबकि आश्वासन दिया गया था। यह सही है कि राजाज्ञायें कुछ क्षेत्रों में नहीं इशू हुई हैं।

(व्यवधान)

कुछ राजाज्ञायें इशू नहीं हुई हैं जिनकी सूची कल ली है, किसी टैक्नीकल वजह से रह गयी हैं, उनको जल्द ही इशू करा देंगे। जो पक्षपात की और 17 करोड़ रु0 की योजना की घोषणा की बात कही गयी है, तो यदि मंत्री कोई घोषणा करता है, तो जो प्राविधान है उसी के अन्दर किसी योजना को ले सकते हैं, बाहर नहीं ले सकते हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जो शंका है और जो ख्यालात हैं, वे जब फैक्ट्स नहीं आये थे तब के थे। अब उनका समाधान हो गया होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जो सर्कुलर पी0 डब्लू0 डी0 का "कोट" किया गया है, क्या यह सही नहीं है कि सभी विभागों का फ्रीज किया गया है 21 सितम्बर को राजाज्ञा निकालकर? पी0 डब्लू0 डी0 का आर्डर तो खत्म किया और विभागों की क्या स्थिति है?

श्री अम्मार रिजवी–

इस साल की जो योजनायें हैं जो चल रही हैं और जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, वे सब करायी जायेंगी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के नियम 311 की सूचना के संदर्भ में शासन का दृष्टिकोण

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह वाले मामले पर भी दो शब्द कह दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

ठीक है, मान्यवर।

वह मामला महत्वपूर्ण है। जहां तक साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर सम्मानित सदस्य जो बैठे हैं, इस बात से सहमत होंगे कि साम्प्रदायिकता चाहे जैसी भी हो उसे "एनकरेज" नहीं किया जाना चाहिए और उसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस समय सबका कर्तव्य है कि बजाय इसके कि बहुत ही चीजें वाद-विवाद में लायें, हमारी ड्यूटी है कि भारत के नागरिक की हैसियत से एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे प्रदेश और देश में शान्ति हो। धर्म किसी को झगड़ा करना नहीं बताता है। बात कही गयी कि मा0 मुख्यमंत्री जी और बूटा सिंह जी से बात चल रही थी उसका क्या हुआ, यह एक मुद्दा उठाया गया। लेकिन मान्यवर, एक मुद्दा बनाया गया जबकि इस समय उसके लिए सारी बातें चल रही हैं, बैठकें हुई हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये थे, मैं समझता हूं कि इसके लिए इस सदन का हर व्यक्ति चिन्तित है। वहां बात हुई, मा0 गृह मंत्री जी यहां भी आये, बात चल रही है, इस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बात चल रही है धार्मिक नेताओं से परामर्श किये जा रहे हैं। अब क्या-क्या हुआ, यह सारी बातें कहने से रुकावट पैदा हो जायेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस समय ऐसा वातावरण बनायें कि सब लोग प्यार और मोहब्बत से रह सकें। इस मसले पर एक दूसरे पर दोषारोपण न करें बल्कि बहुत ही संयम से काम लें ताकि दूसरे लोग हमारा अनुकरण कर सकें और शान्ति बनाये रखें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत बातें कहीं ही हैं मजहब क्या टकराव डालते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी 4-5 रोज पहले फैजाबाद में और अभी कल बाराबंकी में जुलूस निकाले गये। माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित कर दें कि इस तरह से जुलूस निकालने वाले कौन लोग हैं और

वे कहां से आये हैं और कौन-कौन से नारे लगा रहे हैं जिससे कि लोगों के दिल दहक रहे हैं कि "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, मियां जाओ पाकिस्तान।" यह बातें जज्बातों को भड़काती हैं इसलिये आप इन चन्द बातों का भी पर्दाफाश करें।

श्री अम्मार रिजवी–

साम्प्रदायिकता चाहे जिस रूप में आये, चाहे जिस जगह से आये, सबको उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार भी इसको नियंत्रण करने में प्रयत्नशील है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जब तक हम सब लोग प्रयास नहीं करेंगे, खाली सरकार के अंकुश लगाने से यह बात नहीं होगी। हम लोग भी जो बात करें, बहुत ही सोच समझ कर करें जिससे कि दूसरों के जजबात को ठेस न पहुंचे।

श्री मनोहर लाल द्वारा पार्टी के भारत बन्द व जेल भरो अभियान के दौरान तथा कुछ सभासदों पर विभिन्न आरोप लगाकर मुकदमा चलाये जाने तथा कानपुर नगर महापालिका की बैठक में गृहमंत्री की मौजूदगी में हथकड़ी पहना कर सभासदों को लाये जाने के मामले में दी गई सूचना पर कार्यवाही की मांग

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल मैंने धरने का नोटिस दिया था। इससे पहले 30 तारीख को भारत बन्द था उसी के सिलसिले में 11 से 16 सितम्बर तक उत्तर प्रदेश में जनता दल का जेल भरो आन्दोलन था। कानपुर, उन्नाव और गोरखपुर के अन्दर जनता दल के पांच सभासदों को अनेक धाराओं के अन्तर्गत पकड़ा गया, गोरखपुर में 14 लोग जेल में हैं, दो लोग कानपुर में जेल में बन्द हैं। माननीया सुशीला रोहतगी जो कि गृह मंत्री हैं, ने सभासदों को क्रिमिनल अमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत हथकड़ियां लगवायीं। इस तरह से 323 लोगों पर डकैती का आरोप लगा करके पकड़ा गया है। कल तीन सभासद कानपुर में और बारह लोगों को धारा 147, 148 तथा 335 के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया। यह सारे प्रदेश में विपक्ष के लोगों को कुचलने का काम यह सरकार कर रही है। हमारे लोगों पर डकैती का आरोप लगा करके पकड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसकी आप सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करवा लें या फिर इस सदन की एक कमेटी बना दें जो जाकर सारे मामले को देखें और सभासदों के साथ न्याय हो सके क्योंकि सभासदों को कानपुर नगरमहापालिका में हथकड़ियां पहना कर लाया गया है।

*गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

(शोर के दौरान) मान्यवर, माननीय सदस्य, कानपुर ने जो बात कही वह एक अलग घटना है और भारतवर्ष बन्द की घटना जो है, वह दूसरी है, फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने अपनी घटना के बारे सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश की बात कही है, तो उसके लिए तो मैंने आदेश दे दिए हैं और दूसरी बात (शोर) अगर माननीय सदस्यगण शान्ति से सुनना चाहें तो मैं दूसरी बात भी कहूं वरना . . . माननीय सदस्य, कानपुर यदि चाहते हैं कि उन पर जो मुकदमा कायम हुआ है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको मैं वापस ले लूं, तो इसकी भी मैं जांच पहले करा लूं कि वास्तविकता क्या है, मुकदमा लगा भी है या नहीं, इस आशय की जांच मैं करा रही हूं और फिर इस पर जो उचित कार्यवाही होगी, वह करूंगी । (श्री नेक चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, कानपुर के बार-बार खड़े होने पर) . . . (घोर व्यवधान) . . . ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा0 मनोहर लाल जी वाले मामले में जिन बातों का उल्लेख मा0 गृह मंत्री जी ने किया है, उसी के संबंध में एक बिन्दु की ओर ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा कि "एक सभासद को कारपोरेशन की हो रही बैठक के बीचों-बीच हथकड़ी लगाकर लाया गया, और वह सभासद उस बैठक में उसी रूप में बैठे और इस बैठक में स्वयं मा0 गृह मंत्री जी भी उपस्थित थीं, परन्तु इस बारे में इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला कि एक सभासद को कारपोरेशन की हो रही बैठक में क्या हैण्ड कब (हथकड़ी लगा) करके लाया जाना उचित है और इस आशय के आदेश किस अधिकारी ने दिए और उस अधिकारी के प्रति अब तक क्या कार्यवाही हुई, यह सारी बातें मा0 मंत्री जी कृपा पूर्वक बता दें ।

(घोर व्यवधान)

(श्री नेकचन्द्र पाण्डेय, सदस्य, कानपुर के बार-बार खड़े होने व कुछ कहने पर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरी भी एक व्यवस्था है, वह यह कि मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक बात मा0 मनोहर लाल जी के बारे में कही कि हथकड़ी लगाकर एक सभासद को भरी बैठक में लाया गया यह काम उचित था या नहीं, तो इसका जवाब जब माननीय मंत्री जी स्वयं बैठी हैं, वह स्वंय देंगी, लेकिन बीच-बीच में यह जो शासन के नव जवान सदस्य हैं, जो अभी लड़के हैं, यह जवाब देंगे या मा0 मंत्री जी देंगी तो ऐसे लड़कों की शिक्षा व सीख का कोई इंतजाम है या नहीं है ताकि हाउस हमेशा व्यवस्थित ढंग से चल सके. . (व्यवधान)

तो मान्यवर, इन्हें समझायें, पढ़ायें लिखायें । अम्मार साहब इनके लिए स्कूल खुलवा दें । यहां पर हड़बों मचा देते हैं ।

श्री नेक चन्द पान्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या व्यवस्था के प्रश्न पर भी व्यवस्था उठाई जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे तो नहीं मालूम कि किस बात पर व्यवस्था उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक बात कही कि सभासदों को मीटिंग में हथकड़ी लगाकर लाया गया, तो मैं इस विषय को बहुत ही गम्भीर समझ रहा हूं । इसकी गम्भीरता इसलिए और बढ़ जाती है कि माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में उनको हैंडकफ लाया गया । माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहती हैं । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि उन दो सभासदों को हैंडकफ लाया गया, यदि लाया गया तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं यह मानती हूं कि यह मामला गम्भीर है । जो प्रश्न आज उठाया जा रहा है, उस पर मैंने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं । मैं जनतंत्र में विश्वास करती हूं कि 1959 में मैंने कारपोरेशन का चुनाव लड़ा था । मैं बुनियादी तौर पर इसको ले रही हूं । वह सभासद हथकड़ी पहने सभा में आये और 2-3 पुलिस वाले उनके साथ आये। जब मेयर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया, तो मैं चली आयी मैं वहां से चुराकर नहीं आयी । मैंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं । मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो जो इसमें दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मनोहर लाल–

अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यह वहां से भाग कर आयी हैं । नेक चन्द्र पान्डेय जो एम0 एल0 ए0 हैं, इन्होंने स्कूटर चोरी की थी उसकी रिपोर्ट भी है, उस पर क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब इसको समाप्त करें । आगे बढ़ते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन दो सभासदों को हथकड़ी पहनाये हुए लाया गया और उनको तकलीफ भी हुई । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब उनको हथकड़ी पहनाये लाया गया और उन्होंने इस चीज को स्वयं देखा है, तो जांच किस बात की करायेगी ? जिन अधिकारियों ने हथकड़ी लगायी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । उन्होंने इसको स्वयं स्वीकार किया है । यह चुने हुए लोगों का अपमान है । इसलिए इसकी क्या जांच करायेंगे ? सीधे-सीधे कार्यवाही करने का आश्वासन उन्हें देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आगे कार्यवाही चलने दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि एक सम्मानित सदस्य को वहां पर सदन में हथकड़ी लगाकर लाया गया और उस पर माननीय मंत्री जी ने जांच करने के आदेश दिये थे । (व्यवधान) एक माह का समय होने जा रहा है । क्या कार्यवाही की गई है ? हथकड़ी लगी हुई दशा में ही माननीय सदस्य को सदन में बिठाया गया। माननीय मंत्री जी ने स्वयं देखा । जब उस पर उन्होंने जांच के आदेश दिये, एक माह हो गया तो उस जांच का क्या परिणाम निकला, क्या आख्या आयी है, वह बतायें ? यदि नहीं आई है तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ? क्यों इस पर देरी की जा रही है, माननीय मंत्री जी का विभाग इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने हथकड़ी लगी हुई देखी और वे इसकी जांच करवा रही हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच वे अपनी आंख की करवा रही हैं या अपनी जांच की प्रक्रिया की करवा रही हैं ।.....

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार यह गेंग्स्टर एक्ट के तहत 6 माह तक बन्द रहे । उसी के अन्तर्गत उन्हें हथकड़ी लगाई गई और उसी दशा में वे सदन में आये । जब वे सदन में आये तो वहां पर व्यवधान करने लगे । फिर भी मैंने कहा कि इसकी जांच करा दी जाय और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

5 बजे हैं, आगे कार्यवाही कैसे चलेगी ?

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोहतगी जी के पति ने एक हत्या कर दी थी तो सुशीला जी ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा स्व0 चौधरी चरण सिंह पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाने सम्बन्धी सिंचाई मंत्री के 'आज' नामक समाचार पत्र में छपे बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है । कल यहां पर वर्ष 1989-90 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गई थीं । जिसके पृष्ठ 10 पर मेरठ में स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगाने की मांग भी की गई है और उस पर यहां चर्चा होनी है । सरकार की तरफ से यह अनुदान की मांग अनुपूरक में उसके लिये रखी है । प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने कल के 'आज' के अखबार में एक विशेष भेंट में बताया कि राजनैतिक अपराधीकरण की शुरूआत स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने की है । मान्यवर, अगर कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप में कोई बयान देता है तो मंत्रि-परिषद् की यह सामूहिक जिम्मेदारी है और जो सरकार सदन के अन्दर जिस विषय पर चर्चा कर रही है और जिस व्यक्ति के लिये, जिस महापुरुष के लिये, किसानों के मसीहा, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह की मेरठ में मूर्ति लगाने के लिये पैसा देती है, धन का प्राविधान कर रही है और दूसरी तरफ इस सरकार के और उसकी मंत्रि-परिषद् के एक वरिष्ठ मंत्री इस तरह का बयान दें कि स्व0 चौधरी चरण सिंह ने राजनीति में अपराधीकरण की शुरूआत की । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निंदनीय और बेशर्मी का बयान कोई हो नहीं सकता है । मैं सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को चुनौती देना चाहता हूं सरकार या तो साबित करे, नहीं तो सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार कर इस्तीफा दे देना चाहिये । स्व0 चरण सिंह जैसे व्यक्ति जिस पर जीवन में कोई दाग नहीं लगा उनके प्रति इस तरह की बात कहना और इलजाम लगाना मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व है और उसका यह निर्वहन करें । क्यों इस तरह का बयान दिया है ? (व्यवधान) उन्होंने सदन की गरिमा का हनन किया है । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाय वह कम है । सरकार की तरफ से या तो इस बात का सबूत दिया जाय वर्ना जो बात एक वरिष्ठ मंत्री ने कही है उसकी सामूहिक रूप से निर्वहन करें और उस बात को वापस लें ।

यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि स्व0 चौ0 चरण सिंह राजनीतिक अपराधीकरण के जनक थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह उसे संरक्षण दे रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस गैर जिम्मेदाराना और गैर जनतांत्रिक बयान को जो बेबुनियाद और असत्य है उसको वापस लेना चाहिये । हालांकि मुझे मालूम है सिंचाई मंत्री अपनी पत्नी के निधन से मानसिक रूप से परेशान होंगे । मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनकी भावना को चोट लग सकती है लेकिन स्व0 चौ0 चरण सिंह को इस देश में मानने वाले करोड़ों लोग हैं, इस प्रदेश में करोड़ों लोग हैं जिसका उन्होंने उलंघन किया है जिसके लिये सरकार को माफी मांगना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, औचित्य का जो प्रश्न माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है इसमें मेरा भी नाम लिखा है । मैं वह बात कहना चाहता हूं जो इन्होंने नहीं कही है । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री ने यह कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने किया और उसको संरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह दे रहे हैं । यह घोषणा इन्होंने अखबारों के माध्यम से की । यह भी कहा कि अपराधियों को राजनीति से दूर करने की मुहिम वे शीघ्र चलायेंगे । तो उसके लिये मैं उनके सामने चुनौती रखना चाहता हूं गत 10 जुलाई को फिरोजाबाद में इस मंत्रि-मंडल के एक माननीय मंत्री गये, सच क्या है कि वह एक अखबार का विमोचन करने के लिये फिरोजाबाद गये थे जब वह जहाज से उतरे तब से एक ऐसा अपराधी उनके साथ रहा जिस पर 48 मुकदमे 302 और 307 के हैं । जब वह अखबार का विमोचन करने के लिये गये उसमें कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित नहीं हुये क्योंकि वह उस अपराधी का मुंह नहीं देखना चाहते थे और मंत्री का भी मुंह नहीं देखना चाहते थे । (व्यवधान)

*श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, यह क्या है ? (अखबार दिखाते हुये) इस प्रदेश के मुख्य मंत्री फैजाबाद में अकबरपुर गये थे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा कर बैठें, उनको बोलने दें आपके ही दल के हैं (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

यह अखबार में अपराधियों के साथ उनकी फोटो है जो अपराधियों के सरगना हैं उनके साथ उनका फोटो है (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

आप निर्देशित करें इस तरह से फोटो दिखाना ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे कैसे काम चलेगा। श्री बदन सिंह को बोलने नहीं दिया जायेगा।

(श्री शारदा नंद अंचल खड़े होकर फोटो दिखाते रहे और व्यवधान करते रहे)

*श्री हरेन्द्र सिंह–

(व्यवधान के मध्य) [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

(व्यवधान के मध्य) [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं। व्यवधान न करें। श्री बदन सिंह को बोलने दें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि सच क्या है? अखबार के विमोचन में न तो कोई विपक्षी नेता शामिल हुआ और न कांग्रेसजन ही शामिल हुए क्योंकि सूचना राज्य मंत्री जी ऐसे अपराधी को लेकर वहां गये थे। श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव, सूचना मंत्री ने कार्यक्रम के बाद उस अपराधी को गाड़ी में बैठाने के लिए स्वयं दरवाजा खोला, उस अपराधी को गाड़ी में पहले बिठाया जिसको पुलिस पकड़ना चाहती थी। स्वयं बाद में बैठे। जब गाड़ी से यह लोग हवाई अड्डे पर गये और उस अपराधी को हवाई जहाज में बैठाकर लाये। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अपराधीकरण इन लोगों ने शुरू किया है जो आज मंत्रि मंडल में बैठे हैं और यह लोग तो स्व0 चौधरी चरण सिंह के पैर की धूल भी नहीं हैं और वह लोग आज झूठा आरोप लगा रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी मुहिम चलाना चाहते हैं तो

समय 1.15 बजे

नरेश चन्द्र श्रीवास्तव को अपने मंत्रि मंडल से और गोपी नाथ दीक्षित को अपने मंत्रि मंडल से निकालें। चौधरी साहब के प्रति जो भावना आज संसार के लोगों की है वह भावना सदैव चौधरी चरण सिंह के नाम के साथ जीवित रहेगी, वह अमर रहेगी। इस प्रकार के दोष लगाने वालों में से कोई भी जीतकर यहां नहीं आ सकेगा। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और इस सरकार से मांग करता हूं कि इस [xxx] को अपने मंत्रिमंडल से निकाल दें। और स्व0 चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है उसको वह वापस करायें तथा क्षमा याचना करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया जाय।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे दु:ख इस बात का है कि हिन्दुस्तान की एक परम्परा रही है, यह एक बड़ी भारी परम्परा रही है कि कम से कम दिवंगत व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है और मान्यवर, हमारे यहां कहावत यह भी है कि मरने के बाद उसके केवल गुण देखे जाते हैं, अवगुण नहीं — जीवन में चाहे कुछ किया हो, इस सबको आज खुले रूप में हनन किया गया है। मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि [xxx] उस जैसा व्यक्ति स्व0 चौधरी चरण सिंह की निर्मल छवि को कालिख से पोतना चाहता है। जिन चौधरी साहब के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में आज तक कभी किसी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा था उसके लिए उन्होंने ऐसी गलत बात कही है। जब उनकी मृत्यु हुई थी, बहुत से पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने यह कहा था कि मैं पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं वह चौधरी साहब के घर को निहार कर देख लें, उनके घर में 4 हजार से ज्यादा की सम्पत्ति नहीं है। तो ऐसा सादा और त्याग का उनका जीवन था। चौधरी साहब जब हम लोगों को बैठाते थे तो कहा करते थे कि बच्चा हम लोग चाहते हैं कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं सड़क पर निकल जाएं तो लोग कहें कि यह लोकदल के कार्यकर्ता हैं यह स्व0 चौधरी चरण सिंह की पार्टी के कार्यकर्ता हैं ऐसा त्यागमय और आदर्श का जीवन आप लोग बितायें। वह कहा करते थे कि हमारे कार्यकर्ता बुरी बात को न सुनेंगे न करेंगे। इसका गौरव आप लोगों में से भी बहुत लोगों को प्राप्त है, जो आप लोगों ने वर्षों वर्ष स्व0 चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर शिक्षा ली है। यह हमारे सामने बैठे हुए हुकुम सिंह भी उनकी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की है। सईदुज्जमा और इनके पिता जी सहित एक नहीं असंख्य लोग ऐसे हैं, जिन्होंने स्व0 चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर राजनीति की शिक्षा ली है। उस महान व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कही जा सकती है।

मान्यवर, हमारे त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? कहा है कि मुजफ्फरनगर में बूथ कैप्चरिंग किया है। किन्तु मुजफ्फरनगर ही उनके जीवन का ऐसा क्षेत्र था जहां से एक बार चुनाव हारे थे। यदि बूथ कैप्चरिंग किये होते तो उनके चुनाव हारने की नौबत कैसे आ जाती? सन् 62 के चुनाव के बाद चौधरी साहब ने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार तक नहीं किया और अनेकों बार जीतकर आए। तो मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि लोकपति त्रिपाठी ने स्व0 चौधरी चरण सिंह के नाम को उछालकर अपने कलंक को छुपाने का प्रयास किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए कभी उनको और उनके ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। लोकपति त्रिपाठी जी को यहां बुलवाया जाए और यहां खड़े होकर वह क्षमा मांगें। हिन्दुस्तान के करोड़ों किसान इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं, यह विधान सभा चले या न चले।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे कई माननीय सदस्यों ने वेदना भरे शब्दों में अभी अपने विचार व्यक्त किये। हमारे देश की महान आत्मा स्व0 चौधरी चरण सिंह के प्रति जो अपशब्द

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय लोकपति त्रिपाठी ने व्यक्त किये हैं, उससे हमें हार्दिक तकलीफ हुई है। साथ ही उनके प्रति आस्था रखने वाले, उनके लिए प्राण न्योछावर करने वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों को बहुत भारी क्लेश पहुंचा है, जिसका इजहार शब्दों में यहां करना बड़ा मुश्किल है। मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं लोकपति त्रिपाठी के पिताश्री ने कहा है कि कांग्रेस में अपराधीकरण हो रहा है मैं इसके खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। इनके पिताश्री का यह कहना है। आप देखें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह फैजाबाद में पोस्टर छपा है, इसमें इन अपराधियों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की फोटो कैसे आ गई ? इन अपराधियों पर चालीस-पचास अपराधों के मुकदमें चल रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्री नरेश चन्द्र जी (व्यवधान) फिरोजाबाद में यह पधारे, अखबार का उद्घाटन किया। गृह मंत्री पत्रावली मंगा लें वहां के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने लिखा है कि वे थे अपराधी लोग हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ दो माफिया अपराधियों की फोटो कैसे आ गई ? इनके नरेश चन्द्र जी के दोनों पी0 ए0 और शंडो ने हवाई जहाज से यात्रा नहीं करी। परेशानी तो यह है कि अपराधियों को संरक्षण देने, अपराधियों को रखने का काम मंत्रिमंडल के सदस्य कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय नरेश चन्द्र जी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के लोगों की एक कमेटी बना दी जाए जो फिरोजाबाद में सार्वजनिक रूप से पूछे कि वह अपराधी इनके साथ आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रि परिषद् के जितने माननीय सदस्य हैं और इनके दल के जितने सदस्य हैं उनकी जांच करा ली जाए और हमारे दल के माननीय सदस्यों की जांच करा ली जाए जो अपराधी हों उसका [xxx] सदन से निकाला जाए। [xxx]

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मूर्ति का अनावरण किया गया. . . (घोर व्यवधान)
माननीय त्रिपाठी जी सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना नहीं करेंगे (घोर व्यवधान) हम उनका घेराव करेंगे वह सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें वरना हम उन्हें सदन में बैठने नहीं देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

मैं दो बातें कहूंगा माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने बहुत हल्की बात कही है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं सन्देह नहीं है स्व0 चौधरी सिंह जी हमारी राजनीतिक सम्मानित महान विभूतियों में से एक हैं इनके खिलाफ आरोप लगाये राजनीतिक अपराधीकरण के, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि अपराधीकरण के लिए यह सरकार जिम्मेदार है इसमें पहली पंक्ति में बैठे लोग हैं। अभी

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को खड़ा कर रहे थे यह जवाब देंगे, तो इनसे जवाब न लें। माननीय लकपति त्रिपाठी यहां लखनऊ में हैं उनको यहां बुलायें, उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त की जाए उन्होंने यह बात यहां क्यों कही ? उन्हें इस आदरणीय सदन में क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने श्री चरण सिंह जी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर एक ऐसा घृणित, निंदनीय कार्य किया है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाय कम है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने जो बयान जारी किया है उसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाय, जितनी भर्त्सना की जाय कम है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने हिन्दुस्तान की संसदीय परम्पराओं की अवमानना की है, अपनी संस्कृति की अवमानना की है। उनके बयान से स्व0 चौधरी चरण सिंह के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। उनके अनुयायी आज उधर बैठे हुए हैं। मान्यवर, उधर बैठे हुए माननीय हुकुम सिंह जी, श्री रघुवीर सिंह यादव जी, श्री सईदुज्जमा के पिताजी को क्या आप अपराधी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ? अगर यह बात आप स्वीकार करने को तैयार हैं तो स्वर्गीय धर्मसिंह जी जो इस सदन के अध्यक्ष रहे वह भी अपराधी थे। आज केन्द्र में बैठे हुए श्री श्रीपति मिश्र, श्री श्यामलाल यादव, श्री ब्रह्मदत्त जी को भी आप अपराधी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो श्री लोकपति त्रिपाठी के बयान की सत्यता पर हमें सोचना पड़ेगा।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में कोई व्यक्ति था तो वह स्व0 चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने चुनाव की जन सभाओं में कहा था कि मैंने अपने व्यक्ति को सच्चा समझ कर चुनाव में खड़ा किया है अगर जनता की नजर में वह व्यक्ति गलत है तो जनता उसे हरा दे। क्या ऐसी बात आज कहने की आपकी हिम्मत है ? क्या आज वर्तमान प्रधान मंत्री जी यह बात कहने की हिम्मत कर सकते हैं ? मान्यवर, यह ऐसा सेंसिटिव प्रश्न है जिस पर बहस होनी चाहिए बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। आप उनको बुलाकर उनसे क्षमायाचना करवायें।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने तथा उनके खड़े होने पर।)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी आज सुबह. . . .

(श्री हरदेव द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो यह बोल रहे हैं यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह समाचार पत्र में जब इस शीर्षक को पढ़ा कि राजनीति में अपराधीकरण की शुरूआत स्व0 चौधरी चरण सिंह ने की तो मैं दंग रह गया और विशेषकर इसलिए कि यह कमेन्ट किया है उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य लोकपति त्रिपाठी ने, अगर मान्यवर, यह किसी नेतृत्वविहीन नये मंत्री ने नेतृत्वहीनता

के आधार पर कह दिया होता तो किसी हद तक क्षम्य था लेकिन अफसोस है कि लोकपति त्रिपाठी जो लगभग 60 साल से ऊपर हो गये हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष के ऊपर जो भारत की परम्परा रही है जैसा कि अभी राणा जी ने कहा, यह सही है कि भारत की परम्परा रही है । आज भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी के ऊपर अनेकों आरोप लगते हैं आज हमारे अध्यक्ष के ऊपर अनेकों आरोप लगते हैं वह अलग बात है लेकिन अगर श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर उनकी शान के खिलाफ कोई बात करता है तो वह हमारे लिए अशोभनीय है ।

मान्यवर, स्व0 चौधरी चरण सिंह वह इंसान रहे हैं जिनके बहुत बड़े प्रशंसक भी रहे और आलोचक भी रहे । आलोचकों ने यह भी कहा कि चौधरी साहब अक्खड़ थे, जिद्दी थे, देहाती थे लेकिन आज तक चौधरी साहब की सादगी और अच्छाई के ऊपर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है । लोकपति त्रिपाठी तो चौधरी साहब के [xxx] तक पहुंचने वालों में नहीं हैं ये मंत्रिमण्डल के सदस्य हो सकते हैं लेकिन अगर देखा जाय तो यह उत्तर प्रदेश में बनारस तक के नेता नहीं हैं, इन्हें [xxx] आनी चाहिए । इनके बाप पंडित कमलापति त्रिपाठी चौधरी साहब के मंत्रिमण्डल के शुरू में जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे तो मंत्री थे और आज यह छोटे मुंह बड़ी बात कहकर, जो खुद अपराधियों में बैठे हैं उसने भाषण में यह बात कह दी कि किसी पोलिंग स्टेशन की बूथ कैप्चरिंग कराई । मान्यवर, अगर इसकी गहराई को देखा जाय तो इसमें बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस के शासन काल में बढ़ी या चौधरी साहब के काल में बढ़ी तो आप पायेंगे कि कांग्रेस के शासन काल में ही बूथ कैप्चरिंग बढ़ी है । मान्यवर, इनके अखबार में भाषण से आज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को कलेश पहुंचा है । आज चौधरी साहब के लिए [xxx] कोई गलत बात कहे हम इसलिए नहीं सदन में बैठे हैं. मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने लोकपति त्रिपाठी, जो सरकार के अंग हैं, मान्यवर, अगर उनके इस कुकृत्य के लिए सरकार ने मांफी सदन के अन्दर नहीं मांगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकपति त्रिपाठी जब भी सदन के अन्दर आवेंगे तो उनका घिराव किए बिना हम नहीं मानेंगे चाहे सदन चले या न चले । मान्यवर, जो उन्होंने विवेकहीनता का परिचय दिया है, जो गलत बयानी की है उसके लिए यह सरकार क्षमा याचना करे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है और इस बात का अफसोस है और मैं समझता हूं कि आज इस वर्तमान राजनीति में महात्मा गांधी के बाद एक ऐसे महान नेता चौधरी साहब थे जिनके बारे में उनके दुश्मन भी उनकी ईमानदारी और व्यक्तित्व पर उंगली नहीं उठा सके (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

चौधरी चरण सिंह इस युग के राजऋषि थे । उनका राजनीतिक जीवन निष्कलंक रहा । ऐसा उनके विरोधियों ने माना है । उन पर जो इस प्रकार के आरोप लगाए गये मैं उसकी निंदा करता हूं । (घोर व्यवधान) . . . इस प्रकार का बयान देने वालों लोगों को सदन में क्षमा मांगनी चाहिए ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, चौधरी साहब इसी कुर्सी पर विपक्ष में बैठे थे. . . (घोर व्यवधान) मुझे कह लेने दीजिए । नहीं कहने देंगे तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं । मैं भी श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कह सकता हूं. . . (घोर व्यवधान) . .

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाएं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(घोर व्यवधान के मध्य) [xxx] मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं तो [xxx] ये अगर लफंगई करना चाहते हैं तो मैं नहीं सुनूंगा । [xxx] (घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

यह उत्तर प्रदेश का [xxx] है. . . (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाएं ।

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 5 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

5 बजकर 52 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

6 बजकर 30 मिनट डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7 बजे तक के लिए पुनः बढ़ा दिया है ।

7 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन पुनः 7 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

7 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन के पुनः आरम्भ होने पर)

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों में अपनी अंतर्व्यथा और आंतरिक वेदना को, एक संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति होने के नाते, किन शब्दों में व्यक्त करूं ? दुर्भाग्यवश मैं सदन की सेवा से जब अनुपस्थित रहा, इस बीच मुझे सूचना मिली कि यहां पर अत्यन्त दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जिससे पारस्परिक कटुता ने एक असंसदीय रूप इस प्रकार से ले लिया कि जो इस सदन के इतिहास में इस प्रकार पारस्परिक आदर-सम्मान, जो संसदीय प्रक्रिया का सबसे बड़ा गुण है सहिष्णुता, एक दूसरे की बात को आदर से सुनना, सदन की एक जो आचार

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संहिता रही है, संस्कार रहा है, उसमें कमी आयी । प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दूं कि माननीय नेता, जनता दल श्री मुलायम सिंह जी, मैं नाम कम लेता हूं, लेकिन इस समय विरोधी दल के नेताओं के लिए और सभी माननीय सदस्यों के लिए, हम सबके दिल में एक राजनीतिक आदर है बल्कि वैयक्तिक स्नेह भी है । घर में भी कड़ुवाहट हो जाती है । भाइयों नें भी कभी-कभी मधुर उलाहने होते हैं । इस सदन के उलाहने संसदीय शब्दावली के अंतर्गत होते हैं । चाहे हमारा स्वभाव कैसा ही हो, लेकिन यहां उसे मर्यादित करते हैं । अगर प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को पुष्ट करना है तो सबसे मिलकर इस ओर ध्यान देना है । मैं यहां पर किसी भी मायने में एक वरिष्ठ होने के नाते उपदेशात्मक भावना से यह नहीं कह रहा हूं, केवल अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा हूं ।

विधान सभा सत्र के अन्तिम अधिवेशनों में से यह एक है और मेरा एक विनम्रता-पूर्वक आग्रह है प्रत्येक सदस्य से कि जब यहां से जायेंगे, वैसे मेरा प्रयास होगा कि सत्र और बैठे लेकिन बहुत सी बातें स्वयं अपने हाथ में भी नहीं होती, एक मधुर भाव और स्मृति लेकर जायें कि पांच साल जो व्यतीत किए उसमें वाद-विवाद में तर्क-प्रतर्क में भी वैयक्तिक संबंध अच्छे रहे । मुझे विश्वास है कि जो कुछ आज सदन में हुआ उसका पटाक्षेप हो जायेगा । स्वनाम धन्य स्व0 चौधरी चरण सिंह जी के लिए हमारे दिल मे कितना आदर है, हम सभी जानते हैं । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, आदर और श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित होता है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सम्मानित स्व0 चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में जिस मूर्ति का उल्लेख प्रस्ताव में हुआ है, वह ठीक है और सर्वसम्मति से मंत्रिपरिषद् ने, जिसमें सिंचाई मंत्री जी भी सम्मिलित थें, अपना सौभाग्य समझा कि दिवंगत आत्मा की उसमें मूर्ति निर्माण करें। मैं जानता हूं सिंचाई मंत्री जी को, जिस परिवार से वह आते हैं, उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि वैयक्तिक रूप से चौधरी साहब के लिए किसी प्रकार से असम्मान हो।

जीवन में ऐसा होता है, राजनैतिक जीवन में हमें कभी-कभी ऐतिहासिक रूप से कोट करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, पुराने उध्द्रण देने पड़ते हैं, इतिहास का संदर्भ देना पड़ता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं । ऐसा सन्दर्भ अगर कोई आ गया है तो यह सन्दर्भ दुखद है । अनुपूरक बजट विचाराधीन है उसमें स्व0 चौधरी चरण सिंह के सम्मान में उनकी प्रतिमा को स्थापित करना इस सरकार का स्वयं इस बात का साक्ष्य है कि हम उनका कितना सम्मान करते हैं । ऐसा भी हम देखते हैं कि श्रद्धेय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा जी के लिये कितना सम्मान देश में है और विरोधी पक्ष के नेताओं ने उनको सम्मान दिया है क्योंकि मैंने उनके द्वारा उनको दी गयी श्रद्धांजलियां पढ़ी हैं जो कि उन्होंने उनके प्रति अर्पित की है । क्रोध में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक दूसरे को कुछ कह जाते हैं।

"क्रोधात् भवति सम्मोहा:, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम:"

क्रोध को हमें किसी प्रकार से शमन करना होता है । मैं यह आग्रह करूंगा कि यह प्रकरण समाप्त किया जाय और जो कुछ हुआ मैं उसके लिये अत्यन्त खेद व्यक्त करता हूं और उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं । संसदीय पद्धति में सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक दूसरे के क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं । इसमें हमें अपने स्वयं को नमन करना पड़ता

है । आपने जो आदर सम्मान दिया है कटुता को क्षमा करके, क्रोध को शमन करके, एक दूसरे के प्रति कटुता को क्षमा करके, मैं स्वयं क्षमा मांग रहा हूं, यद्यपि मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सामूहिक रूप से जिम्मेदारी हमारी भी है सदन के प्रति । आज जो यहां पर दुखद प्रकरण हुआ है, यह फिर कभी नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह प्रकरण जहां दुखद था वहीं सुखद भी होगा श्रीमन्, ऐसा करके । मैं प्रार्थना करूंगा कि अब आप इस प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करें ।

*श्री नंक चन्द्र पाण्डेय–

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तार से आग्रह किया है सम्पूर्ण सदन से, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए माननीय मुलायम सिंह जी जो वरिष्ठ सदस्य हैं इस मा0 सदन के, जो कुछ हुआ वह सब बातें पूरे सदन के संज्ञान में हैं । कुछ आवेश में उस तरफ के माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं जिससे कि मैं भी अपने आवेश को नहीं रोक सका । फिर भी माननीय मुलायम सिंह जी को मेरे द्वारा कहीं गयी बात से जो ठेस लगी है तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं अर पुनः आग्रह करता हूं कि हमारी राजनैतिक माता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी इस देश की महान नेता रही हैं, हम सब लोगों को उनका समान रूप से आदर और सम्मान करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने अपनी जो भावनायें व्यक्त की हैं और माननीय नेता सदन ने अपने व्यवहार से, उनका जो व्यवहार है और संसदीय परम्पराओं से मर्यादित होकर उन्होंने जो उदाहरण देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उसका पालन करे, इसमें दो राय नहीं है । जहां तक हमारा सवाल है पूरा सदन जानता है कि एक बार नहीं, अनेक बार मैं सदन में रहा हूं पूरा सदन जानता है कि मैं किसी भी नेता व महान नेता के बारे में कुछ नहीं कहता, हालांकि कह सकता हूं और जिन लोगों का निधन हो जाता है, उनके बारे में तो वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए और जहां तक स्व0 चौधरी चरण सिंह जी का सवाल है, आप सभी लग जानते हैं कि मैं उनके कितना अधिक निकट था और कितना विश्वासपात्र था । उनके बारे में जो बातें अखबार में निकलीं, उन्हें देखकर फिर भी गुस्सा नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ और इस पर अभी मा0 नेता सदन ने जो अहसास सारे सदन को दिलाया और क्षमा याचना इत्यादि की, जो उन्हें न करके दूसरों को करनी चाहिए थी, मुझे शर्म आती है कि उनको आज माफी मांगनी पड़ी । यह हमारे इस सदन के सभी लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम माफी मांगने का अवसर न दें ।

और जहां तक स्व0 चौधरी चरण सिंह के बारे में अखबार में कहा गया, मैं मानता हूं कि मा0 सिंचाई मंत्री भी बड़े राजनीतिक परिवार से आए हैं और उनके पिता जी को भी देश के सारे लोग ही जानते हैं । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर उनकी आज तक सेवाएं और उनके द्वारा इसी सदन में दिए गये भाषणों को भी मैंने सुना है, कभी भी उनके परिवार से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था, फिर भी अखबार में जो सिंचाई मंत्री जी द्वारा उस दिवंगत आत्मा के प्रति निकला उससे मैं काफी दुखित था और उनके बारे में यह कहना कि इस महान नेता से आगे आने वाली पीढ़ी क्या प्रेरणा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेगी, उचित नहीं था । ईमानदारी से यदि देखा जाए तो पूरे हिन्दुस्तान की राजनीति में उन्हें महान नेता कहने का दुस्साहस तो नहीं करता न किसी अन्य से बराबरी करता, लेकिन उनके आगे होने में उनका जो आचरण था, वह किसी से कम नहीं था । स्व0 चौधरी साहब ने स्वयं शिष्टचार पर एक किताब लिखी है, जिसे लेने के लिए ऐसे-ऐसे लोग आए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और लेकर उससे पूरा फायदा उठाया ।

इस प्रकार से उनका जो इतिहास रहा है, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता । मा0 सिंचाई मंत्री जी व उनका परिवार स्वयं उनके निकट रहा है, तो इनके द्वारा अखबार में ऐसी बात कहना, मैं समझता हूं कि इन्हें भी कुछ कहना चाहिए, वैसे मा0 नेता सदन ने इस बारे में काफी कुछ कह दिया, इससे अब हम लोगों के मन में कोई कटुता व दुख नहीं है । फिर भी मा0 सिंचाई मंत्री जी को चाहिए कि वह स्थिति के बारे में कुछ बताएं कि किन परिस्थितियोंवश ऐसा हुआ और उनका इसलिए भी बताना आवश्यक है क्योंकि वह हिन्दुस्तान के एक ऐसे परिवार से आए हैं, जिससे सारा देश परिचित है और उनके पिता जी का जो आदर व सम्मान आज भी हम लोगों के मन में है, वह किसी से छिपा नहीं है क्योंकि आज भी वह चारपाई पर लेटे लेटे नैतिकता के बारे में और यहां तक कि स्वयं अपनी ही पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे अपराधी इसमें घुस आए हैं और कुछ पदाधिकारी हैं जिन्हें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, कहकर ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो हमारा आज भी उनके प्रति आदर व सम्मान है, उनके बेटे हैं आप, उनका जैसा आचरण है, स्वभाव है, वैसा ही आचरण व स्वभाव आपका भी होना चाहिए, यही हम लोगों को आपसे उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बहुत दुखी थे ।

जहां तक स्व0 इन्दिरा गांधी जी के बारे में कहा गया, हम लोग स्वयं मानते हैं कि वह महान नेताओं में से थीं, उनके सम्मान के खिलाफ हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं । अगर किसी ने कहा होगा, तो उसके लिये मुझे अफसोस है, खेद है और मैं क्षमा प्रार्थी हूं । श्रीमन्, जो सदन में होगा, वह बाहर जायेगा और जनता में जायेगा । अगर हमारा आचरण पीड़ादायक होगा, तो उसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा । डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सदन एक दर्पण है । जो यहां पर होता है वह सारे प्रदेश में और सारे देश में दिखाई देता है । तो यहां का आचरण जनता में जाता है । उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है, हमारा सदन सबसे बड़ा सदन है । यहां पर इस प्रकार का आचरण न होना चाहिये जिससे जनता में पीड़ा पहुंचे लेकिन अफसोस है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम अखबार में निकलवाने के लिये कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है । इससे उनकी इज्जत नहीं बढ़ती है, अगर कोई सदन में गाली देता है, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, अगर कोई यह चाहता है कि उसका नाम अखबारों में छपे तो उसे सदन की मर्यादाओं के अनुरूप उठाये । मैं विपक्ष की ओर से हमेशा ऐसा मौका नहीं देता हूं । मौका सत्ता पक्ष की ओर से आता है, तो आवेश में इधर से भी कुछ हो जाता है । इन्दिरा जी के बारे में जो कहा गया है, उसके लिये हमें खेद है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो बात कही है, उसमें कुछ विवाद नहीं उठाया

जा सकता है । वह सदन के मुखिया हैं और सरकार के भी मुखिया हैं । मैं समझता हूं कि इस सदन में सबसे ज्यादा अनुभव भी उन्हीं का है और योग्य व्यक्ति भी हैं । नेता सदन ने जो बात कही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से ऐसी हस्तियां हो चुकी हैं, जिन हस्तियों के कुर्सी पर बैठने से वह कुर्सी सुशोभित होती है । चौधरी चरण सिंह जी भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने उस कुर्सी को सुशोभित किया है । जिस दिन चौधरी साहब का निधन हुआ था, उस दिन बी0बी0सी0 लंदन ने यह बात प्रसारित की थी कि किसानों का मसीहा नहीं रहा । मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी पूर्वान्चल से आते हैं, वह जानते हैं कि चौधरी साहब को पूर्वान्चल के लोग अपना देवता के रूप में मानते हैं । सिंचाई मंत्री के हवाले अखबार में एक खबर छपी और जिस समय उन्होंने सदन में प्रात: प्रवेश किया तो हमारे पक्ष के कुछ लोगों ने व्यंगात्मक रूप से उनसे कहा और मैं आशा करता था कि सिंचाई मंत्री जी उसके बारे में कुछ स्पष्ट करें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, उस बात को स्पष्ट नहीं किया। जैसा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि सिंचाई मंत्री जी के पिता, जो आज भी इस दुनिया में हैं, विपक्ष के लोग भी कभी हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के विरुद्ध एक शब्द भी कहें, क्योंकि वह श्रंखला के नेता हो चुके हैं, वह वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, जिनके विषय में कोई बात नहीं कही जा सकती है । पंडित जी चौधरी साहेब के सहपाठी रह चुके हैं ।

पंडित जी और चौधरी साहेब हम उमर थे और आज नेता सदन द्वारा क्षमा याचना करना उनके बड़प्पन का परिचायक है । उन्होंने बड़प्पन का परिचय दिया है और आग्रह किया है कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर दिया जाये । तो इससे प्रदेश की जनता भ्रम में रहेगी कि नेता सदन ने तो क्षमा याचना कर ली, लेकिन सिंचाई मंत्री ने जो यह शब्द कहे हैं, उन्होंने क्षमा याचना नहीं की है । यह सदन के सदस्यों का ही प्रश्न नहीं है, आज उत्तर प्रदेश की जनता का प्रश्न है जो चौधरी साहब के विषय में आस्था रखता है उसके दिल और दिमाग में भ्रम रहेगा । इसलिये मैं आपके माध्यम से नेता सदन की उपस्थिति में साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या आपने यह शब्द कहे थे? अगर नहीं, कहे तो मान्यवर, जो भ्रम पैदा हुआ है उसके लिये माननीय सिंचाई मंत्री जी खेद व्यक्त करें और तब यह प्रकरण समाप्त किया जाय ।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है कि परिस्थितियों ने आज सदन की कार्यवाही रोक दी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है । समाचार पत्रों में एक समाचार छपा । सुबह आज जब मैं सदन में आया तो माननीय अंचल जी ने इस बात को उठाया और उस पर मैं कुछ कहना चाहता था किन्तु सदन 10 मिनट के लिये स्थगित हो गया । मेरी पत्नी का आज श्राद्ध था । इसलिये मुझे जाना पड़ा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय राज्य परिवहन मंत्री जी को मैंने पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूं और साढ़े पांच बजे आ जाऊंगा । अगर मैं सदन में रहा होता तो यह सदन की कार्यवाही न रूकती और जो विडम्बना हुई चीजों की, वह न होती, जिसकी कोई आवश्यकता न थी ।

श्रीमन्, चौधरी साहब से मेरा और मेरे परिवार का निजी सम्बन्ध रहा है। सन् 1936 से मैं चौधरी साहब को जानता हूं। उस समय मैं 9 वर्ष का बालक था। तब से मैं उन्हें जानता हूं और उनकी मृत्यु के दौरान भी दो-तीन बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी। उनके मरने के पूर्व जब वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में थे। एक प्रकरण उठा था जब 69 में चुनाव में एक मर्डर की बात आयी तो उस सन्दर्भ में यह बात आयी थी उससे माननीय चौधरी साहब के गौरव और उनकी इज्जत, जिन्होंने देश की सेवा की है, उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वह एक इतिहास की बात थी जिसमें यह बात आ गई और उससे सदन के माननीय सदस्यों को ठेस लगी है। मैं क्षमा चाहता हूं। उन पर कोई इल्जाम लगाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। हमारे देश की परम्परा रही है कि जब कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है तो कैसी भी उनके प्रति हमारी विचारधारा रही हो, उनके प्रति श्रद्धा होती है। जब कोई शव गुजरता रहता है तो हम रुककर उसे नमस्कार करते हैं। और फिर जो हमारे नेता रहे हैं। हमारा राजनैतिक विवाद हो सकता है। उनका दृष्टिकोण अलग था, हमारे दल का दृष्टिकोण अलग है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी के सम्मान को असम्मानित किया जाय और उस परिस्थिति में जब कि वह मौजूद नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो श्रीमन्, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं चौधरी साहब की शान के खिलाफ कोई बात कहूं। जो बात घट गई उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं और क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं यह प्रकरण समाप्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का स्थिति पत्रक और लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1985-86†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भंण्डारगार निगम का स्थिति पत्रक और लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1985-86 को दि वियर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की अधिसूचना††

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 अगस्त, 1989 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-वि0क0-2-2386/6-(10)-85-उ0प्र0अधि0 15/48-आदेश-89, दिनांक 31 अगस्त, 1989 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या

---

†छापा नहीं गया

††छापी नहीं गयी

सीपी-72/उन्तीस-10-सी0पी0 (8)-87 दिनांक 31 अगस्त, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 को विलम्ब के के कारणों सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 31 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं

मुख्य मंत्री–

× × ×

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है निकाल देंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

उस समय चौधरी साहब का प्रश्न चल रहा था मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि आज हम लोग माननीय मुख्य मंत्री के भोज का बाइकाट करेंगे क्योंकि हम लोगों को कष्ट था । अब माननीय मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी के आचरण के आधार पर सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे वहां पहुंचे ।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (सातवां संशोधन) नियमावली 404†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-360-बी/33-2-24 बी (9)/85, यू0पी0ए-33-1961 नियम-1972 संशोधन (7) 1989, दिनांक 15 जुलाई, 1989 के साथ प्रकाशित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (सातवां संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2713/17-सं-1-89-132 (1) सं-80 (टी0 सी0) दिनांक 7 सितम्बर, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा नीति पत्र‡

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा नीति पत्र को सदन के पटल पर रखती हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

‡छापा नहीं गया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन‡

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन, जो श्री विश्राम सिंह, तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक एवं थाना अचलगंज, जनपद-उन्नाव के कतिपय अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अवमानना के प्रश्न से संबंधित है और सदन का सत्र न होने की स्थिति में जिसे मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठ प्रतिवेदन ‡

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का षष्ठम प्रतिवेदन, जो श्री पंकज अग्रवाल, तत्कालीन जिलाधिकारी, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित है और सदन का सत्र न होने की स्थिति में जिसे माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का दशम प्रतिवेदन †

श्री भोला शंकर मौर्य–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का दशम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का संप्तम प्रतिवेदन †

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम प्रतिवेदन †

डाक्टर रजनीकान्त दत्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का नवम् प्रतिवेदन†

डाक्टर रजनी कांत दत्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री योगेन्द्र कुमार–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का सोलहवां प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

‡छापा नहीं गया ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित द्वारा मौरांवा मोहनलाल गंज मार्ग पर स्थित जबरेला पुल (सई नदी पर) के पुनः बनाये जाने विषयक श्री बृजपाल सिंह आदि तथा उन्नाव जनपद के चिरैया नाला पर स्थित ग्राम बेगम खेड़ा के सामने पुल बनवाये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ‡

*श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से (1) मौरावां-मोहनलालगंज मार्ग पर स्थित जबरेला पुल (सई नदी पर) के पुनः बनाये जाने विषयक श्री बृजपाल सिंह, संयोजक, युवा संघर्ष मोर्चा, पुरवा उन्नाव (निवासी सोहां, तहसील पुरवा, उन्नाव) श्री सनेह कुमार, निवासी खजुहा, लोहली, उन्नाव तथा श्री राम मनोहर उर्फ रामू निवासी कंचनपुर, उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित, तथा

(2) उन्नाव जनपद के चिरैया नाला पर स्थित ग्राम बेगमखेड़ा के सामने पुल बनवाये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश सिंह, निवासी सहरावां, तहसील पुरवा उन्नाव तथा श्री सुरेश कुमार सिंह, निवासी काशीपुर दतौली, पुरवा, उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित, याचिका उपस्थित करता हूं ।

(नाम पुकारने पर श्री फजले मसूद उपस्थित नहीं थे)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा ग्राम अहमदपुर चायल परगना चायल जिला इलाहाबाद की अहमदपुर पालन से मन्दर तक सम्बद्ध सड़क पक्की कराने विषयक सर्वश्री अली अहमद सिद्दीकी, फजानुल हक द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने करहना थाना मेंहदावल, जिला बस्ती के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था जिसमें 22 व्यक्ति दोषी पाये गये लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आर्डर नहीं गये और न चार्जशीट ही न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जबकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने 6 अप्रैल को घोषणा किया था । इस प्रकार सदन को उन्होंने गुमराह किया था जिस पर मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न आपको दिया है, उस पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर परीक्षण हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण एवं पेंशन निधि विधेयक पर निर्दिष्ट प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ने का प्रस्ताव

सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं –

"चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निर्देश के साथ सदन को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और सदन द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

‡ छापा नहीं गया ।

† छापी नहीं गयी ।

कर सकने के कारण विधान सभा द्वारा समय-समय पर स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक है,

विधेयक के प्राविधानों पर समिति ने गम्भीरता से विचार किया और कुछ बिन्दुओं पर विचार किया जाना अभी भी अवशिष्ट है,

अतएव, यह सदन निर्देश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय सदन के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।''

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी सूचना राज्य मंत्री ने रखा है सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 †

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अंतरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अंतरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अंतरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्यभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 के पुरःस्थापन पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 123 (2) के अंतर्गत मैंने यह निवेदन किया था कि यह जो विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त की जा रही है, यह इस विधान सभा की विधायनी क्षमता के परे है । इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जहां तक उर्दू भाषा का सम्बन्ध है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है । हमारे भारतीय संविधान में जो आठवीं सूची में हमारी राज भाषाओं की सूची दी गयी है, उसमें उर्दू

नोटः–दिनांक 3 अक्टूबर, 1889 के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(2) दिनांक 3 अक्टूबर, 1989 के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

का भी एक अपना स्थान है, लेकिन हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि उर्दू को दूसरी राज भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए । इसलिए मैं 4 असंवैधानिक मुद्दों पर अपनी आपत्तियां यहां रखना चाहूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधान सभा की विधायनी क्षमता है, उसके यहा परे है । विधेयक यह सभी दृष्टियों से असवैधानिक है, केन्द्र सरकार की नीति के विरुद्ध है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध और साम्प्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने का मात्रा एक चुनावी स्टैन्ट है ।

अभी मैंने इसे असवैधानिक क्यों कहा है । इस सम्बन्ध में आप अनुच्छेद 347 सबसे पहले देखने का कष्ट करें । इस 347 के भी पहले आप अनुच्छेद 345 देखने की कृपा करें । उसमें यह कहा गया है :—"अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा ।" अब जो अनुच्छेद 345 है . . .

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस पर क्या आप चर्चा करा रहे हैं ? इस समय इसके टेबुल होने में आप इनको इतना समय क्यों दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इन्हें टेबुल करने के लिए ही मौका दिया गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

तो आप या हम लोगों को भी समय देंगे । आप हमको भी समय दीजिएगा ।

(व्यवधान)

इनकी आपत्ति एक तरफा है, इस पर हमको भी मौका दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

गुप्ता जी ने वैधानिक आपत्ति उठाई है, उस पर बोल रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अब आप इनको समय दे रहे हैं, इनके खिलाफ हमें भी आपत्ति है, उसको भी आप हमसे सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब चर्चा होगी तो सभी को सुना जाएगा । इस वक्त तो इनको आपत्ति के लिए थोड़ा समय दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने अनुच्छेद 345 में बात रखी है विधायनी क्षमता के बारे में इसीलिए मैंने 345 का सन्दर्भ दिया है । इसके अनुसार सन् 1950 में हमारी राजभाषा हिन्दी बन गई है । इस हेतु हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब ने प्रस्ताव रखा था, उसके अनुसार वह राजभाषा बन गई । इस तरह हमने उसे अनुच्छेद का प्रयोग कर लिया है और अब दुबारा उस अनुच्छेद का प्रयोग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । उसके आगे अनुच्छेद 347 में दिया गया है, यदि कोई परिस्थिति पैदा

होती है, यदि कोई राजभाषा बनने की बात होती है, तो अनुच्छेद 347 में उसके लिए है –"यदि इस निमित्त मांग किये जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए ।" श्रीमन्, एक तो पर्याप्त निर्णय होना चाहिए दूसरे पर्याप्त संख्या बोलने वालों की होनी चाहिए । इसके साथ-साथ राष्ट्रपति का समर्थन, राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश होना चाहिए । इन बातों की अवहेलना की गई । पर्याप्त का मतलब यह है कि उस भाषा को बोलने वालों की संख्या तीस प्रतिशत हो । राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसकी संस्तुति की और वह संस्तुति राज्य सभा में पेश की गई उसमें इस बात पर विचार किया गया । एक भाषा द्विभाषीय राज्य के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा है कि कहीं एक राज्य भाषा 70 फीसदी है और एक भाषा 30 फीसदी है तो वह दूसरी भाषा रहेगी । लोकसभा में दो फरवरी 1982 को यह मामला उठा । लोकसभा में सवाल हुआ उस सवाल के जवाब में केन्द्रीय नीति के खिलाफ यह विधेयक लाया गया है । कितनी बार यह विवाद उठा कि अनुच्छेद-347 में उल्लिखित पर्याप्त अनुपात का तात्पर्य क्या है ? अर्थात किस अनुपात में एक भाषा बोलने वाले उसे दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने का आग्रह कर सकते हैं । गृहमंत्री ने दो फरवरी, 1982 को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया:– "कोई राज्य एक भाषा-भाषी तब तक समझा जाता है जब तक उसकी 70 प्रतिशत या अधिक आबादी एक भाषा बोले और यदि राज्य की आबादी का 30 प्रतिशत या अधिक का कोई अल्पसंख्यक समुदाय हो तो वह द्विभाषी राज्य समझा जा सकता है । जिला स्तर पर जहां आबादी का 60 प्रतिशत राजभाषा से भिन्न भाषा बोले या उसका प्रयोग करे तो अल्पसंख्यक समुदाय की उस भाषा को राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त उस जिले में राजभाषा की मान्यता दी जा सकती है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय स्वतन्त्रता दिवस की 42वीं वर्षगांठ पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की भर्त्सना की और साफ-साफ कहा कि दूसरी राजभाषा उर्दू को बनना चाहिए । उर्दू के लिए कोई विरोध नहीं है हम सिद्धांतिक विरोध कर रहे हैं उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का सवाल नहीं है यह एक समुदाय को खुश करने के लिए है । किसी समुदाय को उर्दू से नहीं जोड़ना चाहिए यह उर्दू को अल्पसंख्यकों से जोड़ना चाहते हैं । मान्यवर, 15 फीसदी मुसलमान हैं और 9.74 फीसदी उर्दू भाषी हैं ? एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी मात्र भाषा हिन्दी है–

श्री राम शरण दास–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । गुप्ता जी ने एक बात कही उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह मैंने नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह कह रहे हैं यह नहीं कहा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय रामशरण दास जी मेरी बात को गलत समझ गये । मैं बताना चाहता हूं यह बात सोचना गलत है कि यह किसी समुदाय विशेष की भाषा है उर्दू हमारे हिन्दुस्तान की ही एक भाषा है अगर कोई इसे समुदाय से जोड़ता है तो यह गलत है । 1981 की संस्तुति के अनुसार 15 फीसदी मुसलमान हैं 9.74 फीसदी उर्दू भाषी हैं ।– अगर हम उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मान लें तो यह 15 फीसदी होना चाहिए था लेकिन न जाने कितने मुसलमान हैं जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है और न जाने कितने हिन्दू और इसाई हैं जिन्होंने अपनी मातृ भाषा उर्दू लिखायी होगी । मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि उर्दू हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है । मेरा उर्दू से कोई विरोध नहीं है लेकिन मेरा विरोध इसको दूसरी राजभाषा बनाने से है क्योंकि यह केन्द्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके भी बिल्कुल विरुद्ध है । मैं केन्द्र सरकार की एक राजाज्ञा पढ़ना चाहूंगा और उसकी फोटो स्टेट कापी मैं आपको भेज दूंगा । मान्यवर, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था उसमें हमारी सभी स्टेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है । यह राजाज्ञा भारत सरकार के गृह विभाग का जो भाषा विभाग है उसके जरिये निकाली गयी है । इसका नम्बर है ओएम नं01/14034/15/87-ओएल (ए-1) दिनांक 26 फरवरी 1988 । गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया मिनिस्ट्री आफ होम आफियर्स डिपार्टमेन्ट आफ आफिसियल लैंगुवेज)

दि अफोरसेड प्रोविजन्स आफ रूल्स 3 आफ दि आफिसियल लैंगुएजेज रूल्स 1976 कैन वी कम्पलाइड विथ प्रोपरली बनली इन ओरिजनल करेस्पान्डेन्स विथ दि स्टेट गवर्नमेंट एण्ड दि एडमिनिस्टेशन आफ दि यूनियन टेरीटेरीज इन रीजन ए इज डनइन हिन्दी एन्ड इबेन इफ ए लेटर इज रिसीव्ड इन इंलिस फ्राम देम इंट मैं आलसो वी रिपलाइड टू इन हिन्दी ।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि केवल हिन्दी में ही पत्र व्यवहार किया जायेगा । इसमें राज्यों को (ए) तथा (बी) में क्लासी फाई कर दिया गया है और 3 में मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया गया है कि हिन्दी में पत्र व्यवहार होगा । अब उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने जा रहे हैं और अगर उर्दू में कोई पत्र जाता है तो कल्पना करें कि उसकी स्थिति क्या होगी ?इसके अलावा मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उसको देखने से साफ पता लगता है कि इस आदरणीय सदन को गुमराह करने की चेष्ठा की गयी है । आप इसकी छठवीं-सातवीं लाइन को देखने की कृपा करें । इसमें कहा गया है कि उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्राविधान किया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में रिट याचिक हुयी जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि रिट याचिका खारिज नहीं की गयी है । मेरे पास जजमेंट की कापी है, समय बचाने के लिए उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं । उसमें बहुत विस्तार से कहा गया है । उसमें यह भी कहा गया है कि जो मामला इक्जीक्यूटिव आर्डर से हो सकता था उसका आर्डिनेंस बना दिया गया है, आर्डिनेंस की जरूरत नहीं है । मान्यवर, खारिज इसलिए कर दिया है कि तिथि विखंडित हो गयी थी और वह अपने आप लैप्स हो गया था ।

मान्यवर, हाईकोर्ट ने राज्यपाल महोदय के आचरण के ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि उक्त अध्यादेश कायम नहीं रखा जा सकता है । न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है और राज्यपाल द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है । मान्यवर, अगर इसको खारिज कर दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती । उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीमकोर्ट में गयी और वहां पर जो जजमेंट हुआ था उसको देखने की कृपा करें । मान्यवर, आप विधि के जानकार हैं । जजमेंट के आखिर में जो जज के आबजरवेशंश हैं उनका महत्व होता है । उसको देखने की कृपा करें । मान्यवर, मैं इसको पढ़ रहा हूं । यह 13 अक्तूबर, 1987 का जजमेंट है ।

इन दि सुप्रीमकोर्ट आफ इंडिया,
सिविल अपीलेंट जूरिस्डेक्शन,
सिविल मिस पिटसिन नम्बर 20836 आफ 1987

स्टेट आफ यू0पी0 वरसेस यू0पी0 हिन्दी साहित्य सम्मेलन एण्ड अदर्स इट मस्ट बी हेल्ड बैट दि रिक्वेस्टेड प्रोमलगेशन आफ दि आर्डिनेंस वाज नाट जस्टीफाइड एण्ड एज सच दि फाइडिंग रेन्डर्ड बाई दि हाई कोर्ट अगेन्स्ट दि स्टेट आन दैट स्कोर हैज टू बी सस्टैक

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी सम्मानित सदस्य हैं, उर्दू का विरोध कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट अंग्रेजी में है उसे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह हिन्दी करते जा रहे हैं साथ-साथ , आप सुन लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उन्होंने कहा कि हमने उस मामले को विखंडित किया है लेकिन वह कहते हैं कि जो सरकार के खिलाफ हुआ है वह विधिमान्य हुआ है जो राज्यपाल के बारे में स्ट्रिक्चर पास कर दिया था दूसरे प्रश्न के बारे में-एज टु वेदर दियर इज पावर आफ जूडिशियल रिव्यू इन दि कोर्ट रिगार्डिंग दि सेटिसफैक्शन आफ दि गवर्नर इन प्रोमुलगेटिंग दि आर्डिनेन्स दि डिसीजन रेंडर्ड बाई दि कांस्टीच्यूशन बेंच आफ दिस कोर्ट इन दि सेड जजमेंट रन्स काउन्टर टु ह्वाट हैज बीन स्टेटेड बाई दि हाई कोर्ट इन दीज सरकमटान्सेज दैट पार्ट आफ दि जजमेन्ट मस्ट वी सेट एसाइज। यानि कि जजमेन्ट का वह हिस्सा जिसमें राज्यपाल के समाधान को चुनौती दी गयी है इसलिए उसमें यह जजमेन्ट है माननीय कैलाश चन्द्र गोयल जी का उसको देखने की कृपा करें उन्होंने उन प्रश्नों पर साफ-साफ कहा है उस जजमेन्ट की कंडिका 30 देखने की कृपा करें इसमें है कि माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि समय की गति को उल्टा नहीं जा सकता है और यह साध्य नहीं है कि सरकारी कामकाज हिन्दी और उर्दू दोनों में साथ-साथ कराया जाय । उदाहरणार्थ यह सोचा भी नहीं जा सकता कि सचिवालय की फाइल में प्रवर वर्ग सहायक या अनुभाग अधिकारी को छूट दी जाय कि वह स्वेच्छानुसार हिन्दी के स्थान पर उर्दू का प्रयोग करें ।

इसके आगे साफ-साफ कहा है अतः सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि उर्दू को सम्पूर्ण रूप से राजभाषा बनाने की मांग को अस्वीकार करती । यह तीसरी बात मैं कंडिका 32 से पढ़ रहा हूं–उर्दू को राजभाषा का पूरा दर्जा देने

में, अर्थात दो राजभाषाओं में से एक बनाने में, ऐसी कठिनाइयां होतीं जिन पर पार नहीं पाया जा सकता । वह अन्य अधिकारियों एवं जनता पर, जो उस भाषा से परिचित नहीं है, अनावश्यक भार डालता । इसे माननीय न्यायाधीशों ने साफ-साफ कहा है कि दूसरी भाषा का दर्जा इसको नहीं दिया जाना चाहिए । मैंने कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 347 को कोड किया था । यह 347 का उद्धरण है मैं उसकी दो लाइन पढ़ना चाहता हूं-हम ऊपर व्यक्त कर चुके हैं कि इस प्रकार की आशंका के लिए अवसर नहीं है और उर्दू के समर्थकों की भावनाओं की तुष्टि के लिए सरकार अधिकतम जो कुछ कर सकती थी वह अध्यादेश के उपबन्धों में कर दिया गया है और इस राज्य में उससे आगे बढ़ना अनुज्ञेय न होगा क्योंकि यह राज्य भारत सरकार की अनुच्छेद 347 के अधीन नीति-घोषणा के अनुसार स्पष्टत: एक भाषा-भाषी है ।

यह जो हमारे सामने पेश किया गया है इसमें कैसे मूर्ख बनाने की चेष्टा की जा रही है ? मान्यवर, यह विधान सभा कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकती जो अपने पूर्व निर्णय को एकदम बदल दे । मान्यवर, द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय । इस तरह से मान्यवर, यह आज नहीं लागू होगा, यह लागू होगा जब सरकार चाहेगी । हमारे मन में यह शंका है कि सरकार को इतना असीमित अधिकार मिल रहा है कि सरकार कोई भी ऐसा आदेश जारी कर दे जिसमें हमारे अनुच्छेद 351 में जो राज्य भाषा के विकास के लिए सम्भवत: अधिकार हमारे केन्द्र सरकार को या उस अधिकार के अनुसार करने के लिए ऐसा कोई उल्टा आदेश जारी कर दे । इस सम्बन्ध में भी मेरे पास कई निर्णय हैं । हमारे तमिलनाडु में एक आन्दोलन हुआ । जो हिन्दी विरोधी उसमें जेल गये उनको सरकार ने पेंशन देने का फैसला किया । मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया । उसने फैसला दिया कि पेंशन दी जायगी तो अनुच्छेद 351 के खिलाफ होगा क्यों यह हिन्दी के विकास में बाधक होगा ? इसलिए न्यायिक दृष्टि से इस विधान सभा के निर्णय को पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता है । वैसे भी यह विधेयक अदूर-दर्शितापूर्ण, अव्यवहारिक और विघटनवादी ताकतों को बढ़वा देने के लिए अनावश्यक रूप से लाया गया है जिसने अनावश्यक विवाद पैदा कर दिया है । आज संसदीय कार्य मंत्री राम जन्म भूमि के बारे में एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि साम्प्रदायिक तनाव नहीं बढ़ना चाहिए और हमें सामंनस्य स्थापित करना चाहिए। हमारे प्रदेश की समस्या है भुखमरी, मंहगाई, शांति और व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि, इन समस्याओं के खिलाफ जनता ने आज संघर्ष का बिगुल बजा दिया है, लेकिन उसका ध्यान बंटाने के लिए यह विवादास्पद बात छोड़ कर उत्तर प्रदेश सरकार शान्ति व्यवस्था को नष्ट करने का षडयंत्र कर रही है । न्यायिक दृष्टि से यह विधेयक इस सदन की विधायी शक्ति से बाहर है । यह विधेयक कानूनी दृष्टि से गलत है ।

इसलिए मेरी मांग है कि इसको पुर:स्थापित करने से पहले यहां पर महाधिवक्ता को बुला लें । नियमावली में नियम है कि महाधिवक्ता विधान सभा का पदेन सदस्य है, आता नहीं है, बुलाये जाने पर आता है। हम चाहते हैं कि उनकी न्यायिक राय मंगवा ली जाय । मेरी जानकारी है कि न्याय विभाग ने भी इसका विरोध किया था । इसलिए मुख्य मंत्री जी ने दो दिन पहले पत्रकारों के सामने, हमारे आपके सामने, जबकि हिन्दी के शीर्षस्थ साहित्यकार आये थे, तो उस समय कहा था कि उर्दू को दूसरी राज-

भाषा नहीं बनाने जा रहे हैं, मात्र दूसरी भाषा बनाने जा रहे हैं । मा0 लोकपति त्रिपाठी जी के बयान के बारे में आज जिस अखबार की चर्चा हुई, उसमें स्वयं लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा, मैं अखबार की प्रति भेज दूंगा, कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने जा रहे हैं । दूसरी भाषा तिवारी जी क्या बनाएंगे, राष्ट्र ने बना दी है । सैकड़ों वर्ष पहले यह भाषा बन चुका है ।

तिवारी जी की हिम्मत है कि भाषा बनाएंगे । आपने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है । मूल रूप में जो विधेयक था वह दूसरी भाषा के लिए थे लेकिन राजभाषा मंत्रिमण्डल के फैसले के बाद बदल कर बना दी गयी । इसलिए न्यायिक दृष्टि से जानकारी के लिए महाधिवक्ता को भी यहां बुला लें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि इस विधेयक से हिन्दी के लाभ होने का तो सवाल ही नहीं है, उर्दू भाषा को भी लाभ नहीं होगा । इसमें आपने बिहार का उदाहरण दिया है तो वहां जो प्राविधान हैं, वह आप एक्जीक्यूटिव आर्डर्स के द्वारा कर चुके हैं । मैं लम्बा समय नहीं लेना चाहता । मा0 प्रसाद तिवारी जी जानते हैं कि एक्जीक्यूटिव आर्डर्स के बाद स्टीटयुअरी आर्डर्स की क्या आवश्यकता है ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जब चर्चा होगी, तब समय मिलेगा अभी चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसलिए किसी स्टेटयुरी प्रोविजन की जरूरत नहीं है क्यों विविध दृष्टि से यह नहीं आ सकता है । मैं बार-बार बल देता हूं इस सदन की विधायनी क्षमता के बाहर है दूसरी राजभाषा बनाना अतः इसे पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा आप न दें ।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह व श्री सूर्यप्रताप शाही खड़े होकर इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा न देने के लिए कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय शतरुद्र प्रकाश को बुला लिया है, आप लोग बैठें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, हम लोगों को भी आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले शतरुद्र प्रकाश जी को सुन लें । चर्चा के वक्त बुला लिया जायेगा गुप्त जी ने बड़े डिटेल में सब बातें कह दी हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने जो आपत्ति उठायी है ।

श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, चर्चा हो गयी है, चर्चा आपने काफी करा ही दी है। हमें भी इस पर दो मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपने मुझे इजाजत दी है, मुझे सुनें। सबको बिठायें।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है जिन लोगों ने लिखकर दे दिया है उनको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी का भी नाम है उन्होंने भी लिखकर दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मुझे एक मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी चर्चा नहीं हो रही है। आजम साहब बर्क साहब और आप सब लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप सबको बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आपके दल की भीतर की बात है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, आप हमें भी मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने शतरुद्र जी को बुलाया है उनको सुन लें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, पहले दाढ़ी वालों को सुनिये बाद में यह सफर चट आयें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 344 और 348 के अन्तर्गत संवैधानिक आपत्ति को उठा रहा हूं। लेकिन, हमारी आपत्ति उठाने का नजरिया वह नहीं है जो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी का है। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस देश की भारतीय भाषाओं को आपस में विवाद में उलझाना देश हित के प्रतिकूल होगा। मैं अपनी बात की शुरुआत महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता हैं और जिनका चित्र यहां पर लगा है, उन्हीं के

विचार से शुरू करना चाहता हूं। जो कि हरिजन सेवक 29-10-38 को प्रकाशित किया गया जिसमें लिखा था और उन्होंने साफ लिखा "क्योंकि असली प्रतिस्पर्धा तो हिन्दी और उर्दू में नहीं बल्कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी में है वही करारा मुकाबला है, मैं तो उसके लिए निश्चय ही बहुत चिन्तित हूं।" यह 25-12-38 को सेगांव में प्रकाशित हुआ था। हालांकि यह बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के बाद भी आज तक हमारी कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। संविधान में जो लिखा है, वह राजभाषा लिखा है लेकिन राष्ट्र भाषा कही जाने वाली कोई भाषा नहीं है। मान्यवर, अपने को पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता कहने वाले एक मुसलमान मित्र यों लिखते हैं कि मैं इस सुझाव को सच्चे दिल से मंजूर करता हूं कि राष्ट्रभाषा का एक ही नाम है और वह है हिन्दुस्तानी। मान्यवर, मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं और 348 की तरफ ले जाऊं तो आप पायेंगे कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसी 348 में आगे लिखा हुआ है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करें, तब तक संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किये जाने वाले उनके संशोधनों के, ख का ही दूसरा हिस्सा है संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन निकाले गये या बनाये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

मान्यवर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हम जो विधान सभा में उपनियम बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर रहे हैं, उसका प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी माना जायगा, न हिन्दी माना जायगा और न उर्दू माना जायगा। मैं हिन्दी और उर्दू को आपस में लड़ाने के पक्ष में रहने वाला आदमी नहीं हूं। बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि जब तक हिन्दी और उर्दू एक होकर नहीं चलेंगी, तब तक न इस समाज का विकास हो पायेगा और न इस देश का विकास हो पायेगा।

मान्यवर, मैं राही मासूम रजा की उस बात से सहमत हूं कि कि अगर हिन्दी और उर्दू को अलग कर दिया जायगा तो न जाने कितने गांव वीरान हो जायेंगे। इसी प्रकार अगर आजमगढ़ में से आजम हटा दिया जाय और गढ़ अलग हटा दिया जाय तो पूरे का पूरा गांव बरबाद हो जायगा। मैं यह मानकर चलता हूं और महात्मा गांधी की बात से भी सहमत हूं कि जब तक यह धारा 348 है, तब तक यह सरकार न तो हिन्दी को राजभाषा बना पा रही है और न ही उर्दू को। हम चाहते हैं कि हिन्दी तो राजभाषा बने ही और साथ ही उर्दू को भी राजभाषा के रूप में स्थान मिलना चाहिए।

जब तक यह संविधान की धारा 348 कायम है जिसमें 3 खंड (1) के उपखण्ड (ख) में लिखा है कि किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधि-

नियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उप-खंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत के संविधान में यह 348 जब तक मौजूद है, 344 जब तक मौजूद है, तब तक यह कांग्रेस पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार किसी भाषा को राष्ट्र भाषा नहीं बना सकती। अब मैं आपका ध्यान 344 की ओर ले जाना चाहता हूं। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति (1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारम्भ के पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें, गुप्ता जी सारी बात पहले ही कह चुके हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं अपनी आपत्ति आपको बता रहा हूं कि अभी तक इस धारा 344 के रहते हुए केन्द्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी राजभाषा हिन्दी को उसका प्राधिकृत पाठ नहीं माना है। हमारे यहां जो भी विधेयक पेश होते हैं, उसमें प्राधिकृत पाठ वह माना जाता है, जिस पर राज्यपाल अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस संविधान के अन्दर अंग्रेजी को नहीं हटाया जायगा, तब तक हिन्दी और उर्दू का कोई कल्याण नहीं हो सकता। अगर यह सचमुच में उर्दू का विकास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिन्दी-उर्दू मिलकर साथ रहें, तो पहले यह केन्द्र सरकार से गुजारिश करें कि 348 में तरमीम किया जाय। तब जाकर सही मायने में उर्दू और हिन्दी को सही स्थान मिलेगा। आज इस प्रकार का जो यह बिल लाया जा रहा है यह आने वाले चुनाव में केवल जनता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है, इससे मुल्क का भला होने वाला नहीं है। हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं कि उर्दू को द्वितीय स्थान मिले और उचित सम्मान मिले। इस अधिनियम के चलते उर्दू को सम्मान नहीं मिल सकता है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 में मैंने कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की हैं।

संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी–

इसके अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों ने अपनी आपत्तियां दी हैं, या तो आप उन तक सीमित रखें।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हीं तक सीमित रखूंगा। श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी के बाद किसी को मौका नहीं दिया जावेगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि मेरा उर्दू से कोई विरोध नहीं है और यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे कई सम्मानित सदस्य जो उर्दू जानते हैं, मैं उनमें कई लोगों से अच्छी उर्दू जानता हूं और उसे लिखता भी हूं और उससे मोहब्बत करता हूं। मेरा एक विरोध है कि यदि उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिन्दी के स्थान पर वृज भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने की बात कही जायेगी तो भी मैं नीतिगत उसका विरोध करूंगा। यदि अवधी को यदि द्वितीय राज भाषा बनाया जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। यहां पर उर्दू और हिन्दी का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि उर्दू भी फले-फूले और उसका विकास हो। मैं उर्दू बोलता भी हूं, लिखता भी हूं, कविता भी करता हूं और शायरी भी करता हूं, इसलिए मान्यवर, मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात को प्रारम्भ करना चाहूंगा। . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। या तो आप सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें या फिर माननीय मुख्य मंत्री जी के भोज को स्थगित कर दें। 8.00 बजे से अधिक का टाईम हो गया है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मैं आपकी अनुज्ञा से कविता की चार पंक्ति इस सदन में कहना चाहता हूं :–

उत्तर हमारी आपत्ति का दें, सोचकर श्रीमन्,
राजनीति वोट की हो, क्योंकर चला रहे,
क्योंकर तुम देश की अखण्डता की, अस्मिता की,
साम्प्रदायिक द्वेष फैला, होली जला रहे।
कैसे सुत हो कि तुच्छ वस्तु कुरसी के लिये,
विघटन की मूंग मां के वक्ष पर दला रहे।
बंधा एकता में है, प्रदेश राष्ट्र भाषा से जो
क्यों द्वितीय भाषा थोप, एकता मिटवा रहे।

(इसी बीच विपक्ष से दो माननीय सदस्यों द्वारा "उर्दू बिल का स्वागत" व "काला विधेयक" पोस्टर दिखाने से व्यवधान)

इसी के साथ ही मैं अपनी वैधानिक आपत्तियों को पेश करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य माननीय सदस्यों को मैंने सुना। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत विधेयक सदन की वैधानिक क्षमता के बाहर है तथा असंवैधानिक है।

दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक के पुरःस्थापन के समय तत्कालीन अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि विधेयक की वैधानिकता का निर्णय न्यायपालिका ही कर सकता है अथवा इसका निर्णय स्वयं सदन कर सकता है। अध्यक्ष पीठ के लिए विधेयक की वैधानिकता के बारे में कोई आधिकारिक निर्णय

देना उचित न होगा मार्च, 1984 में इसी तरह के विधेयक के पुर:स्थापन के समय विरोध को अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष ने पुर:स्थापन की आज्ञा दी थी। अत: माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए मैं अनुज्ञा के प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(विरोध पक्ष के काफी संख्या में माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989–90 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की कार्यसूची की मद संख्या–28 की उपमदों (1) लगायत (78) में उल्लिखित अनुदान संख्या लगायत 7, 9 लगायत 18, 22 लगायत 29, 32 लगायत 44, 46 लगायत 54, 56 लगायत 58, 61, 63 लगायत 77, 79 लगायत 83, 85, 86, 88 लगायत 92 के अंतर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लितित हैं और जिनका कुल योग 11 अरब 96 करोड़ 76 लाख 9 हजार रुपये है, वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए स्वीकार की जायें जिनका विवरण निम्नवत् है–

(1) अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,70,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(2) अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अंतर्गत 13,70,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(3) अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 23,10,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(4) अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत 5,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(5) अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 3,52,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(6) अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,52,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(7) अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 21,65,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(8) अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 88,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(9) अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 88,64,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(10) अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 42,73,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(11) अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत 58,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(12) अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,30,09,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(13) अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 31,89,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(14) अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,13,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(15) अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,46,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(16) अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(17) अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 13,32,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(18) अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 81,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(19) अनुदान संख्या 23—खेल विभाग के अन्तर्गत 1,62,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(20) अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,01,43,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(21) अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत 13,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(22) अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 11,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(23) अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 6,83,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(24) अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(25) अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,19,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(26) अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,31,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(27) अनुदान संख्या 33—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 61,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(28) अनुदान संख्या 34—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(29) अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 78,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(30) अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत 72,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(31) अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंतर्गत 1,01,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(32) अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत 5,32,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(33) अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 9,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(34) अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 92,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(35) अनुदान संख्या 41—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 19,55,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(36) अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,69,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(37) अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,46,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(38) अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अंतर्गत 2,32,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(39) अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,75,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(40) अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत 47,60,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(41) अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,25,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(42) अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 16,28,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(43) अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 2,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(44) अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(45) अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 40,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(46) अनुदान संख्या 53–वन विभाग के अन्तर्गत 10,01,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(47) अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(48) अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 32,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(49) अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 4,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(50) अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 14,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(51) अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 78,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(52) अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 78,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(53) अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 44,07,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(54) अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,58,24,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(55) अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,60,21,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(56) अनुदान संख्या 67–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 2,03,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(57) अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,46,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(58) अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 9,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(59) अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 74,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(60) अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 65,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(61) अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 62,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(62) अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,71,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(63) अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 7,17,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(64) अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 3,89,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(65) अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 70,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(66) अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 37,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(67) अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,83,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(68) अनुदान संख्या 80–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 19,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(69) अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,16,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(70) अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,26,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(71) अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 10,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(72) अनुदान संख्या 85 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,79,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(73) अनुदान संख्या 86–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 29,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(74) अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,25,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(75) अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 39,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(76) अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 1,54,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(77) अनुदान संख्या 91–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 2,85,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

(78) अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 58,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1989-90

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की कार्यसूची की मद संख्या–28 की उपमदों (1) लगायत (78) में उल्लिखित अनुदान संख्या लगायत 7, 9 लगायत 18, 22 लगायत 29, 32 लगायत 44, 46 लगायत 54, 56 लगायत 58, 61, 63 लगायत 77, 79 लगायत 83, 85, 86, 88 लगायत 92 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित हैं और जिनका कुल योग 11 अरब, 96 करोड़ 76 लाख 9 हजार रुपये हैं, वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए स्वीकार की जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज पर खड़े होकर अध्यक्ष आसन की ओर पत्रादि फेंकते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान होता रहा। कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये। सत्ता पक्ष के सदस्यों से तना तनी होती रहीं जिससे सदन में शोर होता रहा और इसी व्यवधान का मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 अनुपूरक) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 और 3, अनुसूची खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989

31 मार्च, 1990 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) अधिनियम, 198 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1990 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 11,99,04,88,000 रुपये (केवल ग्यारह अरब निन्यानवे करोड़ चार लाख अठासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1989-90 के लिये 11,99,04,88,000 रुपये का दिया जाना

3--उस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। — विनियोग

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	41,34	..	41,34
		पूंजी	2,28,84	..	2,28,84
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	83,69	57,72	1,41,41
		पूंजी	12,87,25	..	12,87,25
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ..	राजस्व	23,10,81	..	23,10,81
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ..	राजस्व	5,25	..	5,25
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	1,49,13	..	1,49,13
		पूंजी	2,03,42	..	2,03,42
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ..	राजस्व	2,35,77	..	2,35,77
		पूंजी	..	..	..
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	3,94,81	..	3,94,81
		पूंजी	17,70,91	..	17,70,91
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ..	राजस्व	34,50	..	34,50
		पूंजी	53,66	..	53,66
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	33,38	..	33,38
		पूंजी	88,31,00	..	88,31,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	7,73	..	7,73
		पूंजी	35,00	..	35,00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	58,51	..	58,51
		पूंजी	..	..	..
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (ग्राम्य विकास)	राजस्व	1,29,99,90	2,11	1,30,02,01
		पूंजी	9,18	..	9,18
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	29,29,65	..	29,29,65
		पूंजी	2,60,00	..	2,60,00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	2,11,72	..	2,11,72
		पूंजी	1,50	..	1,50
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	42,84	..	12,84
		पूंजी	1,03,25	..	1,03,25
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	1,49	..	1,49
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	54,50	29,98	84,48
		पूंजी	12,78,23	..	12,78,23
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	90	5,85	6,75
		पूंजी	80,51	..	80,51
23	खेल विभाग	राजस्व	57,36	..	57,36
		पूंजी	1,04,96	..	1,04,96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..	राजस्व	94,00	..	94,00
		पूंजी	7,43	..	7,43
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	13,55,00	..	13,55,00
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	11,42	..	11,42
		पूंजी	..	..	..
27	गृह विभाग (पुलिस) ..	राजस्व	5,21,63	20,90	5,42,53
		पूंजी	1,62,30	53,53	2,15,83
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	16,27	..	16,27
		पूंजी	..	..	...
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..	राजस्व	1,19,31	..	1,19,31
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ..	राजस्व	..	1,41	1,41
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,34,65	13,14	1,47,79
		पूंजी	2,96,39	..	2,96,39
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	11,36	..	11,36
		पूंजी	49,93	..	49,93

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3,50	..	3,50
		पूंजी	26,05	..	26,05
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	69,93	..	69,93
		पूंजी	8,95	..	8,95
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	72,74	..	72,74
		पूंजी	..	..	..
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1,01,40	..	1,01,40
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	5,32,44	..	5,32,44
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	9,77	..	9,77
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	92,35		92,35
		पूंजी	..	..	.
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	19,56,04	..	19,56,04
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	2,21,07	31,32	2,52,39
		पूंजी	1,48,44	..	1,48,44
43	परिवहन विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,46,22	..	1,46,22

अनंत प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	44,83	..	44,83
		पूंजी	1,87,53	..	1,87,53
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	राजस्व	2,13,84	..	2,13,84
		पूंजी	61,57	..	61,57
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	26,40,14	3,06	26,43,20
		पूंजी	21,20,64	2,23	21,22,87
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	75,68	..	75,68
		पूंजी	50,00	..	50,00
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	राजस्व	85,82	..	85,82
		पूंजी	15,42,62	..	15,42,62
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	2,10,00	..	2,10,00
		पूंजी	..	..	..
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	72	..	72
		पूंजी	..	..	..
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	40,93	..	40,93
		पूंजी	..	..	..
53	वन विभाग	राजस्व	4,88,94	7,54	4,96,48
		पूंजी	5,12,22	..	5,12,22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	..	
		पूंजी	5,00,00	..	5,0 000
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	22,42	..	22,42
		पूंजी	10,24	..	10,24
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	4,14	..	4,14
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	1[illegible]64	..	10,64
		पूंजी	3,[illegible]	..	3,76
61	विधान सभा सचिवालय ..	राजस्व	78,78	..	78,78
		पूंजी	..	..	..
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग ..	राजस्व	78,62	..	78,62
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..	राजस्व	43,07,22	..	43,07,22
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ..	राजस्व	1,57,03,26	..	1,57,03,26
		पूंजी	1,21,00	..	1,21,00
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ..	राजस्व	3,60,21,91	..	3,60,21,91
		पूंजी			
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) ..	राजस्व	2,03,10	..	2,03,10
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	1,46,23	..	1,46,23
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	9,85	..	9,85
		पूंजी			
70	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	राजस्व	70,15	..	70,15
		पूंजी	4,36	..	4,36
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	65,72	..	65,72
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	16,78	..	16,78
		पूंजी	45,47	..	45,47
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	55,86	..	55,86
		पूंजी	1,15,84	..	1,15,84
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	7,17,19	..	7,17,19
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	23,63	..	23,63
		पूंजी	3,65,68	..	3,65,68
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	40,60,00	..	40,60,00
		पूंजी	29,40,00	..	29,40,00
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	37,00,00	..	37 00 00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) ..	राजस्व	78 65	..	78 65
		पूंजी	2,05,13	..	2,05,13
80	संस्थागत वित्त विधाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	19,54	..	19,54
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	राजस्व	77,08	..	77,08
		पूंजी	39,57	..	39,57
82	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	राजस्व	4,26,10	..	4,26,10
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	10,88	..	10,88
		पूंजी	..	..	..
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	2,79,66	..	2,79,66
		पूंजी	..	..	.
86	सामान्य प्रशासन विभाग ..	राजस्व	29,36	..	29,36
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	52,38	..	52,38
		पूंजी	73.00		73.00
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	25,08	..	25,08
		पूंजी	14,42	..	14,42
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) ..	राजस्व	1,54,13	..	1,54,13
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) ..	राजस्व	2,85,82	..	2,85,82
		पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	57,62		57,62
		पूंजी	75	..	75
	योग ..	राजस्व	8,97,96,68	1,73,03	8,99 69,71
		पूंजी	2,98,79,41	55,76	2,99,35 17
	कुल योग ..		11,96,76,09	2,28,79	11,99,04,88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
28 सितम्बर, 1989

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 क्रम संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

सूची 'क' (अ)

कर्मचारियों की व्यक्तिगत नाम की उपलब्धियां वर्ष 1987-88 प्रा0 स्वा0 केन्द्र रोगीसांवा

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद	उप0	क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पद	उप0
1	श्री एन0 पी0 श्रीवास्तव	प्रशि0	18	29	श्रीमती गगना त्रिपाठी	,,	10
				30	श्रीमती सुशीला शुक्ला	,,	10
2	श्री आर0शी0 चौधरी	स्वा0कार्य	18	31	श्रीमती गायत्री देवी	,,	10
3	एस0एन0 हुसेन	,,	03	32	श्रीमती सुगना सिंह	,,	06
4	पूर्णमासी राग	स्वा0का0	20	33	श्रीमती चम्पा राय	,,	05
5	श्री अनवार आलम	,,	06	34	श्रीमती कमला देवी	,,	10
6	श्री मु0 शमीम	,,	08	35	श्रीमती ललिता देवी	स्वा0का0	10
7	श्री मु0 रजा	,,	08	36	श्रीमती सुभावती	,,	07
8	श्री जे0 एन0 सिंह	,,	08	37	श्रीमती शांती साहनी	,,	07
9	श्रीमती राजेश्वरी तिवारी	स्वा0नि0	81	38	श्रीमती अशोक कुमारी	,,	09
				39	श्रीमती शिव कुमारी	,,	20
10	फूलकली	,,	09	40	श्रीमती कान्ता देवी	,,	21
11	श्रीमती कुठलावती गुप्ता	,,	18	41	श्रीमती विद्यावती देवी	,,	09
12	श्री जगदम्बा देवी	,,	07	42	श्रीमती सरोज मिश्रा	,,	10
13	श्री एस0 के0 गुप्ता	,,	08	43	श्रीमती मीरा देवी	,,	08
14	श्री अ0 मलिक	स्वा0का0	15	44	श्रीमती दुबे कमला	,,	09
15	श्री मोहरअली	,,	05	45	श्रीमती सन्ध्या कुमारी	,,	05
16	श्री मु0 रसीद	,,	06	46	श्रीमती तारा देवी	,,	15
17	श्री रमजान अली	,,	07	47	श्रीमती रगावती देवी	,,	06
18	श्री सियाराम	,,	04	48	श्रीमती सुराग्मा लाल	,,	08
19	श्री आर0एम0 शर्मा	,,	09	49	श्रीमती सुशीला शुक्ला	,,	06
20	श्री एस0 के0 वईवाल	,,	03	50	श्रीमती हरीसुन निशा	,,	01
21	श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव	,,	08	51	श्रीमती मुन्नी देवी	,,	02
22	श्री शिव पूजन	,,	05	52	श्रीमती तलीमुन निशा	,,	04
23	श्री राग केवल	वेक्सी0	20	53	श्रीमती सुभागी	,,	01
24	श्री पराग	,,	19	54	श्रीमती सेवारी	,,	02
25	श्री एस0एस0 पान्डे	,,	05	55	श्रीमती कतवारी	,,	02
26	श्रीमती मीना चौधरी	स्वा0कार्य	26	56	श्रीमती प्रान देवी	,,	02
27	श्रीमती अरुना श्रीवास्तव	,,	09	57	श्रीमती हवीवुल्लाह	,,	18
28	श्रीमती राम सिंगारी	,,	15	58	श्रीमती खेदन आपा	,,	01

87-88 पुरस्कृत कर्मचारियों की सूची प्रा0 स्वा0 केन्द्र गेनरियाना--बस्ती

क्रम0 संख्या	नाम	पद
1	श्री एन0 पी0 श्रीवास्तव	प्र.शि0
2	श्री अ0 मलिक	स्वा0 का0 पु0
3	श्री पूर्णमासी राम	स्वा0 प0
4	श्री रामकेवल	वेक्सीनेटर
5	श्री पराग	,,
6	श्री आर0 सी0 चौधरी	स्वा0 पर्य0
7	श्री हवीवुल्लाह	गणक
8	श्रीमती रामेश्वरी तिवारी	स्वा0 नि0
9	श्री माता देवी	प्रसाविका
10	श्री मीना चौधरी	,,
11	श्री शिव कुमारी	,,
12	श्री तारा देवी	,,
13	श्री राम सिंगारी	,,
14	श्री कुठलावती गुप्ता	स्वा0 नि0

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

महिला अस्पताल लखनऊ में कार्यरत महिला चिकित्साधिकारियों की सूची

क्रम-सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	महिला अस्पताल लखनऊ में तैनाती की तिथि	जनपद लखनऊ में में तैनाती की तिथि
1	2	3	4
स्पेशल ग्रेड--			
1	डा0 (श्रीमती) आशा मिश्रा ..	20-6-81	20-6-81
2	डा0 (श्रीमती) मीरा गुप्ता	13-6-87	13-6-87
सीनियर ग्रेड--			
1	डा0 (श्रीमती) पी0 एल0 चन्द्रा ..	25-8-69	25-8-69
2	डा0 बीना मोहरोत्रा	30-5-88	30-5-88
3	डा0 निर्मला गुप्ता	7-8-84	8-7-76
4	डा0 सविता मित्तल	6-8-81	1-7-76
5	डा0 शीला मेहरोत्रा	1-10-86	27-11-80
6	डा0 रशीदा खान	30-8-88	5-9-70
7	डा0 शशिकला शर्मा	24-7-86	30-12-78
8	डा0 शशी प्रभा	1-8-86	1-8-86
9	डा0 बी0 डी0 सिंघल	23-6-83	9-4-74
साधारण ग्रेड--			
1	डा0 मधु निगम	1-7-76	1-7-76
2	डा0 ऊषा श्रीवास्तव	21-6-82	6-78
3	डा0 आर0 के0 सहाय	13-1-87	30-11-76
4	डा0 मनोरमा बहुगुणा	20-7-86	20-7-86
5	डा0 के0 एल0 बाजपेयी	24-9-86	1-6-76
6	डा0 एम0 अस्थाना	9-3-88	9-86
7	डा0 अर्चना सिन्हा	18-9-80	18-9-80
8	डा0 रेखा तिवारी	1-7-81	1-7-81
9	डा0 बी0 किशोर	7-11-79	7-11-79
10	डा0 आशा राय	31-12-79	11-7-78
11	डा0 रमा साहनी	2-2-77	2-2-77
12	डा0 नियारा शकील	31-12-75	31-12-75
13	डा0 फरीदा शहीद	14-5-75	14-5-75
14	डा0 स्वामी श्रीवास्तव	12-7-88	12-7-88
15	डा0 अमिता जोशी	9-7-78	9-7 78
16	डा0 राखी शाही .. .	11-6-83	11-6-83
17	डा0 भारती शर्मा	10-2-84	10-2-84
18	डा0 सन्तोष सिह	10-7-87	10-7-87
19	डा0 पूर्णिमा श्रीवास्तव	4-7-87	4-7-87

विधान परिषद सचिवालय

1	2			3	4
20	डा0 ज्योति बाजपेयी	..	..	10-3-88	10-87
21	डा0 मृदुला शर्मा ..	..	..	24-6-88	9-82
22	डा0 बिन्दु शुक्ला	..	..	17-9-88	7-9-88
23	डा0 बीना अवस्थी	..	..	23-11-79	23-11-79
24	डा0 सविता भट्ट	..	..	22-12-83	22-12-83
25	डा0 आरती द्विवेदी	..	..	1-2-84	1-2-84
26	डा0 ऊषा नरायण	..	..	29-7-81	29-7-81
27	डा0 सरोज चौहान	..	..	20-8-83	12-81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

विभागवार सूची

विभाग	पद
1–एनाटमी विभाग	12
2–बायोकेमिस्ट्री	1
3–फोरेन्सिक मेडिसिन	1
4–माइक्रोबायोलाजि	13
5–पीडियाट्रिक्स	1
6–आफ्थलमालोजी	2
7–हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	1
8–साइकियाट्री	6
9–पैथालोजी	17
10–फिजियोलाजी	8
11–फार्माकालोजी	10
12–सर्जरी	3
13–मेडिसिन	5
14–रेडियोथिरेपी	1
15–सोशल एण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन	2
16–दंत संकाय-डीन	1
17–दंत संकाय-आर्थोडान्टिक्स	1
18–दंत संकाय-ओरल सर्जरी	1
19–दंत संकाय-प्रास्थोडान्टिक्स	3
20–दंत संकाय-ओरल पैथालोजा	1
21–दंत संकाय-पीडियाट्रिक्स	1
22–दंत संकाय-पीरियोडान्टिक्स	1
23–गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ ।	13
योग .	105 पद

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

उप निदेशक कृषि

आपके निर्देशानुसार मैंने आज कार्यालय भवन की स्थिति का निरीक्षण किया । निरीक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

1—कार्यालय भवन में बहुधा वर्षा का जल भर जाता है । एक बार यह स्थिति ऐसी हो गई कि कार्यालय भवन के अन्दर 3-3 फीट पानी भर जाता था जिसमें कार्यालय भवन के सभी कमरों के फर्श बुरी तरह से बैठ गये । बाहर वाले बरामदे से लगे कमरे तथा अन्दर के बरामदे में लेखाधिकारी के कमरे में पाया गया कि दीवारों के सहारे जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये जिनसे पानी दीवारों की नींव के अन्दर जाता है ।

2—कार्यालय भवन के आगे की ओर के बरामदे तथा प्रक्षेत्र प्रबंध अधिकारियों के कमरे की दीवार में दरार पड़ गई है ।

3—जबसे वर्तमान भवन किराये पर लिया गया है तबसे न तो भवन स्वामी द्वारा कभी मरम्मत नही कराई गई है और न ही सफेदी कराई है ।

4—उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में कार्यालय भवन के कर्मचारियों एवं राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए बदला जाना आवश्यक है ।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता प्र0सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1989 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या–55 के उत्तर से संबंधित सूची "अ"

(अ) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेंहूं) के अन्तर्गत चयनित 24 जनपद।

(इकाई– 1–मात्रा–मै0 टन में)
2–दिये गये अनुदान की धनराशि (रु0 में)

क्रम-संख्या	जनपद	संस्थावार अनुदान का विवरण				योग	
		कृषि विभाग		यू0पी0एग्रो			
		आइसोप्रोटरान की वितरित मात्रा	अनुदान की धनराशि	आइसोप्रोटरान की वितरित मात्रा	अनुदान की धनराशि	आइसोप्रोटरान की वितरित मात्रा	अनुदान की धनराशि
1	मेरठ	3.500	1,40,000	1.970	78,800	5.470	2,18,800
2	बुलन्दशहर	2.195	87,780	0.895	35,800	3.090	1,23,580
3	बरेली ..	6.068	2,42,730	14.113	5,64,520	20.181	8,07,250
4	शाहजहांपुर ..	5.093	3,05,600	18.162	7,26,480	23.255	10,32,000
5	बिजनौर	2.150	86,000	4.146	1,65,840	6.296	2,51,840
6	मुरादाबाद ..	7.166	2,86,620	4.214	1,68,560	11.380	4,55,180
7	फतेहपुर ..	0.390	15,500	1.387	55.480	1.777	70,980
8	झांसी ..	..	..	..	..	..	..
9	बांदा ..	0.055	2,210	..	..	0.055	2,210
10	वाराणसी ..	3.888	1,55,500	1.776	71,040	5.664	2,26,540
11	जौनपुर ..	8.803	32,100	0,040	1.600	0.843	33,700
12	गाजीपुर ..	1.115	44,610	0.208	8,320	1,323	52 930
13	बलिया ..	0.648	25 930	0.1 4	5.360	0,782	31,290

अवश्य पढ़ें विधान सभा

14	गोरखपुर	..	2.009	85,500	0.500	20,000	2.509	1,05,500
15	देवरिया	..	3.125	1,25,000	0.018	720	3.143	1,25,720
16	बस्ती	..	0.600	24,000	..	..	0 600	24,000
17	आजमगढ़	..	1.470	5 0,000	0.152	6,080	1.622	56,080
18	उन्नाव	..	1.685	67,400	0.012	480	1.697	67,880
19	रायबरेली	..	2.925	1,17,000	1.243	49.720	4.168	1,66,720
20	सीतापुर	..	1.134	45,370	0.178	7,120	1.312	52,490
21	हरदोई	..	1.062	42,470	0.080	3.200	1,142	45.670
22	लखीमपुरखीरी	..	2.681	1 07,220	6.769	2,70,760	9.450	3,77,980
23	फैजाबाद	..	6.978	2,79,110	0.493	19,720	7.471	2,9[illegible],830
24	नैनीताल	..	14,625	5,85,000	37.135	14,85,400	51.760	20,7[illegible]400
	योग	..	71.365	29.02,650	93.625	37,45,000	164.990	66,47,650

अवध विधान सभा

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1989 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-55 के उत्तर से संबंधित सूची "ब"

(ब) बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत चयनित 19 जनपद

1--सहारनपुर	1.665	66,210	0.200	8,000	1.855	74.210
2--मुजफ्फरनगर	4.707	1,88,260	..	..	4.707	1,88,260
3--गाजियाबाद ..	1.068	42,700	..	..	1.068	42,700
4--अलीगढ़	0.146	5,830	..	..	0.146	5,830
5--मथुरा	0.500	19,980	..	..	0.500	19,980
6--आगरा	0.898	3,930	..	..	0.098	3,930
7--मैनपुरी	0.236	9,430	..	..	0.236	9,430
8--एटा	0.194	7,740	..	..	0.194	7,740
9--बदायूं	0.837	33,460	..	..	9.837	33,460
10--पीलीभीत	1.508	68,330	29,866	11,94,640	3137.412	12,54,970
11--फर्रुखाबाद	0.310	12,390	..	..	0.310	12,390
12--इटावा	0.960	38,390	..	..	0.960	38,390
13--कानपुर (देहात) ..	1.408	56,300	0.800	32,000	2.288	88,300
14--कानपुर (शहर) ..	0.235	9,400	--	--	0.235	9,400
15--मिर्जापुर	0,749	29,970	0,073	2,920	0.822	32,890
16--लखनऊ	0.346	12,030	0,330	13,200	0.676	27,030
17--गोण्डा	0.468	18,710	..	..	8.460	18,710
18--बहराइच	0.345	13,800	0,893	35,720	1.238	49,520
19--बाराबंकी	1,412	56,470	..	..	1.412	56,470
योग ..	17.182	6,87,030	32,162	12,86,480	49.344	19,73,510
योग कुल अनुदानित जनपद-43	88.547 मै0टन	35,89,680	125.787	50,31,480	214.334	86,21,160

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

लेखाशीर्षक	क्र0सं0 प्रा0स्वा0के0 का नाम	वर्ष 1987-88 में भवन मरम्मत आदि में दी गयी कुल धनराशि
1	2 3	4
लेखाशीर्षक "2245 दैवी विपत्तियों में सहत बाढ़ चक्रवात आदि"	1–हरैया	25,000
	2–नौगढ़	10,000
	3–खलीलाबाद	20,000
	4–जोगिया	15,000
	5–विक्रमजीत	10,000
	6–बर्डपुर	10,000
लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य आयोजनेत्तर 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी–110-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय–15-लघु निर्माण कार्य"	1–रूधौली	15,000
	2–विक्रमजोत	10,000
	3–गौर	15,000
	4–भनवपुर	10,000
	5–खलीलाबाद	15,000
	6–सल्टौआ	10,000
	7–समरियांवा	15,000
	8–इटवा	10,000
	9–मेंहदावल	15,000
	10–हैसरबाजार	15,000
	11–खेसरहा	10,000
	12–बहादुरपुर	20,000
	13–खुनियांव	15,000
	14–नाथनगर	15,000
	15–डुमरियागंज	15,000
	16–परसरामपुर	15,000
	17–मरवटिया	20,000
	18–उसकाबाजार	15,000
	19–हरैया	20,000
	20–कप्तानगंज	15,000
	21–नौगढ़	15,000
	22–पइपुर	20,000
	23–बढ़नी	10,000
	24–जोगिया	10,000
	25–बनकटी	5,000
	26–कुटरहा	10,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	27–बघोली		10,000
	28–साउघाट		5·000
लेखाशीर्षक	1–रूधौली		10,000
लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य आयोजनेत्तर–06-लोक स्वास्थ्य–800-अन्य व्यय प0 क0 कार्यक्रम के अधीन निर्मित भवनों का अनुरक्षण ।	2–विक्रमजोत		10,000
	3–गौर		10,000
	4–भनवापुर		15,000
	5–खलीलाबाद		15,000
	6–सल्टौआ		10,000
	7–सेमरियांवा		15,000
	8–इटवा		20,000
	9–मोंहदावल		15,000
	10–हैसरबाजार		15,000
	11–खेसरहा		5,000
	12–बहादुरपुर		5,000
	13–खुनियांव		10,000
	14–नाथनगर		10,000
	15–डुमरियागंज		10,000
	16–परसरामपुर		10,000
	17–मरवटिया		10,000
	18–उसकाबाजार		10,000
	19–हरैया		10,000
	20–कप्तानगंज		10,000
	21–नौगढ़		6,000
	22–बर्डपुर		10,000
	23–बढ़नी		3,000
	24–जोगिया		10,000
	25–बनकटी		10,000
	26–कुदरहा		10,000
	27–बघौली		15,000
	28–साऊघाट		3,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 94 का उत्तर पीछे 63 पृष्ठ पर)

(मुख्यालय प्रशासन अनुभाग)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	भुगतान किये गये कन्वेन्स की धनराशि	
		वर्ष 1988-89,	वर्ष 1989-90 (अगस्त, 89 तक)
1	2	3	4
	सर्वश्री		
	1–के0 सी0 अग्रवाल, लेखाकार	828.00	196.00
	2–श्री मतीन खां, लेखाकार	898.00	–
	3–जी0 पी0 कुदेसिया, सहायक लेखाकार	1076.00	208.00
	4–क्षत्रपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक	1200.00	196.00
	5–एस0 के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक	1019.00	224.00
	6–एस0 के0 कनौजिया, वरिष्ठ लिपिक	1228.00	224.00
	7–शमीम बेग, वरिष्ठ लिपिक	1348.00	204.00
	8–हरीराम यादव, कनिष्ठ लिपिक	928.00	216.00
	9–श्याम सुन्दर, कनिष्ठ लिपिक	1124.00	208.00
	10–ए0 के0 श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	1342.00	208.00
	11–राम खिलावन, चपरासी	960.00	216.00
	12–लालता, चपरासी	959.00	224.00
	13–एस0 के0 जायसवाल, वरिष्ठ लिपिक	124.00	–
	14–जी0 बी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक	1032.00	224.00
	15–बी0 जी0 वर्मा, लेखाकार	424.00	168.00
	16–पी0 एन0 यादव, वरिष्ठ लिपिक	1692.00	292.00
	17–आर0 एस0 गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक	1352.00	336.00
	18–विद्याधर अवस्थी, चपरासी	1878.00	530.00
	19–दुलारे लाल, चपरासी	1439.00	410.00

ह0–

(धर्मेन्द्र देव)

अपर कृषि निदेशक (प्रशासन),

उत्तर प्रदेश।

(मुख्यालय प्रशासन अनुभाग)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	भुगतान किये गये कन्वेन्स की धनराशि वर्ष 1988-89, वर्ष 1989-90 (अगस्त, 89 तक)	
	सर्वश्री		
	1–जे0 एन0 सिंह, कार्यालय अधीक्षक	588.00	किसी कर्मचारी को कन्वेन्स नहीं भुगतान किया गया।
	2–दिलावर हुसैन, कार्यालय अधीक्षक	279.00	
	3–जी0 सी0 यादव, कार्यालय अधीक्षक	489.00	
	4–मो0 अहमद अंसारी, वरिष्ठ सहायक	292.00	
	5–ओ0 पी0 प्रधान, वरिष्ठ सहायक	736.00	
	6–हेतराम वर्मा, वरिष्ठ सहायक	841.00	
	7–मूसा खां, वरिष्ठ सहायक	568.00	
	8–जी0 पी0 जायसवाल, वरिष्ठ लिपिक	556.00	
	9–एम0 ए0 सिद्दीकी, वरिष्ठ लिपिक	612.00	
	10–श्री कृष्ण गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक	898.00	
	11–शकील अहमद, वरिष्ठ लिपिक	388.00	
	12–अजीत सिंह, कनिष्ठ लिपिक	904.00	
	13–सिद्धनाथ शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	643.00	
	14–टी0 बी0 यादव, कनिष्ठ लिपिक	682.00	
	15–ओ0 पी0 सिंह, कनिष्ठ लिपिक	632.00	
	16–श्याम नन्दन, चपरासी	686.00	
	17–विनोद नरायन, वरिष्ठ सहायक	824.00	

ह0–

(धर्मेन्द्र देव)

अपर कृषि निदेशक (प्रशासन),

उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1989) के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-105 के उत्तर का संलग्नक

श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद के विरुद्ध उन्हीं के कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक श्री शशिपाल सिंह, जो कि अनुसूचित जाति के हैं ने उत्पीड़न व मारपीट की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-544/1988 धारा/6/7 पी0 एस0 आर0 एक्ट के अन्तर्गत थाना कविनगर, गाजियाबाद में दिनांक 29-11-88 को दर्ज कराई । प्रकरण की विधिवत विवेचना के उपरान्त गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसे निराधार पाते हुए दिनांक 11-5-89 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी । इस प्रकरण में अभी सक्षम न्यायालय के अन्तिम आदेश विचाराधीन हैं । शिकायतें मिलने पर जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी, मुजफ्फरनगर से भी इस प्रकरण की जांच कराई गयी । उनकी जांच में भी श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी के ऊपर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । जिलाधिकारी गाजियाबाद ने भी सूचित किया है कि श्री शशिपाल सिंह की शिकायतों की जांच उनके स्तर पर जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद से भी कराई गई । इसमें कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर श्री तारा सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित हो ।

2—उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही श्री तारा सिंह को निलम्बित करने का औचित्य नहीं पाया गया है। यदि कोई उत्पीड़न का मामला साबित होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

पत्र में मांगी गयी सूचना

प्रश्न	उत्तर
1—क्या इस मामले की न्यायिक जांच किसी मजिस्ट्रेट से करायी गयी । यदि नहीं, अब कब तक करायेंगे ।	जी हां, जांच कराई गई ।
2—यदि जांच हो गयी तो जांच रपट में क्या पाया गया ।	एक चिकित्सक तथा एक स्टाफ नर्स दोषी पाये गये ।
3—क्या डा0 गुप्ता को निलम्बित कर दिया । यदि नहीं, तब क्यों नहीं । अब कब तक करेंगे ।	जांच रिपोर्ट के आधार पर भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दे दी गयी है । निलम्बन का प्रश्न नहीं उठता ।
4—क्या यह सही है कि चिकित्सालय में मरीजों को दवायें बाहर से मंगाने के लिये विवश किया जाता है ।	जी नहीं ।
5—गत वित्तीय वर्ष कितना रुपया की राशि दवायें खरीदने के लिये आवंटित की गयी थी उनमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया ।	वर्ष 1985-86 में 4.12 लाख रुपये की धनराशि औषधियों के मद में प्राविधानित थी तथा पूरी धनराशि का उपयोग किया गया।
6—क्या यह सही है कि डाक्टर ने मरीज के पति से 50/- लिये ।	जांच में स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं किया गया है कि डा0 गुप्ता ने 50/- लिये ।

विधान सभा सचिवालय

पी0एस0यू0पी0—एल0 292 विधान सभा (469)—1990—813 ।